राजस्थान विधान सभा

४४वीं बैठक, मंगलवार, दिनांक–८ मई, सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८.१२ बजे प्रारम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष की अनुपस्थिति की सदन को सूचना

श्री मनसाराम पुरोहित(सचिव, राजस्थान विधान सभा)—Hon'ble Members, hon'ble the Speakr has to remain absent on account of unavoidable private work. Perhaps he is arriving this afternoon and will be able to attend tomorrow. Today the Deputy Speaker will occupy the chair.

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ८४४

श्री चांदमल मेहता।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८४५

श्री चांदमल मेहता।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८४६

ग्राम जिगसाना (त० तारानगर) की जागीर के पुनर्ग्रहण पर मुआवजा एवं जागीरदार को खुदकाश्त भूमि

श्री भैरोंसिंह—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No 2

[श्री भैंरोसिंह]

(क) क्या यह सही है कि मौजा जिगसाना तहसील तारानगर जिला चुरू की जागीर दि. १. १. ५५ को पुनर्ग्रहण किया जाकर १२. १. ५५ को चार्ज लिया गया ?

(ख) क्या सम्बन्धित जागीरदार ने दिनांक २८. २. ५५ को मुआवजे के कागजात ज... कमिश्नर, जयपुर के यहां पेश किये हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि ये कागजात जो जांच के लिए तहसील तारानगर के गिरदावर श्री उमरावखां के पास भेजे गये वहां खो गए हैं ?

(घ) क्या यह भी सही है संबन्धित जागीरदार को खोए हुये कागज़ात मिलने पर उन्होंने यह कागजात ६. ९. ५५ को कलेक्टर चूरू के यहां पेश कर उमरावखां के विषय में रिपोर्ट की कि रिश्वत न देने पर उक्त कागजात को गिरदावर ने खो दिया था ?

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कलेक्टर द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(च) क्या यह सही है कि उक्त जागीरदार ने खुदकाश्त का फार्म दिनांक ३०-१२-५५ को तहसील में पेश किया था, अब तक उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई, यदि हां तो क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—(क) यह सही है कि मौजा जिगसाना तहसील तारानगर ज़िला चूरू की जागीर १-१-५५ को पुनर्ग्रहण की जाकर दिनांक १२-१-५५ को जागीर का चार्ज तहसील द्वारा लिया गया।

(ख) यह सही है कि जागीरदार ने दिनांक २८-२-५५ को मुआवजे का दावा जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर के यहां पेश किया था।

(ग) तहसीलदार की रिपोर्ट है कि मुआवजे के कागज़ात तहसील से गिरदावर श्री उमरावखां को दिनांक २६-३-५५ को भेजे और उसकी तरफी से बाद रिपोर्ट दिनांक १८-४-५५ को तहसील में वापिस मौसूल हुए। यह बिल्कुल गलत है कि कागज़ात उसके पास खोये।

(घ) जागीरदार के मुआवजे के दावे का नक्शा दिनांक ४-९-५५ को कलेक्टर कार्यालय में पेश करके उमरावखां के विषय में रिपोर्ट की थी कि रिश्वत न देने पर गिरदावर ने उक्त कागज़ात खो दिये।

(ङ) इस संबन्ध में कलेक्टर कार्यालय द्वारा जांच कराई गई जिसका उत्तर प्रश्न (ग) के उत्तर में दिया जा चुका है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(च) खुदकाश्त की दरख्वास्त दिनांक ३०-१२-'५४ को तहसील में पेश की । दिनांक १०-१-५५ को गिरदावर के पास भेजी गई दिनांक १८-१-५५ को उसके बाद तामील वापिस पेश की । दिनांक २-११-५५ को नायब तहसीलदार के पास से तहसील में आई, जिसमें कार्यवाही जारी है ।

श्री भैंरूसिंह—ये कागज़ात कलेक्टर चुरू के समक्ष ६-६-५५ को पेश किये गये । तहसीलदार द्वारा पेश किये गये या जागीरदार द्वारा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं इसके बारे में ठीक तरह से नहीं कह सकता ।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि जिस गिरदावर को जांच के लिए दी गई उस गिरदावर ने तहसीलदार के समक्ष पेश नहीं किया बल्कि जागीरदार ने किया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह जानकारी मेरे पास नहीं है लेकिन जवाब से ऐसा मालूम होता है गिरदावर ने ही उनके पास भेजी है ।

श्री भैंरूसिंह—क्या जिगसाना के पोस्ट मास्टर ने कलेक्टर के समक्ष यह रिपोर्ट पेश की थी कि ये कागज़ात बिना लिफाफे के प्राप्त हुए हैं और उन्होंने उनको दिये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह तो आप जानकारी दे रहे हैं जांच की जायगी ।

श्री भैंरूसिंह—यह जानकारी मैं ही दे रहा हूं ऐसी बात नहीं है कुंवर जसवन्तसिंह जी ने भी इस बात का उल्लेख किया था और आपने यह आश्वासन दिया था कि मैं इसकी जांच कराउंगा यह आश्वासन आपकी ओर से १२ महिने से देते आ रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरा जहां तक खयाल है कु० जसवन्तसिंहजी ने पोस्ट मास्टर ने लिफाफा भेजा ऐसा कभी नहीं कहा ।

श्री भैरोंसिंह—श्री जसवन्तसिंहजी ने कभी जिक्र नहीं किया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुझे ऐसा याद नहीं आता कि पोस्ट मास्टर ने दिया हो ऐसी बात उन्होंने मेरे से कही हो उन्होंने केवल उदाहरण की तौर पर यह जिक्र किया था ऐसा कभी नहीं कहा कि पोस्ट मास्टर के पास बिना लिफाफे के ये कागज़ात आगये थे और उन्होंने उनको दिये ।

श्री भैंरूसिंह—जो कागज़ात उंमरावखां से जांच करवाने के लिए आए वे किस अधिकारी ने और कौनसी तारीख को पेश किए ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस प्रश्न के लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री भैंरूंसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बिलकुल सीधा है कि उमराव खां के पास अगर कागज़ात नहीं खोये गये तो उसे ही पेश करना चाहिये था दूसरे व्यक्ति ने पेश किये इसका मतलब यह हुआ कि उमराव खां के हाथ से वे कागज निकल गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं अपने जवाब में निवेदन कर चुका हूं कि जांच करने पर यह पता चला कि उमराव खां से कागज नहीं खोये गये।

श्री भैंरोंसिंह—क्या यह जांच तहसीलदार द्वारा कराई गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—तहसीलदार द्वारा ही कराई गई।

श्री भैंरोंसिंह—क्या यह सही है कि जिस तहसीलदार का उल्लेख किया है उस तहसीलदार को शुरुआत में कागज़ात दिये गये थे तो जब कागज़ात मौजूद हैं तो जिस व्यक्ति की शिकायत की गई उस शिकायत के बारे में जांच की जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस प्रकार की जांच करने से कोई अन्तर पड़ता नहीं हैं हमें तो खास तौर से फेक्चुअल रिपोर्ट के बारे में पता लगाना है, कागजात हैं या नहीं अगर हैं तो गलत रिपोर्ट कैसे दे सकता है ?

श्री भैंरूंसिंह—कागज़ात आये, किस प्रकार से आये इसकी जांच होनी चाहिये उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं आया अगर जांच करें मुख्य मन्त्री महोदय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने आपको उत्तर दिया कि उमराव खां के द्वारा १८-४-५५ को कागजात तहसील में वापिस मौसूल हुए।

श्री भैंरोंसिंह—उमराव खां के पास कागज़ात खोये वे कागजात जागीरदार ने लाकर पेश किये जो कागजात इन्क्वायरी के लिये आये वे पेश किये गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह नया प्रश्न खड़ा हो गया। आपका मूल प्रश्न यह था कि कागज़ात खो दिये गये और रिश्वत मांगी गई जब रिश्वत नहीं दी तब कागज दबा दिये गये; लेकिन फेक्चुअल पोजीशन यह है कि वे कागज़ात उमराव खां ने ता. १८-४-५५ को पेश कर दिये। आपने जो यह कहा कि जागीरदार ने पेश किये इससे तो यह प्रश्न अलग हो गया मूलबात आपने जो पूछी थी कि कागजात दबा दिये गये उसका जवाब मैंने पेश कर दिया।

प्रश्न संख्या ८४७

श्री उपाध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

Page No 5

प्रश्न संख्या ८४८

राजस्थान पंचायत अधिनियम लागू होने के पश्चात् विभिन्न ग्राम पंचायतों में मनोनीत पंच एवं सरपंच

श्री भैरोंसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान पंचायत अधिनियम लागू होने के पश्चात् अब तक किस किस जिले की किस किस ग्राम पंचायत में कौन कौन पंचों व सरपंचों को किस किस तारीख को मनोनीत किया गया, कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ?

(ख) मनोनीत करने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या मनोनीत किये जाने के बाद इन स्थानों पर फिर चुनाव करा दिया गया है ? यदि हां, तो कहां कहां ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एक ऐसे ही प्रश्न का उत्तर सदन में दिनांक १७-३-५६ को दिया जा चुका है ?

(क) सूची सदन की मेज पर है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(ख) पार्टी बाजी के कारण लड़ाई की सूरत पैदा होने व शान्ति भंग होने की आशंका तथा चुनाव में मतदाताओं द्वारा भाग न लेने के कारण चुनाव सम्पन्न न हो सकने से।

(ग) जी हां।

ग्राम पंचायत ऊंटवाल, मांचा, नगर, दतोब, इन्दोली, फतहपुर, तलाब, मंडावरा, चुरेलिया, डाडी, सेडली, मिरचेवाला, हमीरवास, बड़ा, नमां, बैरासर, छोटा, सांखू, ढाणी मोची, सटका, सिकन्दरा, पका, सारनान, चाऊवाली ढाबा, जोगीवाल, किशोरपुरा।

श्री भैरोंसिंह—जिन स्थानों के चुनाव अभी तक नहीं हुए उसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जल्दी कराये जा रहे हैं।

श्री भैरूंसिंह—कब तक हो जायेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे खयाल से इस महीने में हो जाने चाहिये।

प्रश्न संख्या ८४६

श्री उपाध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता ।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ८५०

सीकर जिले में अध्यापकों के प्राइवेट परीक्षा में बैठने के प्रार्थना-पत्र एवं कुछ को स्वीकृति देना

श्री भैरोंसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सीकर जिले के किन किन अध्यापकों ने प्राइवेट परीक्षा देने के लिए इस वर्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे ?

(ख) इनमें से किस किस स्कूल के किस किस अध्यापक को किस किस परीक्षा के लिये अनुमति मिली ?

(ग) इन अध्यापकों में से किन किन अध्यापकों ने गत वर्ष भी प्राइवेट परीक्षा दी थी ?

(घ) क्या सरकार अध्यापकों के लिए प्राइवेट परीक्षा देने संबंधी जो नियम है उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी ?

(ङ) क्या उपरोक्त विभाग में इन नियमों का पालन किया गया है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—(क), (ख), (ग) व (घ) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये इनकी तालिकायें सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(ङ) जी हां ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा, पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह—जिन व्यक्तियों को गत वर्ष परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी उनको इस साल फिर रूल को वाइलेट करके क्यों अनुमति दी गई ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इसमें एक दो केसेज़ ऐसे हैं जो बीमारी के कारण नहीं बैठ पाये थे उनको इस साल बैठने की इजाजत दी है ।

श्री भैंरोंसिंह—जिन व्यक्तियों को गत वर्ष इज़ाजत दे दी गई थी तो उन्हीं व्यक्तियों को फिर इस साल क्यों परीक्षा में बैठने की इजाजत दी गई ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जो गत वर्ष प्रीवियस में बैठे थे उनको इस साल फाइनल में बैठने की इजाजत दी गई।

श्री भैंरोंसिंह—जबकि रूल्स में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि जिन व्यक्तियों को एक साल परीक्षा में बैठने की इज़ाजत दे दी जाती है तो उसको फिर दो साल तक इज़ाजत नहीं दी जा सकती तो फिर इनको इजाजत क्यों दी गई ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—उन लोगों को स्पेशल रीजन्स के कारण अनुमति दी गई होगी। वैसे भी बीस परसेन्ट अध्यापकों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है उसके अन्तर्गत वे भी आगये होंगे।

श्री भैंरोंसिंह—जो परसेन्टेज़ मुकर्रर किया गया है उसकी पूर्ति के लिए कई लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं उनको रीजेक्ट की जाकर इन लोगों को अनुमति दी गई जो गत साल इम्तहान में बैठ चुके थे ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जितनी भी दरख्वास्तें आईं उनमें से सिलेक्शन किया गया और उनमें इन लोगों का भी सिलेक्शन होगया ऐसा हो सकता है कि ज्यादा आदमी सिलेक्शन में नहीं आये हों।

श्री भैंरूंसिंह—जिन लोगों को रिजेक्ट किया गया उसके अलावा जिन लोगों को इजाजत दी गई रूल्स को वायलेट करके क्यों दी गई ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—ऐसी बात मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैंरूंसिंह—जैसा कि आपने बताया ८ आदमियों को परीक्षा देने की अनुमति दी गई उनमें से ऐसे है जिन्होंने गत साल इम्तहान दिया था इन लोगों को इजाजत दी गई इसलिए बाकी आदमियों को रिजेक्ट कर दिया गया ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जो लिस्ट आपको दी गई है उसके आगे कारण लिखें हैं।

श्री भैंरूंसिंह—जब रूल्स बने हुए हैं तो फिर परमीशन देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रूल्स को वायलेट करके परमीशन क्यों दी गई ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इतना तो डिसक्रीशन होता है कि कोई व्यक्ति अगर फेल होगया हो तो या कोई बीमार हो गया हो या कोई नोन मैट्रिकुलेट हो जिसका मैट्रिक होना लाजमी है तो ऐसे व्यक्तियों को इजाज़त दे दी जाती है।

श्रीभैंरूंसिंह—इसमें ऐसे व्यक्ति हैं जो फेल नहीं हुए, लेकिन एक बार फाइनल में पास हो चुके उनको दुबारा प्रीवियस में एपीअर होने की इजाजत दी गई ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—ऐसा हो सकता है जिसने प्रीवियस कर लिया उसको फाइनल में बैठने की इजाजत दी गई हो ?

श्री भैंरूंसिंह—ऐसे भी अध्यापक हैं जिन्होंने फाइनल कर लिया है और फिर प्रीवियस में बैठने की अनुमति दी गई ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—डिपार्टमेंट ने रिकमन्ड किया होगा इसलिए इनको इज़ाजत दे दी गई होगी।

श्रीभैंरूंसिंह—एक माधोप्रसाद नाम के अध्यापक हैं जिन्होंने गत साल बी. ए. का इम्तहान पास किया था और इस साल फिर एम. ए. में बैठने की इजाजत दी गई ? उनके लिए फाइनल का प्रश्न नहीं फिर क्यों अनुमति दी गई ?

श्रीमती कमला बेनीवाल—इसके सामने रीजन्स लिखे हुए आप फिजूल बहस कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट ।

श्री भैरूंसिंह (१६)—वह तो मैंने पढ़ लिया पर रूल्स में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—मैंने आप से अर्ज किया कि इतना सा डिस्क्रीशन तो होता ही है इसलिए उन्होंने दे दिया।

श्री भैंरोंसिंह—पर इसमें तो डिस्क्रीशन का प्रश्न ही नहीं है। उसे एप्लाई नहीं किया जा सकता जब कि आपने रूल्स में एक फिक्स्ड परसन्टेज दे रक्खी है तो उस परसन्टेज के नियम को वायलेट करके क्यों इजाजत दी गई ?

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८४१

भाखरा नहर पर शासकीय भूमि वितरण के समय गंगानहर क्षेत्र के भूमिहीन कृषकों को भी देने की शासकीय योजना

श्री गुरूदयाल सिंह सन्धु—क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

Page No 9

[श्री गुरुदयालसिंह सन्धु]

(क) क्या भाकरा नहर पर सरकारी भूमि के वितरण के समय गंग कैनाल कोलोनी के भूमिहीन काश्तकारों को जमीन दी जावेगी ?

(ख) यदि नहीं, तो सरकार गंग कैनाल कौलोनी के बाकी बचे हुए काश्तकारों को कहां बसाने का सोच रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) वर्तमान में ऐसा इरादा तो है।

(ख) भाखरा प्रोजेक्ट के भूमिहीन काश्तकारों को भूमि दी जाने के पश्चात् यदि कहीं रहेगी तो गंग कैनाल के भूमिहीन काश्तकारों को दी जावेगी।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—इस वक्त वे बेकार हैं इसका क्या इलाज है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—गंग कैनाल में उनको एलाट की जा रही है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—वह बहुत कम है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या ऐसी कोई शिकायत आवेगी तो उसका हल कर सकेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जमीन होने पर एलोट की जा सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८५२

जोधपुर शहर के सरदारपुरा में एडवोकेट राजनारायण द्वारा अपनी माता के नाम से खरीदा गया प्लॉट

श्री भैरोंसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर के सरदारपुरा में श्री राजनारायण मुन्शी एडवोकेट ने अपनी माता श्री बृजकिशोरी देवी के नाम पर (१०५०) में ता० २७-१०-५५ को एक प्लॉट खरीदा है ?

[श्री भैरोंसिंह]

(ख) यदि हां, तो वह प्लॉट किस रेट से बेचा गया ?

(ग) क्या इसका पब्लिक आक्शन हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) चूंकि मारवाड़ पट्टा एक्ट के मातहत बिना नीलाम किये जमीन नहीं बेची जा सकती है तो अब सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने के लिए सोच रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) जी हां।

(ख) प्लॉट रुपया १) प्रति वर्ग जोधपुरी गज २ × २ की दर से बेचा गया।

(ग) पब्लिक आक्शन नहीं हुआ क्योंकि उस समय की जोधपुर म्यूनिसिपल बोर्ड पट्टा कमेटी ने यह प्लाट बगैर आक्शन किये ही देने का आदेश दिया था।

(घ) सरकार की आज्ञा से बिना नीलाम भी जमीन मुकररा रेट पर दी जा सकती है वर्ना पट्टा एक्ट की धारा १७ (५) के अनुसार नीलाम की जानी चाहिये।

अब किसी प्राइवेट पार्टी की ओर से अपील दायर करने पर यह श्री मामला अतिरिक्त आयुक्त, जोधपुर की अदालत में विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि मारवाड़ पट्टा एक्ट के कानून के अन्तर्गत बिना आक्शन जमीन बेचने का अधिकार म्यू० को नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—गवर्नमेंट की एप्रूवल से बेच सकते हैं।

श्री भैंरूसिंह—इसमें म्यू० ने गवर्नमेंट की एप्रूवल ली है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नहीं ली गई।

श्री भैंरूसिंह—तो जो जमीन बेची गई हैं इस तरह से वह जमीन कोई उपयोग में न लाई जा सके इसके लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने निवेदन किया न कि एडीशनल कमिश्नर के यहां अपील इसकी पेन्डिंग में है ?

Page No 11

श्री भैरोंसिंह—जब सरकार के ध्यान में यह है कि कम कीमत में यह जमीन बेची गई तो सरकार की ओर से क्या एक्शन लिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अपील चल रही है इसलिए अपील के बाद कुछ करेगी सरकार।

श्री भैरोंसिंह—अपील तो प्राइवेट पार्टी की ओर से चल रही है। मै तो यह पूछता हूं सरकार की ओर से क्या एक्शन लिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसका फैसला हो जाने के बाद ही कुछ सोचेंगे। क्योंकि अपील अभी पेन्डिग में है इसलिए इसके रिवीजन की कार्यवाही भी तभी होगी जब उसका फैसला हो जाय।

श्री भैरोंसिंह—क्या अगर प्राइवेट पार्टी कल अपनी ओर से अपील विथड्रा कर लेती है तो ऐसी सूरत में भी क्या सरकार को ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जावेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ध्यान में आने पर जरूर लिया जावेगा।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि वहां के प्रतिष्ठित नागरिकों ने इसके बारे में दरख्वास्तें देकर सरकार को सूचना दी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ये सूचनायें आई थीं और उनको जानकारी के लिए भेज दिया है।

श्री भैंरू सिंह—अब आपको पता हुआ तो इस बारे में सरकार की ओर से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसलिए कि अपील पेन्डिग में है।

श्री भैंरू सिंह—यह अपील तो आम लोगों में से एक की पेन्डिग है जो कभी भी विद्ड्रा कर सकता है। मैं तो यह पूछ रहा हूं कि सरकार की ओर से जो कार्यवाही होनी चाहिये उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अपील इस मामले में फिर वह किसी की हो पेन्डिग में है इसलिए कार्यवही नहीं हो रही है। अगर वह विद्ड्रा कर लेगा तो सरकार जरूर कार्यवाही करेगी या अपील का फैसला हो जाने पर जरूरी कार्यवाही करेगी।

Page No 12

श्री भैरोंसिंह—इससे सरकार को कितना नुकसान हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नुकसान का सवाल नहीं है। नुकसान होगा तो म्यूनिसिपेलिटी को होगा।

श्री भैंरूसिंह—इस बीच क्या सरकार उस आदमी को वह आदेश देगी कि वह उस जमीन का कोई भी उपयोग नहीं कर सके जिसको वह बेची गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह तो एडीशनल कमिश्नर को आर्डर देना चाहिए। उसको अधिकार है।

श्री भैरोंसिंह—सरकार को भी अधिकार है ऐसा आदेश देने का।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने निवेदन किया कि गवर्नमेंट को रिवीज़नल पावर हैं। पर अभी चूंकि अपील चल रही है तो उसके पीछे सरकार उचित कार्यवाही करेगी। इस मामले को जरूरी देखेगी और कोई गलती हुई है तो उसे जरूर ठीक करेगी।

(घंटी)

श्री भैरोंसिंह—एक प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, अपील का फैसला होने तक तो उस जमीन पर मकान बन जावेंगे उस पर फिर गवर्नमेंट एक्शन कैसे लेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अगर उसका पजेशन बेजा साबित हुआ और फैसला उसके खिलाफ हुआ तो बाकी की या तो कीमत वसूल कर ली जावेगी। नहीं तो मकान तुड़वा दिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि मकान ही उस जमीन पर इस दृष्टि से बनवाया जा रहा है कि मकान कम्पलीट हो जावेगा तो फिर कोई झगड़ा नहीं कर सकेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे ध्यान में यह बात नहीं है। और देख लूंगा और कार्यवाही करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट। ८५३।

प्रश्न संख्या ८५३

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसका उत्तर लोकल सेल्फ के मिनिस्टर अगली टर्न पर देंगे, इसलिये इसे, उपाध्यक्ष महोदय, अभी पोस्टपोन किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८५४

करौली सब डिवीजन में पंचायतों को गोचर भूमि देने का प्रबन्ध

श्री बृजेन्द्रपाल—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या करौली सब डिवीज़न में पंचायतों को गोचर भूमि अभी तक नहीं दी गई है ?

(ख) यदि दी गई है तो किन किन को ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) जी, अभी तक नहीं दी गई है।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८५५

राजस्थान में राजनैतिक पीड़ित मानकर कुछ व्यक्तियों को भूमि का नियतन

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में कितने व्यक्तियों को राजनैतिक पीड़ित मान कर भूमि अलाट की गई है ? उनके नाम क्या हैं ?

(ख) कितने ऐसे राजनैतिक पीड़ित हैं जिन्होंने प्रार्थनापत्र पेश किये मगर उन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) किसी को नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह सही है कि कुछ लोगों को काश्त पर मिल गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अभी मिली नहीं, कुछ रख दी गई है जमीन।

श्री भैंरोंसिंह—प्रार्थनापत्र आये या नहीं इस सम्बन्ध में ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कुछ आये।

श्री भैंरूंसिंह—तो फिर आपने कहा न कि प्रश्न नहीं उठता, यह कैसे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि उनको दी नहीं गई, अभी रख दी गई है अभी तक किसी को मिली नहीं है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या ऐसे तमाम लोगों को जमीन देने का सरकार का इरादा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नियम बनाये हैं, उनके अन्तर्गत जो आवेंगे उनको दी जावेगी।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—क्या कोटा जिले में भी दी गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास—अभी प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैंरोंसिंह—कौन से लोग राजनीतिक पीड़ित होंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जो इस बारे में रूल्स बना लिये हैं उनको आप देख लीजिये।

प्रश्न संख्या ८५६

बूंदी स्टेट की एक्स सोल्जर्स कोलोनाइजेशन स्कीम १६४७ के अन्तर्गत भूमि देना

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बूंदी स्टेट की एक्स सोल्जर्स कोलोनाइजेशन स्कीम सन् १६४७ के तहत कितनी भूमि रखी गई थी ?

Page No 15

[महाराज श्री केसरीसिंह]

(ख) इस स्कीम में किस किस एक्स सोल्जर को किस किस तारीख को किस किस ग्राम में कितनी कितनी जमीन दी गई है ?

(ग) क्या यह सही है कि एक्स सोल्जर्स को ५,००० रुपया फी फेमिली इस स्कीम के तहत दिया जाना तय था ? यदि हां, तो किस किस सिपाही को यह रकम दी गई और कब ?

(घ) इस स्कीम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(क) इसकी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) सूची संलग्न है।

(ग) जी हां, इस स्कीम के अन्तर्गत एक्स सोल्जर्स को फी परिवार पांच सौ, पांच हजार नहीं, दिये जाना तय था। किस सिपाही को कब कब रकम दी गई इसकी सूची संलग्न है।

(सूची अनुपलब्ध)

(घ) इस स्कीम के अन्तर्गत २११८ एकड भूमि अलाट हुई है और २२५००) दिये गये हैं।

महाराज श्री केसरीसिंह—१२ आदमियों को जमीन न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसका विस्तृत उत्तर अभी देने की स्थिति में नहीं हूं। अगर अलग अलग केसेज़ हैं और वे अब भी प्रयत्न कर रहे हैं तो आगे कार्यवाही की जा सकती है।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या पांच सौ रुपया प्रति फेमिली सबको दिया जा चुका है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसके लिये नियम बने हुए हैं इनके अनुसार दिया जाता है। सब को ही पांच सौ रुपया दिया जावे यह आवश्यक नहीं है।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या यह सही है कि मांगने पर भी अब तक नहीं मिला है ?

Page No 16

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरी जानकारी में यह नहीं है। साल भर पहले मांग की या नहीं की।

महाराज श्री केसरीसिंह—जब जमीन मिली तब मांग की और अभी तक रुपया नहीं मिला क्या इसकी जांच करने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आप जानकारी देंगे तो जांच कराउंगा।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८५७

मण्डी गजसिंहपुर (जि० गंगानगर) में चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध करना

श्री कुम्भाराम आर्य—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) मण्डीगजसिंहपुर जिला गंगानगर में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(ख) क्या सरकार मण्डी गजसिंहपुर में डिस्पेन्सरी खोलने की आवश्यकता महसूस करती है ?

(ग) यदि हां, तो कब खोलने का विचार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) प्रश्न विचाराधीन है।

आगे के प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

प्रश्न संख्या ८५८

सन् १९५६।५७ में जिलेवार खोली गई प्राथमिक पाठशालाएं

श्री हनवन्तसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

राजस्थान में सन् १९५६-५७ में कुल कितने जिलेवार प्राइमरी स्कूल्स खोले जावेंगे ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—एक हजार।

श्री हनवन्तसिंह—एक हजार क्या ?

श्रीमती कमलाकुमारी वेनीवाल—जिलेवार जितने खोल रहे हैं उनकी तो सूची उपलब्ध नहीं हो सकी, पर कुल १ हजार खोल रहे हैं।

श्री हनवन्तसिंह—यह जिलेवार तो नहीं हुआ ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—यह सूचना आने पर अलग अलग बताया जावेगा। पर आपके जिले को शायद चार या पांच मिल जावें।

श्री हनवन्तसिंह—चार पांच क्यों मिल जावे। एक हजार को २५ में बराबर बांटकर भी अधिक होते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—चार पांच से तो अधिक मिलेगा।

श्री हनवन्तसिंह—इसलिए तो पूछा ही था सवाल यह।

प्रश्न संख्या ८५६

रायसिंहनगर, संगरिया, करणपुर आदि की नगरपालिकाओं को वाटरवर्कस के लिए दी गई धनराशि में से व्यय

श्री कुम्भाराम आर्य—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सरकार ने रायसिंह नगर, करणपुर, संगरिया आदि की नगरपालिकाओं को वाटर वर्कस के लिए कितनी रकम दी है ? इस रकम में से अब तक कितनी खर्च की जा चुकी है ?

[२] यदि देरी हो रही है तो क्यों।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(१) रायसिंह नगर, करणपुर तथा संगरिया के लिए निम्नलिखित द्रव्य देने की स्वीकृति दी है :

अ. रायसिंहनगर	४,४८,००० रु०
ब. करणपुर	५,७८,००० रु०
स. संगरिया	४,१७,००० रु०

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

इन योजनाओं को तीन वर्ष में समाप्त करने की आशा है। चूंकि अभी सामान यहां न मिल रहा। बाहर से मंगाने का आर्डर दिया हुआ है। इसलिए द्रव्य में से गत वर्ष कुछ भी खर्च नहीं हो पाया।

(२) देरी करने का कोई प्रश्न नहीं है। पूर्ण रूप से काम खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आशा है कि कार्य निश्चित अवधि में सम्पूर्ण हो सकेगा।

श्री कुम्भाराम आर्य—आर्डर किस तारीख को दिया गया?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तो पिछले साल ही दिया गया है।

श्री कुम्भाराम आर्य—रकम किस तारीख को मन्जूर हुई?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तारीख तो मेरे पास नहीं है इस समय।

श्री कुम्भाराम आर्य—दोनों के बीच में सरकार क्या करती रही?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आप मिनिस्टर थे तभी हो गई थी।

श्री कुम्भाराम आर्य—नहीं मेरे से पहले मन्जूर हुई थी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपको मालूम है।

प्रश्न संख्या ८६०

राजस्थान में चौथ बटाया वाले जिले एवं जिला बूंदी में इस लगान की रकम में से २५ प्रतिशत की मुक्ति

महाराजा श्री केसरीसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या राजस्थान में किसी जिले में चौथ बटाया है?

(ब) क्या यह सत्य है कि जिला बूंदी में चौथा बटायों से लगान की रकम में से रुपया में चार आने माफ है?

Page No 19

[महाराज श्री केसरीसिंह]

(स) माफी इन चौथ बटायों को कब से है और किसके हुक्म से ?

(द) क्या सरकार इन चौथ बटायों से पूरा लगान लेने लग गई है ?

[य] यह किस हुक्म से लिया जा रहा है ?

[फ] क्या यह सत्य है कि यह एक प्रकार की जागीर है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(अ) जी हां, यह बून्दी जिले में था।

(ब) यह सत्य नहीं है कि लगान के रूप में चार आने माफ था। अलग अलग जगह अलग अलग था। कहीं चार आने से ज्यादा भी था।

(स) यह चौथ बटाया भूतपूर्व रियासत बून्दी के समय में था और नौकरी के सिलसिले में था।

(द) जी हां।

(य) राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की अध्याय ११ की धारा १८६ के अनुसार।

(फ) जी नहीं।

महाराज श्री केसरीसिंह—सरकार किस प्रकार मानती है कि यह जागीर नहीं थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—उत्तर दिया कि नौकरी करने के सिलसिले में रियायत थी इसलिए बन्द कर दिया गया।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—क्या नौकरी करते थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मुख्तलिफ काम तहसील में या निजामत में किया करते थे।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या यह सही है कि यह दरबार में ड्यूटी दिया करते थे और इनको शादी विवाह में नौकरी देनी पड़ती थी।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि नौकरी मुख्तलिफ किस्म की दिया करते थे। वह भी होगी जो कि आप फरमा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री हनवन्तसिंह।

प्रश्न संख्या ८६१

जैसलमेर में ३१ मार्च, १९५५ में विज्ञान कक्षा भवन का शिलान्यास एवं इस भवन के निर्माण को पूरा करना

श्री हनवन्तसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या जिला जैसलमेर में एक ही हाई स्कूल है ?

(ख) क्या यह सही है कि भारत के राष्ट्रपति ने ता० ३१. ३. ५५ को जैसलमेर में विज्ञान कक्षा के भवन की नींव रखी थी ?

(ग) क्या उपरोक्त भवन बन चुका है ?

(घ) क्या इस भवन निर्माण के लिये सेठ जीवनलालजी ने रकम दी थी ?

(ङ) यह भवन अब तक क्यों नहीं बन सका है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप मंत्राणी)—(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) (ङ) जी नहीं। सेठजी ने केवल १५ हजार रुपये का दान दिया था परन्तु प्लान के अनुसार खर्चा उससे अधिक होता था। बाकी रकम गत वर्ष के बजट में नहीं होने से कार्य पूर्ण नहीं हो सका। इस वर्ष कार्य शुरू करने का आदेश चीफ इन्जीनियर को दे दिया गया है।

श्री हनवन्तसिंह—क्या वह १५०००) रु० की लागत हो चुकी है या १५ हजार रुपये अभी तक पड़े हुये हैं सरकार में ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—अभी वह खर्चा नहीं हुआ।

श्री हनवन्तसिंह—क्या कारण है कि १५००० रुपये अभी तक खर्च नहीं हुए ?

श्रीमती कमला बेनीवाल—प्लान पूरा एक्जीक्यूट नहीं हो पाया था इसलिए काम शुरू नहीं किया गया।

श्री हनवन्तसिंह—अधूरा ही बनाकर रख देते। अपने यहां राजस्थान में तो बहुत से काम अधूरे होते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—जी नहीं, काम पूरा करने के लिए पांच हजार रुपये की और स्वीकृति दी गई है।

श्री हनवन्तसिंह—कितना अर्सा हो गया है १५ हजार रुपये को दिये हुए ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जिन्होंने वह दान दिया है, वह १५ हजार रुपये का दिया है जब कि २० हजार रुपये की आवश्यकता है। वह प्लान डिसक्शन में चल रहा था आखिर वे रजामन्द नहीं हुए लेकिन जैसलमेर की आवश्यकता को देखते हुए २० हजार खर्चा करने का तय किया गया।

प्रश्न संख्या ८६२

बूंदी राज्य के समय में सन् १६४७ में चालू की गई एक्स सोल्जर्स के लिये कोलोनाइजेशन स्कीम

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) बूंदी स्टेट के समय में सन् १९४७ में एक्स सोल्जर्स के लिए जो कोलोनाइजेशन स्कीम चालू की गई थी उसमें कितने सिपाहियों को जमीन जुतवाई गई ?

(ब) उन एक्स सोल्जर्स के क्या नाम हैं और उनको कितनी कितनी जमीनें किस किस तहसील में किस किस साल में जुतवाई गईं ?

(स) क्या यह सत्य है कि इन एक्स सोल्जर्स की जमीनों के आज तक खाते नहीं बंधे हैं ?

(द) क्या सरकार इनको खातेदार नहीं बनाना चाहती ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(अ) ८५ सिपाहियों को भूमि दी गई है।

(ब) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

[कृपया देखिये परिशिष्ट संख्या ३]

(स) जी नहीं, जमीन के खाते बन चुके हैं।

(द) प्रश्न नहीं उठता है।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या यह सत्य है खाते नहीं बन्धे हैं और एक्स सोल्जर्स मारे मारे फिरते हैं तहसील में।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने जवाब दिया कि खाते बन्ध चुके हैं?

महाराज श्री केसरीसिंह—मैं चेलेन्ज करता हूं कि कुछ लोगों के खाते नहीं बन्धे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसी कुछ लोगों की स्पेसिफिक इन्स्टान्स आप बतायेंगे तो जानकारी की जायगी।

महाराज श्री केसरीसिंह—तहसील तालेड़ा के अन्दर जांच कराली जाय कि किस किस व्यक्ति के खाते नहीं बन्धे हैं तो आपको पता चल जायगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने आपको सूची दे दी है ८५ आदमियों की। आप बता दीजिये कि किस किस के खाते नहीं बन्धे हैं।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या जो सूची दी है उसमें सबके खाते बन्ध गये हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—मेरी जानकारी में तो यही है।

प्रश्न संख्या ८६३

वर्तमान वर्ष में जयपुर जिले में स्थापित की गई नई पंचायतें

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की करेंगे:

(क) जयपुर जिले में चालू वर्ष में कितनी नई पंचायतें कहां कहां बनाई गई?

(ख) नई पंचायतें बनाने का क्या कारण था?

(ग) जयपुर जिले के किन किन स्थानों की दरख्वास्तें नई पंचायतें बनाने की आई हुई हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) मरवा, टोडा, मोना, रून्डल, नागलबाला, साली तथा जड़वाड़ा।

(ख) कुछ ग्राम किसी भी पंचायत में सम्मिलित न होनें तथा कुछ नये केन्द्र बनने योग्य होने के कारण जनता की मांग पर उनकी सहूलियत का ध्यान रखते हुए संस्थापित की गई हैं।

(ग) नीमेड़ा, टोकड़ा, लाखेर, जोन, टीकवाड़ा, मेसलाना, नौरंगपुरा, वेवगांव, जाग उगरियावास, वोराज और नीबेड़ा।

Page No 23

श्री नारायण चतुर्वेदी—जिन गांवों की दरख्वास्तें आई हैं वहां अभी तक पंचायतें क्यों नहीं बनाई गई हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पटवार सर्किल के बनने पर पंचायतें बनाने का विचार चल रहा है। उस विचार की वजह से वे रुकी हुई हैं।

श्री नारायण चतुर्वेदी—इस विचार से पहले दूसरी पंचायतें कैसे बनाई गईं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह विचार से पहले ही बनायी गई थीं।

श्री नारायण चतुर्वेदी—वह कब तक बनाई जायंगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जल्दी ही विचार किया जायगा। एक कमेटी बना दी गई है। वह विचार कर रही है।

प्रश्न संख्या ८६४

भाखरा नहर से लगी हुई कुछ तहसीलों में बारानी भूमि एवं बारानी गांवों के किसानों को नहरी भूमि देने की शासकीय योजना

श्री मनफूलसिंह—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या उन तहसीलों में जिनमें भाखड़ा नहर लगी है थोड़ा हिस्सा बारानी भी रहा है ?

(ब) यदि हां, तो क्या सरकार इन बारानी गांवों के किसानों को कुछ नहरी भूमि देने को तैयार है ?

(स) यदि हां, तो किन किन तहसीलों के किन किन गांवों को भूमि मिल सकेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) जी हां।

(ब) जी हां। इस सम्बन्ध में जो नियम बने हुए हैं उनके अनुसार।

(स) इस सम्बन्ध में हनुमानगढ़, भादरा, नोहर, और सूरतगढ़ गांवों भाखरा प्रोजेक्ट के अधिकारक्षेत्र के बाहर हैं और उन ग्रामों में जो प्रोजेक्ट के अंचल में हैं यानी ५ मील के अन्दर हैं तथा राजस्थान के नाल की सिंचाई के घेरे के बाहर हैं यदि पर्याप्त भूमि एलोटमेंट के लिये होगी तो इन सब को एलोटमेंट मिल जायगा।

प्रश्न संख्या ८६५

सेठ आनंदीलाल पोद्दार के बहरे गूंगे स्कूल के छात्र छात्राओं के हेतु बस प्रबन्ध करना

श्री धर्मपाल पंवार (श्री प्रभुदयाल की अनुपस्थिति में):—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) सेठ आनन्दीलाल पोद्दार नामक बहरे गूंगों के स्कूल में कितने छात्र व छात्राएं हैं ?

(२) क्या सरकार की ओर से उनके आवागमन के लिए कोई बस आदि की व्यवस्था है ?

(३) यदि हां, तो कितनी बसों की और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उपमंत्राणी)—(१)२६ छात्र तथा ५ छात्राएं हैं।

(२) जी हां।

(३) इस स्कूल के लिए कोई अलग बस की व्यवस्था नहीं है। महाराजागर्ल्स हाई स्कूल, जयपुर, की बसें ही इस स्कूल के विद्यार्थियों को लाने व लेजाने का कार्य करती हैं।

श्री धर्मपाल पंवार—क्या इसमें सभी गूंगे बहरे जाते हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जी हां।

श्री धर्मपाल पंवार—इसमें गूंगे लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—प्रश्न के उत्तर में बता दिया गया है।

श्री मानसिंह महार—इस स्कूल के अन्दर प्रश्नकर्ता महोदय के कितने रिश्तेदार हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—आपके कोई रिश्तेदार हैं क्या ?

श्री मानसिंह महार—मुझे धोखा है इसलिए प्रश्नकर्ता का पूछा। आपके तो मुझे मालूम हैं।

Page No 25

प्रश्न संख्या ८६६

कस्बा चाकसू, जिला जयपुर, के अस्पताल में पिछले माह से हुए रिक्त स्थान की पूर्ति

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—क्या चिकित्सा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सत्य है कि जिला जयपुर के चाकसू कस्बे में एक अस्पताल है और वहां के डाक्टर का गत २ माह से ट्रांसफर कर दिया गया है और कोई दूसरा डाक्टर नहीं भेजा गया है ?

(ख) क्या यह भी सत्य है कि गये दिनों में दूर के गांव से एक मरीज जनता द्वारा यह सोचकर लाया गया कि चाकसू के अस्पताल में इसका इलाज करवायेंगे परन्तु वहां डाक्टर के न होने के कारण वह बिना चिकित्सा के चाकसू में ही मर गया ?

(ग) अब तक चाकसू में डाक्टर न भेजे जाने का क्या कारण है और अब सरकार उक्त अस्पताल में कब तक डाक्टर भिजवा देगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (राजस्व मंत्री)—इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या ७३८ दिनांक १. ५. ५६ को दिया जा चुका है।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—बिना डाक्टर के यह अस्पताल कितने अर्से तक चलता रहा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उत्तर दिया जा चुका है और डाक्टर वहां जा चुका है।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि बिना डाक्टर के वह अस्पताल कितने महीनों तक चलता रहा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जवाब दिया जा चुका है पहले और डाक्टर भी चला गया है।

प्रश्न संख्या ८६७

तहसील सूरतगढ़ के ग्रामों में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों में व्यय हुई धनराशि

श्री मनफूलसिंह—क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 26

[श्री मनफूलसिंह]

(अ) सूरतगढ़ तहसील में पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी कितनी रकम किन किन गांवों में किस किस कार्य पर खर्च की गई है ?

(ब) यदि खर्च नहीं की गई तो क्यों ?

(स) क्या मंजूर हुई रकम लेप्स हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री):—(अ) सूरतगढ़ तहसील में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में २९,७०० रु० खर्च हुआ।

(ब) सूचि संलग्न है। एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया देखिये परिशिष्टसंख्या ४)

(स) प्रश्न नहीं उठता है।

(द) हां। गांवों में इकट्ठी होने वाली रकम के समय पर इकट्ठी न होने के कारण ८३००) रु० लेप्स होगया।

प्रश्न संख्या ८६८

बूंदी शहर की बन्द स्ट्रीट लाइटों को पुनः चालू करना

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) बूंदी शहर की स्ट्रीट लाइट कब से बन्द हैं और क्यों ?

(ख) क्या सरकार शीघ्र ही इन्हें जलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री):—(क) बूंदी शहर की स्ट्रीट लाइटें दिनांक २६. २. ५६ से २. ३. ५६ तक म्युनिसिपल बोर्ड वह इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के आपसी हिसाब के झगड़े की वजह से बन्द रही थी। अब वापिस चालू हो गई हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

महाराज श्री केसरीसिंह—किस बात का झगड़ा था। कौन से हिसाब का झगड़ा?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—म्युनिसिपल बोर्ड का इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी में बकाया था और इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के बिजली के खर्चे की रकम म्युनिसिपल बोर्ड में बकाया थी। दोनों का अब एग्रीमेंट होगया है और २-३-'५६ से रोशनी चालू कर दी गई है।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या यह सत्य है इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी की मोटरों को अटेच कर लिया गया था ?

श्री बद्री प्रसादगुप्ता—यह तो मेरी जानकारी में नहीं है। आप सूचना बता रहे हैं।

प्रश्न संख्या ८६६

नांगल से राजस्थान में ली जाने वाली बिजली से लाभ प्राप्त करने वाले भाग

श्री मनफूलसिंह—क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या कारण है कि नांगल से राजस्थान में बिजली लेने का कार्य अभी तक नहीं के बराबर हुआ है ?

(ब) नांगल से ली जाने वाली बिजली राजस्थान के किस हिस्से तक पहुंचेगी और इसका काम कब तक पूरा होगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—(क) कार्य की वर्तमान प्रगति का नहीं करना निम्न कारणों के फलस्वरूप है:—

(१) ट्रान्समीशन लाइन के सब स्टेशन का कार्य जिससे कि राजस्थान को शक्ति मिलने की बात निर्भर है वह पंजाब का पी. डब्ल्यू. डी विभाग के द्वारा किया जायगा और उन्होंने इस कार्य को पूरा करने का समय १९५७ के अन्त तक का दिया है।

(२) भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड ने इस कार्य को हाथ में लेने की स्वीकृति दिसम्बर, १९५४ में दी थी।

(३) ट्रान्समीशन लाइन के लिए सामान की उपलब्धि नहीं हुई।

(४) ट्रान्समीशन लाइन के सब्स्टेशन के लिए सप्लाई की लम्बी अवधि।

[श्री रामचन्द्र चौधरी]

(४) कर्मचारी वर्ग के सीमित अधिकारों तथा कर्मचारी वर्ग की जरूरत के मुताबिक कमी रहने के कारण।

(व) भाखरा से बिजली ६१ स्थानों को दी जायगी। जिसकी सूचि सदन को मेज पर रख दी गई है और माननीय मेम्बर को दे दी गई है। यह आशा की जाती है कि यह कार्य ५८ के आरम्भ में पूरा हो जायगा।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री मनफूलसिंह—क्या यह सही है कि राजस्थान के हिस्से की बिजली राजस्थान को न देकर किसी दूसरे प्रान्त को दे दी गई ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—यह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष—श्री महादेव प्रसाद बंका।

प्रश्न संख्या ८७०

राजस्थान के कर्मचारियों को निश्चित समय के अतिरिक्त कार्य करने पर भत्ता

श्री महादेवप्रसाद बंका—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान के कर्मचारियों के काम करने के कितने घंटे सरकार ने निर्धारित कर रखे हैं ?

(२) क्या निर्धारित घंटो के अलावा काम करने वाले कर्मचारियों को कुछ भत्ता दिया जाता है ?

(३) यदि हां, तो प्रति घंटा क्या और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(मुख्य मंत्री) (१) कर्मचारियों से ग्रीष्म काल में ५ घन्टे तथा अन्य काल में प्रति दिन ६ घंटे की औसत से काम लिया जाता है।

(२) अतिरिक्त समय के लिए कोई भत्ता या वेतन तो नहीं दिया जाता परन्तु यदि किसी कर्मचारी को छुट्टी के दिन बुलाया जावे तो उसके बदले में क्षतिपूर्ति के लिए छुट्टी दी जाती है।

(३) १ के कारण इस प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री उपाध्यक्ष—श्री मनफूलसिंह।

प्रश्न संख्या ८७१

सूरतगढ़ गौशाला हेतु अकाल सहायतार्थ दी जाने वाली धन राशि लेप्स होना

श्री मनफूलसिंह—क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(अ) क्या सूरतगढ़ गोशाला के लिए अकाल सहायतार्थ दस हजार रुपये मंजूर हुए थे?

(ब) क्या कारण है कि यह रकम नहीं दी गई और लैप्स हुई?

(स) क्या सूरतगढ़ तहसील में इस वर्ष भी अकाल है?

(द) क्या इस वर्ष सूरतगढ़ गौशाला को अकाल सहायता दी जावेगी?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)— (अ) जी हां। सन् १९५५-५६.

(ब) महालेखापाल के कार्यालय से टेजरी ऑफिस में नये वर्ष की राशि की अदायगी की सूचना न जाने से।

(स) सूरतगढ़ तहसील के कुछ गांव अभावग्रस्त हैं।

(द) सरकार के विचाराधीन है।

श्री हंसराज आर्य—इस सूचना के पहुंचने की आशा कब रखनी चाहिये?

श्री दामोदरलाल व्यास—कौनसी सूचना?

श्री हंसराज आर्य—महालेखापाल से सूचना नहीं गई थी वह?

श्री दामोदरलाल व्यास—चली गई है। गये साल नहीं गई थी।

श्री हंसराज आर्य—अब मिलेगी या नहीं?

श्री दामोदरलाल व्यास—जरूर मिलेगी?

श्री हंसराज आर्य—कब तक मिलेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास—जल्दी ही।

श्री हंसराज आर्य—जल्दी के माने एक साल या दो साल ।

श्री दामोदरलाल व्यास—जल्दी के माने जल्दी होता है,जितना शीघ्र हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री रामदयाल उपाध्याय ।

प्रश्न संख्या ८७२

ग्राम बामनवाटी (तहसील जमुवा रामगढ़) में पटवार घर के मकान को पंचायत बोर्ड रायसर द्वारा बेचना

श्री श्रीदास गोयल (श्री रामदयाल उपाध्याय की ओर से)—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे:—

(१) क्या ग्राम बामन बाटी तहसील जमवा रामगढ़ में पटवार घर के लिए मकान है ?

(२) क्या इस मकान को पंचायत बोर्ड रायसर ने बेच दिया है ?

(३) पंचायत घर को वेचने के विषय में तहसीलदार जमवारामगढ़ की क्या रिपोर्ट है ?

(४) इस सम्बन्ध में पटवारी ने जो रिपोर्ट तहसील में भेजी है उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्र दामोदरलालव्यास (राजस्व मन्त्री)— (१) जी हां ।

(२) जांच की जा रही है ।

(३) अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आयी है । रिपोर्ट जल्दी ही मंगाई गई है ।

(४) जांच की जा रही है ।

श्री श्रीदास गोयल—फिर पटवारी के लिए इंतजाम क्या है सरेदस्त ?

श्री दामोदरलाल व्यास—पटवार खाने के लिए पूछा था । उसके लिए जांच की जा रही है पटवारी हमेशा से जहां रहता है वहीं रहता है ।

प्रश्न संख्या ८७३

श्री उपाध्यक्ष—श्री छीतरलाल ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित, कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ८७४

जहाजपुर में म्युनिसिपल कमिटी की स्थापना की शीघ्र व्यवस्था करने सम्बन्धी ।

श्री श्रीदास गोयल— (श्री रामदयाल उपाध्याय की ओर से) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;

(अ) जहाजपुर में म्युनिसिपल कमेटी कब तक कायम की जावेगी ?

(ब) अब तक कायम नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(अ) सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार जिन जिन स्थानों की आबादी ५००० या अधिक थी उनमें जहाजपुर का नाम नहीं आता ।

अतः एक्ट की धारा ६ के प्रावधान (ii) के अनुसार नई म्युनिसिपल बोर्ड नहीं कायम की जा सकती है ।

(ब)इसका उत्तर 'अ' भाग में दे दिया गया है ।

श्री श्रीदास गोयल—५ हजार से अधिक आबादी जिनकी है क्या सरकार वहां नई म्युनिसिपेलिटी खोलने की कोशिश कर रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अभी जनगणना की रिपोर्ट नहीं आयी है ।

श्री श्रीदास गोयल—जनगणना तो दस वर्ष में होती है । अगर बीच में ही किन्हीं कस्बों की जन संख्या ५ हजार से अधिक हो गई और वह ओथेन्टिकेट पायी गई तो क्या वहां म्युनिसिपेलिटी खोलने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह विचार किया जा सकता है ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या जहाजपुर के बारे में भी दुबारा विचार किया जा रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जी हां, रिपोर्ट आने पर विचार किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—श्री धूलजी भाई।

प्रश्न संख्या ८७५

बांसवाड़ा जिले में राजकीय कन्या पाठशालायें एवं उनमें अध्यापकों का समूचित प्रबन्ध करना

श्री धूलजी भाई भावसार—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) बांसवाड़ा जिले में राजकीय कन्या पाठशालाओं की कितनी संख्या है?

(२) इनमें से अब तक कहां कहां अध्यापिका नहीं पहुंची और ऐसे स्थान कितने खाली हैं?

(३) परनापुर कन्या पाठशाला में छात्र संख्या कितनी है और वहां कितनी अध्यापिकायें काम कर रही हैं तथा कितनी कक्षा तक पढ़ाई होती है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (शिक्षा मंत्री)—(१) २४।

(२) ऐसी कोई कन्या पाठशाला नहीं है जहां पर अध्यापिकायें न भेजी गई हो।

(३) १०१ छात्रायें। दो अध्यापिकायें कार्य कर रही हैं और कक्षा ५ तक पढ़ाई होती है। एक और अध्यापिका को भेजने की व्यवस्था कर दी गई है।

श्री धूलजी भाई भावसार—परतापुर की स्कूल में एक अध्यापिका ही काम कर रही है दो साल से वहां २५० लड़कियां पढ़ती हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसमें तो १०१ लिखा है। इसमें परनापुर हो गया है इसलिए परतापुर का अन्दाज न लगा हो। प्रश्न में लिखा है 'परनापुर'।

(हंसी)

श्री धूलजीभाई—प्रश्न का जवाब बराबर नहीं आया?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जवाब नहीं आया है, लेकिन इसमें लिखा है परनापुर। बांसवाड़ा में परनापुर मिलना ही मुश्किल है।

श्री धूलजीभाई—बांसवाड़ा में परतापुर तो नहीं है। परतापुर ही है। इसका जवाब ठीक ठीक मिलना चाहिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को बता दूंगा कि परतापुर में १०१ लड़कियों की जो तादाद बतायी गई है वह गलत हो सकती है, और बात कर लें।

श्री धूलजी भाई भावसार—वहां २५० लड़कियां पढ़ती हैं और उनको एक अध्यापिका ही पढ़ाती है। वहां तीन अध्यापिकाओं की आवश्यकता है। पांचवी कक्षा तक पढ़ाई चलती है। इसकी जांच कराई जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—और अध्यापिकाओं की आवश्यकता हुई तो और भेज दी जायेंगी।

श्री उपाध्यक्ष—Postponed Questions.

प्रश्न संख्या ६१८

(दिनांक २४ अप्रेल, १९५६ का ता० प्रश्न)

किशनगढ़ वास प्रोजेक्ट में २ हरिजन चपरासियों को लेने का विज्ञापन किन्तु हरिजन चपरासियों को न लेना—

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या योजना मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सत्य है कि गत वर्ष किशनगढ़ बास प्रोजेक्ट में २ हरिजन चपरासी लिये जाने के लिए पोस्ट एडवरटाइज़ की गई थी?

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त सूचना पत्र (एडवरटाइज़मेन्ट) की एक प्रति तहसील कार्यालय में भी चिपकाई गई थी?

(ग) यदि हां, तो उन जगहों के लिये कितने हरिजनों के आवेदन पत्र प्रोजेक्ट अधिकारी के पास आये?

(घ) उन आवेदन पत्रों में से किस किस हरिजन को उक्त जगहों पर रखा गया कृपया उन के नाम, जाति सहित बतलाने की कृपा करें?

(ङ) यदि हरिजन नहीं लिये गये तो क्यों?

श्री रामकिशोर व्यास (योजना मंत्री)—(क) हां।

(ख) आवेदन पत्रों में केवल एक हरिजन का आवेदन पत्र था।

(ग) जिस हरिजन का आवेदन पत्र था उसकी नियुक्ति नहीं की गई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अन्य व्यक्ति अधिक उपयुक्त पाये गये।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—क्या यह सही है कि पोस्ट्स एडवरटाइज़ करते वक्त यह लिखा गया था कि हरिजनों को उन पोस्ट्स पर लिया जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी हां। यह सही है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—हरिजनों की एवज़ में जिन सवर्णों को लिया गया उनके नाम, जाति क्या हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह अलग से सवाल पूछिये।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—यह तो इसमें सम्बन्धित है। इसमें पूछा गया है कि उन आवेदन पत्रों में से किस किस हरिजन को उक्त जगहों पर रखा गया कृपया उनके नाम, जाति सहित बतलाने की कृपा करें ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने निवेदन किया कि केवल हरिजनों के लिए ये जगहें नहीं थीं। एडवराइज़मेन्ट में यह लिखा था कि हरिजनों को प्रिफरेन्स दिया जा सकता है। उनसे अधिक क्वालिफाइड थे उनको लिया गया।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—उन जगहों पर किस किस को लिया गया महरबानी करके उनके नाम जाति बता दीजिये ?

श्री रामकिशोर व्यास—और लोग उपयुक्त पाये गये उनको लिया गया।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—उन लोगों के लिए क्या क्राइटेरिया रखा था, यह क्या एडवरटाइज़मेंट करते वक्त बताया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास—उसमें यह है कि अगर इक्वल क्वालिफिकेशन्स के आदमी मिलेंगे तो उनमें हरिजनों को प्रिफरेन्स दिया जावेगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—क्या क्वालिफिकेशन रखी है, यह एडवरटाइज़मेंट करते समय बताया या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने बताया कि अगर इक्वल क्वालिफिकेशन्स के लोग मिलेंगे तो उनमें हरिजनों को प्रिफरेन्स दिया जायगा यह था।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—क्या यह सही है कि जो दो व्यक्ति लिये गये हैं वे सिफारिशों के आधार पर लिये गये हैं ? किसी क्राइटेरिया पर नहीं लिये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास—जो लोग नहीं लिये गये वे ऐसी ही शिकायतें करते रहते हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—क्या यह सही है कि हरिजनों को नाम मात्र का रिजर्वेशन दिया जाता है और दूसरे लोगों को ले लिया जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास—आप ज्यादा उलझन में पड़ते हैं। हरिजन जिसके लिए कहते हैं, उसकी आंख में खराबी थी, और अनपढ़ भी था। दूसरे लोग पढ़े लिखे थे।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—उनको टेम्पोरेरी रखा गया या परमानेन्ट ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं आशा करता हूं कि नियुक्ति के मामलों में ऐसा नहीं चाहेंगे कि चाहे आंख ठीक न हो, पढ़ा लिखा न हो और उसको नियुक्त कर लिया जाय ?

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या हरिजनों को मजबूर किया जाता है कि निजी काम करें नहीं तो उपयुक्त नहीं है ?

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं जनरल तौर पर बताऊं कि उनको मजबूर नहीं किया जाता है कि निजी तौर पर काम करें।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—मैं यह बता देना चाहता हूं कि जानबूझ कर हरिजनों की अवहेलना की गई। मैं चेलेन्ज करता हूं कि हरिजनों को जानबूझकर नहीं लिया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि जब यह बताया गया कि आंख खराब होने से नहीं लिया गया, उससे अवहेलना का स्टेन्डर्ड कायम होता है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री— क्या डाक्टर का सर्टिफिकेट पेश किया गया था कि उसकी आंख खराब है या अधिकारियों ने ही देख लिया था ?

श्री रामकिशोर व्यास— इस में डाक्टर के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हरिजन पहले रखे जा चुके हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री— अभी उनको टेम्पोरेरी रखा गया है या परमानेन्ट रखा गया है ? हरिजनों को भी चान्स मिलेगा या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास— जैसे जैसे जगह होगी वैसे वैसे चान्स मिलेगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री— उनको टेम्पोरेरी या परमानेन्ट ....

श्री उपाध्यक्ष— अब प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब म्युनिसिपल बिल लिया जायगा।

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १६५६
(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

प्रकरण १३

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता-- (स्वायत्त शासन मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, चेप्टर १३ में क्ला ३१० से ३२५ है जिनको सब्स्टीट्यूट करने के लिये में प्रस्ताव करता हूं कि इस चेप्टर के ब नये चेप्टर १३ में क्लॉज़ ३१० से ३२० तक नये क्लॉजेज सब्स्टीट्यूट करदिये जांय इस संबंध में इ ही निवेदन करूंगा कि इस चेप्टर के बारे में सब का एग्रीड सोल्यूशन के रूप में ये आधार म्युनिसिपल सर्विसेज़ को इंडिपेन्डेन्स और सेफ गार्ड दिया गया है ताकि म्युनिसिपलटीज़ का अच्छी तरह से चल सके इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सब ने मिल कर इस चेप्टर रिड्राफ्ट किया है मेरा निवेदन है कि जैसा रिड्राफ्टेड चेप्टर है उसी तरह से इसे पास किया जाय

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो क्लॉज़ेज़...

श्री शम्भुसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, इन क्लाज़ेज़ पर मेरे अमेन्डमेन्ट्स हैं।

श्री उपाध्यक्ष—सबसे डिस्कस करके तय किया गया है, अब फिर क्या रह गया ?

श्री शंम्भुसिंह—मुझको कंसल्ट नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष— क्लॉज ३१० पर भी आपका अमेन्डमेन्ट है क्या ?

श्री शंभुसिंह—जी हां, इसमें भी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेंट इस प्रकार है।

श्री भीमसिंह—सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—जरा जोर से बोलिये।

श्री शम्भुसिंह—Delete from sub-clause (3) of clause 310 parts (a) (b) and (c) and substitute them by the following:

"an enquiry into the conduct is made subject to rules and regulations applicable to other Government officials."

माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ ३१० के अन्दर यह प्रोविजन किया गया है कि एग्ज़ीक्युटिव ओफिसर को रिमूव करने के लिये बोर्ड के दो तिहाई सदस्यों को मेजोरिटी से प्रस्ताव पास किया जायगा तो उसको रिमूव किया जा सकेगा या दो सकसेसिव मीटिंग्ज़ में आधे सदस्यों की उपस्थिति से रिजोल्यूशन पास किया जायगा तो उसको रिमूव किया जा सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, बोर्ड्स की सरविसेज़ को भी गवर्नमेंट सरविसेज़ के स्तर पर लाने के मकसद से मैंने अमेन्डमेंट पेश किया है। बोर्ड की सरविसेज़ भी उतनी ही सीक्योर होनी चाहिये जितनी गवर्नमेंट की सरविसेज़ हैं। उनको भी उसी हालत में रिमूव किया जाना चाहिये जब कि उनके कंडक्ट के मुतल्लिक गवर्नमेंट के ओफिसर्स नहीं करलें तब तक रिमूव नहीं करना यह नहीं होना चाहिये कि ऐसे रिजोल्युशन पास करके उनको रिमूव कर दिया जाय। जब हम यह देखते हैं कि पूर्ण और हर प्रकार से कंपिटेन्ट रूल्स और रेगुलेशन्स गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं तो फिर उनके अलावा दूसरा तरीका क्यों अख्त्यार किया जाय। गवर्नमेंट की सरविसेज के लिये रूल्स बने हुए हैं जिनकी तहत सरविसेज़ गाइड होती हैं चाहे अपोइन्टमेंट, प्रमोशन का मामला हो चाहे रिमूवल का प्रश्न हो उन रूल्स के के तहत ही गाइड होना चाहिये ताकि सरविसेज़ सरटेन्टी और सेफगार्ड महसूस कर सकें और पूरे दिलोजानसे सेवाएं अंजाम पहूंचा सकें यह नहीं होना चाहिए कि म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर्स और चेयरमेन की स्वीट विल पर सरविसेज़ को छोड़ दिया जाय, यदि सरविसेज़ को उनकी स्वीट विल पर छोड़ा जायगा तो मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। मैं नहीं जानता कि नये अमेंडमेंट्स किस प्रकार के हैं लेकिन मैं यह जानता हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन जैसा कोई कमीशन म्युनिसिपल सरविसेज़ की भरती आदि के लिए नहीं रखा गया है जो सरविसेज़ को रेगुलेट करने वाला हो जहां तक मैं समझता हूं नये अमेंडमेंट्स में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई हैं। इसलिये यह उचित है कि गवर्नमेंट सरविसेज के बारे में जो रूल्स हैं उन्हीं की तहत में किसी म्युनिसिपल सरवेंट का मिस कंडक्ट प्रूव हो जावेगा तभी उसको रिमूव किया जाय नहीं तो कुनबा परस्ती शुरू हो जायगी और चेयरमेन अपने रिश्तेदारों को या दूसरे जान पहचान वालों को एग्जीक्यूटिव ओफिसर बनाने की कोशिश करेगा। और बहुत संभव है कि चेयरमेन के रिश्तेदार एग्जीक्युटिव ओफिसर बन

[श्री शंभुसिंह]

जगह के लिये काबिल सिद्ध नहीं हों लेकिन उनको मुकर्रर करने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा और कुनबा परस्ती का कितना बुरा परिणाम होता हैं यह सभी जानते हैं। हर तरह से बुराई की ही अधिक संभावना है इस वास्ते गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वे एक तरह से अपने आप में बहुत अच्छे हैं और उन पर जब राजस्थान की सरविसेज़ गवर्न होती हैं तो क्यों नहीं म्युनिसिपल सरविसेज़ भी उनसे गाइड की जावे। इसलिए में क्लाज ३१० पर यह अमेंडमेंट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ ३१० से लेकर क्लॉज ३२५ तक जो क्लॉज़ेज़ डेफर किए गये थे उनके संबंध में एक संशोधन माननीय मंत्रीजी की ओर से पेश हुआ और उसके पश्चात् इन्हीं क्लॉज़ेज में एक संशोधन संयुक्त दल...

श्री उपाध्यक्ष—(स्वायत्त शासन मंत्री से) आपने सारे चेप्टर पर अमेन्डमेन्ट्स मूव किये हैं। लेकिन अलग २ क्लॉज़ेज पर अमेंडमेंट्स हैं इस लिये आप अलग अलग मूव कर दीजिये क्लॉज़ ३१० पर आपका अमेन्डमेंट पहले मूव कर दीजिए।

श्री भैरूंसिंह—पूरे चेप्टर को ही ले लिया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)— पूरे चेप्टर को ही ले लिया जाय। इन्होंने जो अमेन्डमेंट्स रखे हैं वे भी शामिल कर लिए जायं।

श्री उपाध्यक्ष—इन्होंने नये अमेंडमेंट्स की जानकारी करने की तकलीफ नहीं की

श्री शम्भुसिंह—मेरे अमेन्डमेन्ट्स क्लाज़ेज़ ३१० से ३१७ तक हैं, आप चाहे तो एक दम मूव करदूं।

श्रीउपाध्यक्ष—आपके सभी अमेन्डमेंट्स मूव्ड मान लिये जाय।

श्री मानसिंह मह्रार—अमेन्डमेंट्स तो क्लॉज़ बाई क्लॉज़ होने चाहिए नहीं तो बड़ी आकवर्ड पोजिशन हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छा तो क्लॉज़ ३१० को मूव्ड समझा जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ ३१० में जो अमेंडमेंट श्री शम्भुसिंह जी ने पेश किया है उसमें वे यह चाहते हैं कि :"Enquiry into the conduct is made subject to the rules and regulations applicable to other Government officials."

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

यह बात तो हमने जो नया ड्राफ्टेड क्लॉज़ ३१० है, उसमें ले ली है। उसमें यह बात आ गई है कि पी. एस. सी. की राय से, उसके रूल्स होंगे उसके मुताबिक, जिस तरह कि दूसरे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स लिये जाते है उसी तरह लिया जायगा। ऐसी सूरत में आपने जो अमेंडमेंट मूव किया है उसकी जरूरत नहीं है।

इसी प्रकार जो आपने दूसरे अमेंडमेंट्स मूव किये हैं, उनका समावेश भी इनमें हो गया है, इसलिये आपके इन अमेंडमेंट्स की आवश्यकता नही रहेगी।

रावत श्री शम्भुसिंह—मैं समझता हूँ कि म्युनिसिपल सर्विसेज़ के लिये कमीशन की व्यवस्था नहीं की गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—की गई है।

श्री भैरूंसिंह [दांता रामगढ़]—क्लॉज़ ३१० में दो संशोधन प्रस्तुत हुए हैं, एक तो स्वायत्त शासन मंत्रीजी की ओर से और दूसरा संयुक्त दल के महामंत्री की तरफ से दोनों की भावना एक है। वह संशोधन भी यही मांग करते हैं की एक कमीशन नियुक्त किया जाय और उस कमिशन के दो भाग कर दिये गये है, एक भाग यह को कुछ सर्विसेज में नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा की जायगीं, पी. एस. सी. के नीचे एक कमेटी मुकर्रर करके यह काम उसको सौंपा गया हैं और दूसरा चेअरमेन आफ दी बोर्ड के जिम्मे किया गया है, जिसकी अपील पी. एस. सी. तक हो सकती है! इसमें मेरी एक आपत्ति है। जो संशोधन श्री स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसमें लिखा है :

"as the Rajasthan Municipal Service and hereinafter referred to as the Service."

अब यहां सोचना यह है कि यहां पर राजस्थान म्युनिसिपल सर्विस ठीक रहेगा या राजस्थान लोकल बाडी सर्विस ठीक रहेगा। इसके लिये मेरी यह मान्यता है कि म्युनिसिपलटीज़ के सब कर्मचारियों को प्रोटेक्शन देने के लिये जो व्यवस्था की है उसी प्रकार की व्यवस्था पंचायत और डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के कर्मचारियों के लिये भी करनी पडेगी। तो फिर ऐसी सूरत में म्युनिसिपल सर्विसेज़ नाम से ऐसी व्यवस्था करेंगे तो वह सीमित होगी इन सारी चीजों के लिए एकही कमिशन होनाचाहिए। इस लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि म्युनिसिपल है वहां लोकलबोडीज सर्विसेजकर दें ताके आवश्यकता पडने पर पंचायतों के कर्मचारियों के लिये और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के कर्मचारियों के लिये इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़े उस समय पंचायत एक्ट में और डिस्ट्रिक्ट बोर्डस एक्ट में संशोधन ला कर पंचायत सर्विस कमीशन और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सर्विस कमीशन उत्तोलन करना पडे और तीनो चीजें एक नाम से संबोधित कीजा सकें, इस लिये म्युनीसिपल सर्वीसिज न रख कर लोकल बोडीज़ सर्विस कमीशन रख दिया जाय।

Page No 40

[श्री भैरोंसिंह दांता रामगढ़]

राजस्थान में म्युनिसिपैलिटीज़ बोर्ड के एग्जीक्युटिव ओफीसर्स, सेक्रेटरी, सेनीटरी इन्स्पेक्टर्स, एसेर्स आदी की नियुक्तियों के बारे में ऐसा था कि इससे राजनेतिक सत्तारुढ़ दल हमेशा फायदा उठाया करता था, जो दल सत्तारुढ होता था वह अपने अपने आदमीयों को रखने के लिये दूसरे दल के लोगो को हटा कर अपने अपने आदमियों को लगा देता था। इस लिये इन सवरेज़ को रेगुलेट करने के लिये हमने अपने सुझाव मन्त्री महादय के सामने पेश किये थे। दो एक सुझाव मुझे इस बारे में पेश करना है जिनसे यह चित्र स्पष्ट रुप से सदन के सामने आ जाता है कि किस किस प्रकार सत्तारुढ दल अपने अपने आदमीयों को इन पदों पर मनमाने ढ़ंग से पदारुढ़ करते हैं। इसके लिये मैं दो एक उदाहरण सदन के सामने पेश करना चाहूंगा। कोटा और जोधपुर में जो नियुक्तियाँ की गई हैं, मैं उनके उदाहरण पेश करूंगा।

(घंटी)

मैं यह निवेदन कर रहा था कि कोटा और जोधपुर में जो नियुक्तियां की गई हैं उनके उदाहरण पेश करूंगा। कोटा में आजसे करीब ड़ेढ साल पहले श्री आर. सी. माथुर को वहां का एग्जीक्युटिव ओफीसर मुकर्रर किया गया, न पी. एस. सी. द्वारा सेलेक्शन हुआ और न एप्लीकेशन्स काल की गईं, सिर्फ इस आधार पर लिया गया कि वह एक व्यक्ति से सम्बन्धित थे जो आज काग्रेस पार्टी के चीफ विप हैं, उनके ब्रदर इन ला हैं, इस लिये उनको २००=१०= ४०० रूपये के ग्रेड पर लिया गया। इसके बाद उनका ट्रान्स्फर जोधपुर किया गया। जोधपुर में जो सेक्रेटरी की पोस्ट है वह आर. ए. एस. की पोस्ट है और कुछ ही दिनों पर्व एक व्यक्ति का जो वहां सेक्रेटरी थे, उनका ट्रान्सफर वहां से इसी बिना है पर किया गया था कि वे आर. ए. एस. नहीं थे परन्तु इनको जो कि एक नेता के सम्बन्धी थे इसलिये जोधपुर ट्रान्सफर किया गया। १०० रुपया स्पेशल पे, १०० रुपया कार अलाउन्स, ५० रुपया हाउस रेंट, ६० रुपये डीयरनेस अलाउन्स इस तरह ४५० रुपया माहवार की तनख्वाह पर लगाया इस तरह राजनैतिक नियुक्तियां जो होती हैं उनको रोकने के लिये यह आवश्यक है कि इस प्रकार का कदम उठाया जाय।

एक व्यक्ति का और उदाहरण बताता हूं।

(घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष, मैं दो तीन उदाहरण और रखूंगा कि वाकई इस प्रकार का जो यह संशोधन रखा गया है उसका बहुत लोग कडा विरोध करेंगे। मान सिंहजी महार भी इसका विरोध करेंगे इसलिये मैं पहले ही अच्छी तरह से समझा दूं।

श्री उपाध्यक्ष—यह आवश्यक नहीं, इतना विरोध नहीं रहा है।

श्री भैंरूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह बताना चाहता हूं कि ऐसे राजनैतिक प्रोमोशन्स जो दिये जाते हैं, जिनमें इस प्रकार की धोखेबाजी है। अब मैं दूसरा उदाहरण पेश करता हूं; श्री श्यामसुन्दर लाल माथुर जोधपुर में ओवरसियर थे, वे भी उनके सम्बन्धी थे, उनको म्युनिसिपल इन्जीनियर के पद से एग्जीक्युटिव इन्जीनियर के पद पर आरूढ़ करा दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—इस डिटेल में आप न जाइये।

श्री भैंरूसिंह—मैं उदाहरण पेश कर रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष।

श्री उपाध्यक्ष—उदाहरणों में बड़ा टाइम लगता है।

श्री भैंरूसिंह—इसके बिना वे कन्विन्स्ड नहीं होंगे।

तो इस तरह दो साल बाद उनको ओवरसियर से एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर बनाकर किस तरह गवर्नमेंट सर्विस में लाया जाता है। ओवरसीयर का नाम हटा दिया, क्यों कि ओवरसियर म्युनिसिपल सर्विस में आजाता है, इसलिये उनको एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर बनाया गया, जिससे कि वे गवर्नमेंट सर्विस में आ जाते हैं। अपने भाई बन्धों को तरक्की देने के लिये इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है।

इतना ही नहीं माननीय उपाध्यक्ष, जिन लोगों को रिश्वत के कारण डिस्मिस कियाजाता है उन लोगों को एग्ज़ीक्युटिव ओफीसर बनाया जाता है।

गंगानगर में इस समय जो एग्ज़ीक्युटिव ओफिसर हैं वे सन १९५२ में झूंझनूं में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ओफीसर थे, उनको डिस्मिस किया गया पर राजस्थान की बदकिस्मती है कि वे आज गंगानगर में एग्ज़ीक्युटिव ओफिसर के पद पर काम कर रहे हैं। जनता की ओर से हाजरों रुपये रिश्वत लाने को इनके खिलाफ शिकायतें हैं, लेकिन उनकी कुछ भी सुनवाई नहीं होती, बल्कि इसके विपरीत उनको तरक्की दी जा रही है। उनका नाम राजेन्द्रप्रसाद गुप्ता है, नाम बता दिया ताके मन्त्री महोदय को जानकारी रहे, जयपुर डिविजन के वर्तमान कमिश्नर हैं उनके रिश्तेदार हैं और उनकी वजह से यह नियुक्ति हुई हैं। इस व्यक्ति के लिये आप इसकी गहराई में जावेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसको लेने के लिये श्री चतुर्वेदी, जयपुर म्युनिसिपल बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर से रिपोर्ट कराई जाती है कि इसको इस पद पर रखा जावे और उस रिपोर्ट को सेक्रेटेरियेट में भेजा गया। जयपुर का कोई एडमिनिस्ट्रेटर चाहे कि फलां व्यक्ति को फलां पद पर रखा जावे, यह उसके अधिकार के बाहर की बात थी। लेकिन यह केवल एक रचना मात्र था और उसको लेने के लिये इस प्रकार की व्यवस्था की गई। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमको इन बातों से सबक लेना चाहिये। कोटा में भी इसी प्रकार से कॉलेज में

[श्री भैरूंसिंह]

नियुक्ति कर दी गई और वह भी व्यास ही हैं। मैं यहां पर उनकी ज्यादा डिटेल्स में जाना नहीं चाहता। (घंटी) किसी तरह से किसी का वाजिब हक नहीं मारा जाना चाहिये। इसलिये जो संशोधन माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री मानसिंह महार— माननीय उपाध्यक्ष, सदन के समक्ष क्लॉज़ ३१० पर दो प्रकार के एमेंडमेन्ट्स आये हैं। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने फरमाया, उनके भाषण और माननीय मन्त्री महोदय के भाषण को सुनने के बाद मैं कुछ हद तक इस बात से कन्विन्स हो गया हूँ कि जो म्युनिसिपल सर्विसेज़ के लिये सरकार व्यवस्था कर रही है वह कुछ हद तक उचित है। इसके पहले मेरी यह निश्चित धारणा थी कि म्युनिसिपल सर्विसेज़ को जहां तक हो सके म्युनिसिपल बोर्ड के लिये ही छोड़ देना चाहिये और जब हमारी बातचीत चलती थी उस वक्त भी मैंने कहा था कि इस प्रकार के अधिकार म्युनिसिपल बोर्ड को देना चाहिये। हम इस बात को अब भी मानते हैं कि इस प्रकार के छोटे छोटे अधिकार उनसे छीन लिये जावेंगे तो वह ठीक तरह से अपना एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकेगी। अगर बोर्ड अपनी सर्विसेज़ का कन्ट्रोल करना चाहता है तो कन्ट्रोल होना चाहिये। हम आज देखते हैं कि राजस्थान में एक प्रकार से आई. ए. एस. का राज हो रहा है और कितनी ही कोशिश करने पर भी आप आई. ए. एस. और आर. ए. एस. ओफीसरों का कुछ नहीं बिगाड सकते। हां कुछ खुश किस्मत से जूनीयर आफीसरों पर शायद अपना पॉवर डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अब दुबारा जब इनका प्रान्तोंवार कोटा एलोट हो जावेगा तो दूसरे प्रान्तों के आई. ए. एस. आफीसर यहां आ जावेंगे तो यहां पर १०-१५ आई. ए. एस. आफीसर जो सरकार की जी हजूरी करते हैं फिर नहीं करेंगे। जिस प्रकार से आज यहां पर आई. ए. एस. राज्य हो रहा है उसी प्रकार म्युनिसिपेल्टीज़ में सर्विसेज़ का राज्य होना उचित नहीं। जिस प्रकार अभी साला और बहनोई की मिसाल मेरे पूर्व वक्ता ने दी कहीं पर किसी का साला और कहीं पर कोई किसी का बहनोई रखा जा रहा है, यह रोजमर्रा देखी हुई बात है। माननीय उपाध्यक्ष, म्युनिसिपेल्टी में मंत्रियों के अयोग्य और रिश्तेदारों को नियुक्त करने के लिये फिल्ड है। यदि हमारे मंत्रियों के रिश्तेदार दूसरी जगह कहीं सर्विस नहीं पा सकते हैं तो उनको किसी तरह से म्युनिसिपेलटी में घुसाया जाता है। (घंटी) और उनको आगे बढने के लिये मौका दिया जाता है। इस कारण से म्युनिसिपेल्टी के एडमिनिस्ट्रेशन में लेविज़टी जरूर आ गई है। हमारा जो मौजूदा स्तर है उसको देखते हुए माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने जो संशोधन रखा है उसको मैं उचित मानता हूँ और समझता हूं कि सदन इस संशोधन को सर्व सम्मिति से स्वीकार करेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायतों के बारे में माननीय सदस्य ने फरमाया उसके बारे में मैं यह कहूंगा कि यह कानून बोर्ड के सर्विसेज़ के बारे में है और जो पंचायत एक्ट और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में प्रोविजन

Page No 43

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

है उसको आप एमेन्ड नहीं कर सकते। इसलिये यह बात यहां पर रखो गई है। बाकी बात मैं पहले निवेदन कर चुका हूं। इसलिये इस पर अब अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री शंभुसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं अपना एमेन्टमेंट वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है।

(विराम)

अनुमति दी गई।

श्री शंभुसिंह—मैं क्लॉज ३१० पर अपना एमेन्डमेंट वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री गुलाबचन्द कासलीवाल।

[अनुपस्थित]

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३१० पर जो संशोधन श्री गुलाबचन्द कासलीवाल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने क्लॉज ३१० पर रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया। परिणाम स्वरूप क्लॉज ३१० नये रूप में विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ३११

श्री शंभुसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, इसमें मेरा संशोधन इस प्रकार है—

"Delete the words and brackets and substitute for parts (a), (b) and (c) in clause (3);—

[श्री शम्भुसिंह]

. 'an enquiry into the conduct of such officer is made subject to the rules and regulations applicable to other technical officers of the Government.' "

माननीय उपाध्यक्ष, ३११ की सर्विस को रेगुलेट करने के लिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। इसमें उसके रिमुवल के वास्ते सरकार ने प्रोविजन रखा है कि इस प्रकार की बातें जब तक नहीं हो जावें तब तक उसको रिमूव नहीं किया जा सकता।

माननीय मंत्री महोदय ने यह बात कही कि सर्विसेज़ के वास्ते एग्ज़िक्युटिव ऑफिसर या सेक्रेट्री के एपोइन्टमेंट के वास्ते पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा व्यवस्था की गई है। परन्तु जहां तक मैं समझता हूँ ३११ की तहत में जो टेक्निकल सर्विसेज़ के एपोइन्टमेंट का प्रश्न है, टेकनिकल सर्विसेज़ को आपने डाइरेक्ट एग्ज़िक्युटिव ओफीसर के अन्डर में कर दिया है। इससे मेरी मंशा पूरी नहीं होती। इसलिये ३११ में मुझे अपना संशोधन प्रस्तुत करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष, मेरा यह निवेदन है कि सेक्रेट्री के एपोइन्टमेंट को जिस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन को तहत रखा गया है उसी प्रकार टेक्निकल एपोइन्टमेन्ट भी डाइरेक्ट पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्डर में रखी जावे और दूसरी एपाइन्टमेंट भी एग्ज़िक्युटिव ओफीसर की तहत में नहीं होनी चाहिये। इस वास्ते अगर उनको रिमूव करने की आवश्यकता प्रतीत हो तो उसकी बाकायदा इन्क्वायरी कन्डक्ट के मुत्तलिक होनी चाहिये। जिस प्रकार सिविल सर्विस वालों के लिये यह कायदा है कि उनको इन्क्वायरी गवर्नमेंन्ट और पब्लिक सर्विस कमीशन करता है इसी प्रकार का प्रोविजन इसमें हन चाहिये। अगर मिस कन्डक्ट हो तो वैसी अवस्था में उनकी रिमूवल करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय इस संशोधन को प्रस्तुत करते हुए निवेदन करूंगा कि टेक्निकल सर्विसेज़ भी पी. एस. सी. द्वारा रेगुलेट की जानी चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस बात का उल्लेख कर रहे हैं वह बात ऑलरेडी क्लॉज़ ३१० में हम स्वीकार कर चुके हैं, जिसमें यह लिखा है:

"The service shall be divided into different categories, each cantegory being sub divided into different grades, and shall consist of officers, administrative as well as technical."

टेक्निकल ऑफिसर्स के लिये हमने क्लॉज़ ३१० में रखा है उनके खिलाफ कार्यवाही होगी तो क्लॉज़ ३१३ में जो प्रोविजन रखा है कि वह पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से होगी। जो बातें माननीय सदस्य कह रहे हैं वह ऑलरेडी है, इसलिये माननीय सदस्य अपने अमेन्डमेन्ट को वापिस लेंगे।

Page No 45

रावत श्री शम्भुसिंह— माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मंत्री महोदय ने जो स्पष्टीकरण किया, उससे मुझे सन्तोष हो गया। इसलिये मैं मेरे संशोधन को वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष— क्या सदन की अनुमति है कि क्लॉज़ ३११ पर जो संशोधन रावत शम्भुसिंहजी ने रखा है उसे वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

रावत श्री शम्भुसिंह— मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष— प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने क्लॉज़ ३११ पर रखा है, उसे स्वीकार किया जाय।

श्री श्रीमानसिंह— उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक तो यह संशोधन मूव नहीं हुआ है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सारा का सारा चेप्टर ही मूव कर दिया है।

श्री श्रीमानसिंह— उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने सारा चेप्टर तो मूव कर दिया किन्तु जब क्लॉज़ बाई क्लॉज़ विचार हो रहा है तो उन्हें संशोधन क्लॉज़ बाई क्लॉज़ मूव करना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३११ पर मेरा संशोधन मूव्ड समझा जा

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो नया क्लॉज़ ३११ रखा है वह जिस प्रकार से है उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान के अन्दर सिटी म्युनिसिपेलिटी और टाउन म्युनिसिपेलिटी जैसी चीजें आजकल मौजूद हैं। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि नयी उलझनों में क्यों पड़ा जाता है? जो क्लॉज मूव किया है वह इस प्रकार है:

"For the purpose of creating and constituting the service, the State Government may, by notification in the Rajasthan Gazette,-

(a) divide municipalities in the State into classes according to their income and other circumstances;

(b) transfer a municipality from one class to another class."

[श्री मानसिंह महार]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपेलिटीज़ का क्लासिफिकेशन दो भागों में ऑलरेडी मौजूद है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जो सब क्लॉज (ए) है उसके अन्दर इतना बड़ा सब क्लॉज़ है कि कह नहीं सकता कि इससे म्युनिसिपेलिटीज़ कितने भागों में बंट जायगी। अगर माननीय मंत्रीजी यह समझते हैं कि सिटी और टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ से काम नहीं चल सकता तो उसके लिये सिटी टाउन और एक तीसरी प्रकार की और म्युनिसिपेलिटी कर सकते हैं। मैं यह कहूंगा कि इसके लिये इस धारा का जो (ए) है उसके अन्दर 'इनटू क्लासेज़ थ्री' कर दिया जाय। इसमें 'थ्री' शब्द और जोड़ दिया जाता है तो उचित होगा। इस तरह से सात आठ क्लासिफिकेशन म्युनिसिपेलिटीज़ का करना उचित नहीं होगा। इसमें 'थ्री' शब्द जोड़ दिया जाय तो ज्यादा ठीक रहेगा।

अगर माननीय मंत्री महोदय इसको एक्स्प्लेन कर दें तो ज्यादा अच्छा रहता कि किस किस प्रकार का क्लासिफिकेशन होगा। मेरा सुझाव इसमें यह है कि इसके अन्दर (ए) जो है जहां 'इन टू क्लासेज़' है वहां 'थ्री' शब्द जोड़ दिया जाय। इससे यह मतलब होजायगा कि तीन से अधिक क्लॉसो में हम म्युनिसिपेलिटीज़ को विभक्त नहीं करेंगे, यह तो किसी हद्‌तक उचित होगा। अगर इससे अधिक में हम विभक्त कर देते हैं तो पचासों गडबड़ियां पैदा होंगी। मान लीजिये छः सात टुकड़े कर दिये तो यह होगा कि ७ नंबर की म्युनिसिपलिटी होगी तो वह कहेगी हमारा नंबर सात नहीं रहना चाहिये हमें तो पाचवें नंबर पर रखिये, तो इस प्रकार से कओर कई गडबडियां होंगी। अगर सिटी और टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ इन दोनों से काम नहीं चलता है तो तीसरी और कर दीजिये ज्यादा संख्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। आशा है माननीय मंत्रीजी मेरी बात को समझ गये होंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दिक्कित की बात नहीं हैं, म्युनिसिपेलिटीज़ ऑलरेडी इन्कम के लिहाज से विभक्त हो चुकी हैं और इसी प्रकार से काम सुचारु रूप से चल रहा है। बडी बडी म्युनसिपेलटी की आय २० लाख है, वे सिटी म्युनिसिपेलिटीज़ में आजाती हैं और जिनकी पांच सात हजार की इन्कम है वह टाउन म्युनिसिपेलिटीज में आजाती है इन दोनों का सामन्जस्य बिठाने के लिये ऑलरेडी म्युन्सिपेलिटज में आजाती है, इन दोनों का सामंजस्य बैठाने के लिए ऑलरेडी म्युन्सिपेलटीज का विभाजन हो चुका है इन्कम के लिहाज से। उनकी सर्विसेज़ ग्रेड आदि के लिये ऑलरेडी प्रोविजन कर रखा है, उसको नया रूप देने के लिये यह धारा रखी है इसमें गडबड होने का कतई अन्देशा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ३११ पर श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

परिणाम स्वरूप क्लॉज़ ३११ नये रूप में विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ३१२

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता–उपाध्यक्ष महोदय, जो नया क्लॉज़ रिड्राफ्ट किया गया है वह सर्कुलेट हो। चुका है मैं उसको मूव करता हूं।

श्री श्रीमानसिंह–आप अपने अमेंडमेंट को एक्सप्लेन करिये ताकि हमारी समझ में तो आवे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता–उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में निवेदन करूं कि यह क्लॉज़ ३१२ "Recruitment to posts in the Service" के बारे में है। जैसा कि हमने क्लॉज़ ३१० में प्रोवाइड किया है उसके अनुसार जो रेक्रूटमेंट, होगा उसके बारे में रिक्रूटमेन्ट का तरीका रखा गया है इसमें डाइरेक्ट रिक्यूटमेन्ट प्रोमोशन्स और टान्सफर्स से होने का है इसमें जो कन्डीशन्स होंगी जिस प्रकार स्टेट गर्वनमेन्ट के सर्वेन्ट्स के लिये जो टर्म्स और कन्डीशन्स हैं उसी प्रकार एक सर्विस से दूसरी सर्विस में ट्रान्सफर होना इत्यादि बातें इसमें हैं इसके अलावा और कोई बात नहीं है। आशा है सदन मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३१२ पर जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

परिणाम स्वरूप क्लॉज़ ३१२ नये रूप में विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ३१३

रावत श्री शम्भूसिंह–माननीय उपाध्यक्ष, गवर्नमेन्ट की ओर से जो अमेन्डमेन्ट हैं उससे मेरे संशोधन का मतलब हल हो जाता है इसलिये मैं अपना संशोधन मूव नहीं करना चाहता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता–माननीय उपाध्यक्ष, महोदय क्लॉज़ ३१३ में अपोइन्टमेन्ट्स बारे में प्रोविजन किया गया है। इसप्रकार की हमारी धारणा थी कि सर्विसेज़ को इन्डीपेन्डेंट करने के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन को गर्वमेन्ट सर्विस लेने के लिये जिस प्रकार कन्सलटेशन किया जाता हैं उसी प्रकार इन सरविसेज में कन्सल्ट करना चाहिये। यह क्लॉज़ इसी लिये रखा गया है। आशा है सदन द्वारा इसको स्वीकार किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष–प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ३१३ पर श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

Page No 48

श्री मानसिंह महार–उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक लफ्ज में खामी रह गई है। इसमें "As respect" की जगह As "regards" होना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह कोन्स्टीट्यूशन का वर्ड है इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ३१३ में श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

परिणाम स्वरूप यह क्लॉज़ ३१३ नये रूप में विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ३१४

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ३१४ पर श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे।

श्री मानसिंह महार—इस पर तो बोलना है साहब।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता–क्या बोलना है, मैंने स्पष्ट तो कर दीं सारी बातें?

श्री मानसिंह महार –इन्टीग्रेशन वाली बात पर बोलना है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता–कल डिस्कशन हो गया न। यह तो सिर्फ इन्टीग्रेशन की बात है। जो स्टेट सर्विस के लिये किया गया है वैसा ही इसमें किया गया है। कोई नई बात नहीं प्रोवाईड की गई है, उसी में से लिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ३१४ पर श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

परिणाम स्वरूप क्लॉज़ ३१४ नये रूप में विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ३१५

Page No 49

श्री शम्भुसिंह–इसमें मेरा एक संशोधन हैं और वह गवर्नमेन्ट के संशोधन से कवर हो जाता है इसलिये उसे प्रस्तुत नहीं करना चाहता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता–जैसा मैंने इसमें संशोधन रक्खा है उसे उसी रूप में स्वीकार किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने क्लॉज़ ३१५ पर प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

परिणाम स्वरूप क्लॉज ३१५ नये रूप में विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ३१६

श्री शम्भुसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ३१६ पर मेरा एक माइनर अमेन्डमेन्ट है

"Add the words through the Regional Employment Exchange or..."

श्री उपाध्यक्ष–इसको मूव करना चाहते हैं या वैसे ही कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री शम्भुसिंह—इसमें जहां तक पी. एस. सी. का सम्बन्ध है यह गवर्नमेन्ट के अमेन्डमेन्ट में भी है जिसमें पॉवर ऑफ अमेन्डमेन्ट का जिक्र है। क्लॉज ३१६ में इस वास्ते मैं यह मुनासिब समझता हूं कि अपोइन्टमेन्ट करते वक्त म्युनिसिपल बोर्ड रीजनल एम्पलोयमेन्ट एक्सचेंज से भी कन्सल्ट कर ले। चूंकि रीजनल एम्पलोयमेन्ट एक्सचेन्ज जो होता है उसके पास एक पूरी लिस्ट होती है कि किस किस्म के कितने व्यक्ति उसके पास हैं और म्यू० बोर्ड को किस किस्म के व्यक्ति की आवश्यकता है। इस प्रकार के व्यक्ति एक्सचेन्ज के थ्रू लेना ज्यादा आसान हो सकता है। इसमें योग्य व्यक्ति भी मिल सकते हैं और बेकारी भी दूर करने में सहायता मिल सकती है मैं समझता हूं कि इसको माननीय मन्त्रीजी भी स्वीकार कर लेंगे। इस वास्ते मैं अपने अमेन्डमेन्ट को इन शब्दों के साथ प्रस्तुत करता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह पी. एस. सी. की बात तो स्वीकार हो चुकी है और रीजनलों एम्पलोयमेन्ट एक्सचेन्ज की जो बात है उसके बारे में अलहदा नियम बने हुये हैं और उन नियम के अन्तर्गत उनके पास जो नाम आये हैं उनको उनसे कन्सल्ट करके छोटी बड़ी जितनी सर्विसेज़ हैं सब में पूछा जाता है। इसलिये निवेदन करूंगा कि जो इस बारे में संशोधन आया है वह माननीय सदस्य वापिस ले लेंगे। उनकी राय से तो अपोइन्टमेन्ट होगा ही बाध्य है सरकार। पी. एस. सी. कमीशन

Page No 50

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

में जो दरख्वास्तें देंगे तो वे कमीशन वाले खुद भी पूछ लेंगे, इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं होगी।

श्री शम्भुसिंह–माननीय मन्त्री महोदय ने जो स्पष्टीकरण किया उससे मुझे संतोष हो जाता है, इसलिये मैं अपने संशोधन को वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि उनको उनका संशोधन वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

श्री शम्भुसिंह—क्लॉज़ ३१६में अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष— जो संशोधन ३१६ पर श्री बद्री प्रसाद गुप्ता ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

परिणाम स्वरूप क्लॉज़ ३१६ नये रूप में विधेयक का अंग बना

(विराम)

क्लॉज़ ३१७

श्री शम्भुसिंह—मैं अपना संशोधन इस क्लॉज़ में मूव नहीं करना चाहता।

श्री मानसिंह महार—३१७ पर मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है कि उसके अन्दर यह बात रक्खी है:

"Subject to any general or special directions issued by the State Government, a Council or a Board, as the case maybe, may by resolution determine the number of assessors, sanitary Inspectors, other Inspectors and subordinate officers, accountants and ministerial establishment and other servants required for the municipality."

इसके अन्दर मेरी राय ऐसी है उपाध्यक्ष महोदय, कि -

[श्री मानसिंह महार]

"Subject to any general or special directions issued by the State Government.' यह चीज जो है इसको डिलीट कर दिया जाना चाहिये "A municipal council or a Board, as the case may by resolution determine..."

इस प्रकार से यह पढा जावे।

मैं यह चाहता हूं कि ...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—मैं स्पष्ट कर दूं कि म्यू० ने अपनी कैटेगरीज़ को क्लासिफाई किया है। इसके हिसाब से हम ब्लॉक्स फिक्स कर रहे हैं कि इसमें ऐसी ऐसी सर्विसेज़ होंगी। इसको लीगेलाइज़ करने को यहां लिया है। कोई नई बात नहीं है। वे तो डिसकस्ड हो चुकी हैं ऑलरेडी। इसको सिर्फ कानून का रूप देने के लिये यहां समावेश किया गया है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।

श्री मानसिंह महार— मन्त्रीजी ने फरमाया वह तो वाजिब है। पर मेरी यह शंका है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये अख्तियारात दिये जाते हैं तो आज तो, रेगुलेराइज़ करने की बात है पर आगे चलकर ऐसी कोम्पलीकेशी आ सकती है कि कोई म्यू० ऐसी हो जिसको स्टेट गवर्नमेंट आदेश दे कि अपने यहां तुम टैक्स लगाओ, यह करो वह करो, ऐसा आदेश देने की बात हो तो स्टेट गवर्नमेंट यह आज्ञा दे सकती है कि तुम इस प्रकार के इतने आदमी रक्खो। अगर उस म्यु० के बजट में इतने आदमियों को रखने की गुंजाइश न हो तो कहां से रक्खे ? इसमें जितनी उसकी मर्जी हो, जितने के लिये उसका बजट परमिट करे उतनों को रक्खे इसमें स्टेट गवर्नमेंट को नाराज क्यों होना चाहिये और क्यों कोई ऐतराज होना चाहिये।

(घंटी)

श्री बद्रीप्रसाद— खाली क्राइटेरिया फिक्स करने के लिये ही यह था। नहीं तो यह तो बोर्ड खुद ही डिटरमिन करेगा। हम तो यह कहेंगे कि इतने इतने रक्खो। अब वह जिसको चाहे जितने चाहे रक्खे। पचास महतर रखने जरूरी हम समझते हैं और वे चाहें तो तीस रक्खें। हमें क्या ऐतराज हो सकता है ? अपोइन्टमेन्ट करने का उनका हक है। हम तो जनरल डाइरेक्शन देते हैं और यह आलरेडी वर्किंग ऑर्डर में भी है, वह स्वीकार किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष— प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने क्लॉज़ ३१० पर रक्खा है वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

संशोधन स्वीकार किया गया ।
परिणाम स्वरूप क्लॉज़ ३१७ नये रूप में विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ ३१८

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—क्लॉज़ ३१८ पर जिस प्रकार से संशोधन रक्खा गया है पहले हमने टैकनिकल सर्विसेज़ और एग्ज़ीक्यूटिव सर्विसेज़ के लिये ही प्रोवाइड किया । असेसर, असिस्टेन्ट सेनीटर इन्सपेक्टर और मिनिस्टरियल स्टाफ रख सकते हैं । असेसरों के बारे में तो पहले ही तै कर चुके हैं कि असेसर, सेनीटरी इन्सपेक्टर, एकाउन्टेन्ट और मिनिस्टरियल स्टाफ का अपोइन्टमेन्ट के बारे में इस क्लॉज़ में यह प्रोविजन किया है कि कौंसिल या बोर्ड अपोइन्टमेन्ट करेंगे और इसकी अपील जो है स्टेट सर्वेन्ट्स की होती है उसी तरह से पी. एस. सी. में जावेगी ।

इस तरह से जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था कि तीन केटेगरीज़ बनाई हैं । एक टेक्नीकल स्टाफ और सेक्रेटरी को केटेगरी है जिनका पब्लिक सर्विस कमीशन के मार्फत एप्वाइन्टमेंट होगा । दूसरी मिनिस्टरीयल स्टाफ के बारे में है जिसका ३१८ में प्रोविज़न किया गया है और उसके लिये उस बोर्ड या कौन्सिल को एप्वाइन्ट करने का अख्त्यार दिया गया गया है । तीसरी सर्विस क्लास फोर्थ सर्वेन्ट्स की है, उनके बारे में बोर्ड को और वहां के कमिश्नर को इस तरह के अख्त्यार दिये गये हैं । मैं समझता हूं कि जिस तरह से इसमें प्रोवाइड किया गया है वह बिल्कुल ठीक है, इसको पास किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ३१८ पर श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।
परिणाम स्वरूप क्लॉज़ ३१८ नये रूप में विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ ३१९

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसमें, उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ अपील की मयाद के बारे में रखा गया है कि कितने दिन के बाद ऑफिसर चाहे तो अपील कर सकता है । तो यह अपील का प्रोवीज़न है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसलिये इसको पास किया जाय ।

Page No 53

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन ३१९ में श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

परिणाम स्वरूप क्लॉज़ ३१९ नये रूप में विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ३२०

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३२० में सिर्फ यह रखा गया है कि जो ऑफिसर होगा उनके ऑर्डर्स यह जो सबोर्डिनेट स्टाफ है मानेगा: यह जानते की बात है। वैसे वह मानते भी हैं और मानना भी चाहिये। उसको कानूनी रूप दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ३२० में श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

[स्वीकृत]

संशोधन स्वीकार किया गया। परिणाम स्वरूप क्लॉज़ ३२० नये रूप में विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ ३२१, ३२२, व ३२३ में कुछ नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ेज़ ३२१ से ३२५ के प्रोविज़न्स का समावेश इनके पेरलल क्लॉज़ेज़ में हो चुका है। इसलिये इनकी आवश्यकता नहीं। इसलिये क्लॉज़ेज़ ३२१ से ३२५ तक के क्लॉज़ेज़ को विलोपित किया जाय, ऐसा मेरा प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३२१, ३२२, ३२३, ३२४ और ३२५...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसमें से तीन क्लॉज़ेज़ ३२३, ३२४ और ३२५ ही रह जाते हैं, क्लॉज़ेज़ ३२१ और ३२२ तो पहले ही विलोपित किये जा चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष—पहले से विलोपित हैं तो अच्छा है, तीन रहे हैं।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ ३२३, ३२४ और ३२५ को विलोपित किये जायें।

Page No 54

[श्री उपाध्यक्ष]

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ ३२३, ३२४ व ३२५ विधेयक में से पृथक हुए ।

(विराम)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह ७, ८ शेडूल हैं। इन शेडूल्स पर कोई झगड़े की बात नहीं है । वह तो जाब्ते की कार्यवाही है इसलिये उनको पास किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तुत शेडूल नं० १ से ८ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

प्रस्तुत आठों शेडूल विधेयक के अंग बने।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सेकन्ड जो शेडूल है उसको सिलेक्ट कमेटी ने ओमिट कर दिया था। इसलिये १, ३, ४, ५, ६, ७ और ८ को स्वीकार किया जाय, शेडूल २ को छोड़ कर बाकी को, क्योंकि २ पहले से ही विलोपित है।

श्री उपाध्यक्ष—जो शेडूल नं० २ पहले से ही विलोपित है इसको पास करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी के ७ शेडूल हैं उनको पास किया। जो पहले ८ के लिये कहा गया है उसमें यह संशोधन है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह २ को तो ऑलरेडी सिलेक्ट कमेटी ने डिलीट कर दिया है, उसको पास करने की जरूरत नहीं है। बाकी के जो शेडूल हैं १, ३, ४, ५, ६, ७ और ८ इनको पास किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—नया प्रश्न कर देता हूं।

प्रश्न यह है कि शेडूल १, ३, ४, ५, ६, ७ और ८, इन सातों शेडूल्स को पास किया जाय।

(स्वीकृत)

यह सातों शेडूल विधेयक के अंग बने। दूसरा शिड्यूल विधेयक में से पृथक रहा।

(विराम)

क्लॉज़ १

Page No 55

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता [स्वायत्त शासन मंत्री]—इस क्लॉज़ के सब क्लॉज़ १ में '१९५४' के बजाय '१९५६' कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधन स्वीकृत हो।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉजं १, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

टाइटल व प्रीएम्बल।

(विराम)

प्रश्न यह है कि टाइटल एवं प्रीएम्बल स्वीकार किये जायं

(स्वीकृत)

प्रीयम्बल व टाइटल विधेयक के अंग बने

(विराम)

(श्री स्वात्तय शासन मंत्री से) आप आज ही चाहते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—फ्राइडे का रखा है। सबको कन्सोलिडेट करके थर्ड रीडिंग में देखेंगे।

राजस्थान भूमि-सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १९५४
(विचार-विमर्श स्थगित)

श्री उपाध्यक्ष—श्री दामोदरलाल व्यास।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, इस जागीर रिज़म्शन एक्ट के एमेंडमेन्ट एक्ट के ऊपर दूसरे एमेन्डमेन्ट्स माननीय सदस्यों ने पेश किये हैं और उन पर कुछ विचार करने की आवश्यकता है । इसलिये मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लेन्ड रिफॉर्मस एन्ड रिज़म्शन आफ जागीर्स (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १९५६, पर विचार विमर्श अभी फिलहाल स्थगित किया जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं इसको इसलिये स्थगित करना चाहता हूं कि कुछ संशोधन माननीय सदस्यों द्वारा पेश किये गये हैं, उनके ऊपर थोडा सा विचार करने की आवश्यकता है । हमको इनके अन्दर बहुत सी बाते हैं जिसमें यह देखने की जरूरत रह सकती है कि संशोधन विचार करने के योग्य है तथा रेलेवेन्ट भी हैं या नहीं है । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इस पर फिलहाल स्थगित कर दिया जाय विचार विमर्श और बाद में ले लिया जाय ।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर मेरा यह सुझाव है कि इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय ।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है । I want only...

श्री मानसिंह महार—माननीय मंत्रीजी इतने उत्सुक हैं सब को एकोमोडेट करने के लिये तो इसको पोस्टपोन करने के बदले में सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय ।

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—माननीय उपाध्यक्ष, अभी माननीय राजस्व मंत्री ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके संबन्ध में मेरी दो आपत्तियां हैं । माननीय उपाध्यक्ष, जब हमारे पास में परसों यह कार्य सूची पहुंची तो उस समय हमें पता लगा कि जो टेनेन्सी बिल और राजगामी संपत्ति नियमन विधेयक, म्युनिसिपल बोर्ड के विचार के पश्चात लिये जानेवाले थे उनके स्थान पर यह जागीर रिजम्प्शन और लगान पुनरावलोकन विधेयक दोनों को लिया जायगा । हमने उस दिन से इन दोनों के बारे में ही तैयारी की है और अमेन्डमेन्टस सदन में प्रस्तुत किये हैं । आज जिस समय इस बिल को लिया जाने वाला था उसके लिये माननीय मंत्रीजी ने यह कहा कि चूंकि अभी उन पर विचार करना है, विचार करने का मौका नहीं मिला है इसलिये उसको स्थगित किया जाय । मैं यह निवेदन करूंगा कि पहला तो इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में विचारार्थ भेजने का प्रस्ताव है । आपको कम समय मिला इस पर विचार करने के लिये और आप समय लेना चाहते हैं, इसलिये वह मिल जायगा और फिर हम उस पर क्लॉज़ बाई क्लॉज़ विचार करेंगे ।

माननीय उपाध्यक्षजी, मेरी पहली आपत्ति यह है कि इस कारण से मौके का फायदा माननीय मंत्रीजी उठा सकते है । दूसरी आपत्ति यह आती है माननीय उपाध्यक्ष, कि यदि कार्य सूची इसको पहले ही से स्थगित किये जाने की सूचना मिलता तो वह दूसरी बात थी, लेकिन जब इस प्रकार की सूचना ही नहीं मिली और मौके पर यह कहें की चूंकि इस को स्थगित कर दिया जाय

[श्री भैंरूसिंह]

और आगे का बिल ले लिया जाय, यह उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। वह इस कारण से कि, मेरी ऐसी मान्यता है, कि सदन में हरएक सदस्य हर विषय पर इस प्रकार से पारंगत हो कर आये, उस पर तैयार होकर यह संभव नहीं है। हमें यह सूचना थी कि आज जागीर रिजम्प्शन एक्ट लिया जायगा, हम उसकी तैयारी करके आये और उनकी मंशा भी थी और हम भी ऐसा समझते थे कि आज इसको लिया जायगा। अब यह प्रश्न सामने है कि अगर इसको स्थगित किया जाय तो दूसरा बिल लिया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि अगर इस बिल को आज स्थगित किया जाता है तो फिर दूसरा बिल आज न लिया जाय और हाउस की कार्यवाही को भी स्थगित किया जाय। यदि दूसरा नहीं लिया जाय तो फिर इसको लिया जाय और हाउस की कार्यवाही चले। हमारी कन्वीनियेन्स को ध्यान में रखते हुए हाउस की कार्यवाही अगर दूसरा लिया जाता है, तो स्थगित की जाय। और अगर हाउस की कार्यवाही स्थगित न की जाय तो माननीय मन्त्रीजी ने जो सुझाव रखा है उसको गलत करार देकर रद्द किया जाय। मैं सारे विरोधी दल की भावना को दृष्टि से कहना चाहूंगा कि हमको यह बहुत ही इस प्रकार से इन्कन्वनियेन्ट होगा। हमें अकमोडेट करने के लिये हमारी भी सुविधा का खयाल रखा जाना चाहिये। अगर हमारी ओर से स्थगित करने का सुझाव हो तो उसको स्वीकार करें। उनकी कन्विनियेन्स के लिये हमें इन्कन्विनियेन्स में डाल दिया जाय यह वाजिब नहीं है और यह जो प्रस्ताव आया है सामुहिक भी नहीं है और इन ऑर्डर भी नहीं है।

राज श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जैसा कि प्रोग्राम है प्रथम तो उसी माफिक चलना चाहिये। अगर अमेन्डमेन्ट्स आ गये हैं तो उनकी सूचना मिनिस्टर महोदय को मिल चुकी है और उसके लिए उनको तैयार होकर आना चाहिये था। लेकिन फिर भी न मालूम किन्हीं कारणों वश अपने को तैयार नहीं बताते हैं तो हम लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं है कि इसको पोस्टपोन कर दिया जावे और साथ ही साथ यह भी निवेदन करूंगा कि आगे का जो प्रोग्राम है उसको न लिया जाय, क्योंकि लोग उस पर तैयार होकर नहीं आये हैं। हमको मौका देना वाजिब है। अगर इस तरह से ये बिल पास हो जावेंगे तो वह भी वाजिब नहीं होगा। दोनों के बारे में यही बात हो सकती है कि अगर इसको पोस्टपोन किया जाय तो फिर हाउस को भी पोस्टपोन किया जाय और अगर इसको लिया जाय तो फिर नहीं किया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं समझ सका कि इस एतराज का क्या कारण है? जो एजेन्डा ७. ८ तारीख के लिये सर्कुलेट किया गया है उसको अगर आप देखेंगे तो उससे विदित होगा कि दूसरे कई बिल भी इन तारीखों में रख दिये गये हैं जैसे कि राजस्थान लगान दर पुनर्विलोकन तथा वैधकरण विधेयक, १९५६, राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९५५, राजस्थान राजगामी सम्पत्ति नियमन विधेयक, १९५५। इनको न लेने का फिर क्या कारण है? मैंने यह बताया कि जागीर लैंड रिफोर्म्स एन्ड रिजम्प्शन ऑफ जागीरस (चतुर्थ संशोधन] विधेयक, १९५६ के सम्बन्ध में अमेंडमेंट्स काफी आगये हैं और उन पर विचार करना

[श्री दामोदरलाल व्यास]

आवश्यक है इसलिए इसको पोस्टपोन कर दिया जाय, लेकिन इसके साथ यह शर्त लगाई जाय कि चूंकि इसको पोस्टपोन कर रहे हैं इसलिए हाउस को भी स्थगित कर दिया जाय और आगे जो आज के एजेन्डे में बिज़नेस है वह न लिया जाय, यह उचित नहीं प्रतीत होता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आज की लिस्ट ओफ बिज़नेस में जो आगे का प्रोग्राम है उसको लिया जाय।

श्री भैंरूसिंह—ओन ए पोइन्ट ओफ ऑर्डर, सर माननीय उपाध्यक्ष, यह जो इस समय सदन में प्रस्ताव पेश किया गया है वह किस रूल के अनुसार माननीय मंत्रीजी ने सदन में ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सदन की कार्यवाही स्थगित करने के सम्बन्ध में कोई विचार इस तरह न लाया जाय इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यदि माननीय अध्यक्ष की ओर से कोई बात आती तो हम मान लेते, लेकिन कोई मेम्बर या सदन में विचारार्थ बिल प्रस्तुत करने वाले मंत्री हैं, उनकी ओर से ऐसा प्रस्ताव आ सकता है या नहीं और अगर आ सकता है और प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तो फिर हर मेम्बर को यह लिबर्टी है कि इस बिल को आज ही विचारार्थ लिया जाय और किस रूल के अनुसार वे मूव कर सकते हैं। तो हमारे बारे में निर्णय दें कि हम ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं या नहीं कि जिसके अनुसार यह बिल आये?

श्री उपाध्यक्ष—मूवर ओफ दी बिल चाहते हैं कि इसको मुल्तवी किया जाय और बिल के जो इन्चार्ज हैं उनकी खास जिम्मेवारी होती है, उसको देखते हुए ऐसे मौके पर मुल्तवी करते रहे हैं ऐसा कन्वेन्शन है। चूंकि वे आज बहस के लिए तैयार नहीं हैं इसलिए इसको मुल्तवी करके आगे का प्रोग्राम लिया जाय यह मेरी इसके लिए रूलिंग है।

श्री भैंरूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आज की कार्यवाही को स्थगित किया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—Ruling has been given.

श्री भैंरूसिंह—मैं अपने प्रस्ताव के पक्ष में निवेदन करना चाहूँगा।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—सदन की कार्यवाही स्थगित करने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि एजेन्डा का अगला आइटम मौजूद है। एजेन्डा इसलिए रखा है कि कोई कार्यवाही ऐसी हो कि जो उम्मीद से ज्यादा चलती हो तो दूसरे दिन लें। यदि यह स्थगित हो गया है तो अगला आइटम ले लीजिये। ४ नम्बर का जो आइटम है उसको ले लें।

श्री भैरूंसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। अगर आपका रूलिंग इस प्रकार का हो गया होता कि प्रस्ताव मैं मूव न करूं तो दूसरी बात थी, लेकिन रूल के अन्तर्गत मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इसके लिए सदन की अनुमति मांग लेता हूं।

श्री भैरूंसिंह—मुझे सदन के सदस्यों को कन्विन्स करने के लिए निवेदन करना है।

श्री सोहनलाल भटनागर—इसमें माननीय उपाध्यक्षजी, राय की आवश्यकता नहीं है। स्थगन प्रस्ताव के रूप में यदि यह आता तो उसके लिए अलग रूल्स हैं, लेकिन इस तरह से तो सदन की कार्यवाही में बाधा डालना है।

श्री भैरूंसिंह—अगर कोई विशेष परिस्थितियां होतीं तो उन पर विचार करने के लिए एडजोर्नमेंट मोशन लाया जा सकता है, लेकिन यदि साधारण परिस्थितियां हों, विशेष परिस्थितियां न हों और कोई इस प्रकार से इन्कन्वीनियेन्स हुई हो तो उस कारण से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही स्थगित करदी जाय।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन कर रहा था कि सदन में आज का जो एजेन्डा है जिसमें म्युनिसिपल बिल के सम्बन्ध में जो विवादास्पद धारायें थीं प्रथम तो उन पर विचार किया जायगा और उसके बाद हम ऐसा सोच रहे थे कि इसमें सदन का अधिकांश समय लग जायगा उन म्युनिसिपल बिल की विवादास्पद क्लॉज़ेज़ों को पास करने में और उसके बाद जो समय बचेगा उसमें जागीर रिज़म्प्शन संशोधन विधेयक सरकार की ओर से विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें लग जायगा और हम ऐसा मान कर आए हैं कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय और यदि सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव स्वीकार न हो तो उस हालत में जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं, उधर से भी कुछ माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये हैं जिनके लिए हमको आशा ही नहीं किन्तु पूर्णतः यह विश्वास था कि आज जागीर रिजम्प्शन एक्ट के सम्बन्ध में विचार होगा, कल भी होगा और यह आशा नहीं थी कि इसको स्थगित किया जा कर आगे के एजेन्डा में जो बिल रखे हैं उनको ले लिया जायगा। यह एक सबसे बड़ी समस्या है, जिस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाना है उसके ऊपर पूर्णतया जानकारी लेकर नहीं आये हैं और हर मेम्बर से यह आशा भी नहीं की जा सकती है कि बिल को एजेन्डा पर जो लिस्ट दी जाती है और जब लिस्ट आ जाती है तो अमेन्डमेंट लाकर सारे लिटरेचर को एक साथ लाकर, सारा एक साथ स्टडी करके आते। जो मौका मिलता है, जो विचारार्थ बिल लेते हैं उनकी पूरी तरह तैयारी करके आते हैं। यह आज एक गलत प्रकार की परम्परा होगी। यदि जिस समय विचारार्थ का स्टेज़ आवे उस समय प्रस्ताव करके इन्फ्लुएन्स डाल कर सरकार एजेन्डा में तब्दीलों करने की चेष्टा करती रहेगी और उसमें सफल होगी तो हमारी इन्कन्वीनियेन्स दिनों दिन बढ़ती रहेगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सदन की कार्यवाही आज

[श्री भैरूसिंह]
स्थगित की जावे और मन्त्रीजी चाहें तो कल इसी बिल को ले लिया जाय, नहीं तो दूसरे बिल को लिया जाय। मेरा निवेदन यह है कि मतदान से या और किसी तरह से इस बात को तय किया जाय।

रावल श्री शम्भुसिंह—उपाध्यक्ष महोदय....

श्री दामोदरलाल व्यास—यह मोशन एडमिट कर लिया गया है क्या ?

रावल श्री शंभुसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन की कार्यवाही को मुल्तवी करने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करना चाहता हूं। ७ और ८ तारीख को कार्यसूची हमारे सामने मौजूद है और सूची के अनुसार हमने हमरी तैयारी की। उस वक्त हमें यह आशा थी और जैसा कि हमने जागीर रिज़म्पशन और लेन्ड रिफॉर्म्स एक्ट में संशोधन पेश किया उस संशोधन पर लगातार दो दिन तक वाद-विवाद होने का ख्याल था। आज एकाएक माननीय राजस्व मंत्रीजी की तरफ से यह इच्छा प्रकट की गई है कि इस बिल को आज की कार्य सूची में रखा गया है लेकिन इसको आज ही न लेकर दूसरे कार्य को लिया जाय। मैं इसको अवैधानिक समझता हूं। रूल्स की प्रति हमारे सामने है उसको देखने से ज्ञात होता है कि इस प्रकार के संशोधन को बगैर २ दिन के पूर्व नोटिस के प्रस्तुत करना सदन के कार्य में एक तरह से बाधा डालना होगा और इसके परिणामस्वरूप माननीय सदस्यों को बहुत बड़ी असुविधा में पड़ना होगा। जबकि दूसरे काम के लिए माननीय सदस्य तैयार नहीं हैं तो आवश्यक है कि सदन की कार्यवाही आज के लिये स्थगित करदी जाय।

श्री मानसिंह महार—मैं दांता-रामगढ़ से आनेवाले माननीय मित्र के सुझाव का समर्थन करता हुआ हमारी कन्वीनियेन्स के बारे में दो शब्द व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, हम आप के राइटस को किसी प्रकार भी चेलेन्ज करना नहीं चाहते, आप किसी प्रकार की यह नहीं समझें कि हम आपके राइट्स पर कुछ करना चाहते हैं। किन्तु हमारा केवल निवेदन यह कि आप को सरकारी पक्ष से भी अधिक हम विरोधी पक्षवालों की सुविधा को ओर देखना चाहिये। आज कई दिन से जागीर रिजेम्पशन बिल एजेन्डा पर आ रहा है। उसके लिये हमारे अमेन्डमेंट्स मौजूद हैं, सिलेक्ट कमेटी का रेफरेन्स मौजूद है, मंत्रीजी तैयारी पूरी करके आये हैं। यह सब होने के बावजूद भी आज यह उनकी जिद्द है जिसके कारण वे चाहते हैं कि इस बिल को आज पोस्टपोन किया जाय। मेरी राय में, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ भी आपको कुछ ध्यान देना चाहिये। आज के जमाने में जब कि विरोधी दल ७५ से करीब ३०-३५ तक आ गया है उस समय हमारे सबसे बड़े रक्षक आप ही हो जाते हैं। हमारी भावनाओं को आप सही ढंग से नहीं देखेंगे तो मैं समझूंगा कि ... डेमोक्रेसी की मखौल होगी। जिस प्रकार मंत्रीजी ने यहां कहा है मैं इस बिल पर तैयार नहीं हूं।

Page No 61

[श्री मानसिंह महार]

यदि वे तैयार नहीं हैं,तो सबसे आसान बात यह है कि इसको आप सिलेक्ट कमेटी को रेफर करिये। आप इसको मंजूर कर लीजिये अभी मामला खत्म हो जाता है। लेकिन आपकी जिद है इसको मंजूर करने को तैयार नहीं हैं तो हमारी मांग न्यायोचित है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको अधिकार है कि आप आज सदन को स्थगित करदें। अब तो केवल २ घंटे ही बाकी हैं। हम यह चाहते हैं कि आज कार्यवाही स्थगित कर दी जाय। अगले बिल पर हम तैयार नहीं हैं। यह कहना अनुचित है कि विरोधी दलवाले तैयारी करके आये हैं। ऐसी सूरत में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे हकों की ओर ध्यान रखते हुए, हमारे संरक्षण के लिये ऐसा रूलिंग दें कि या तो एजेन्डा में जिस बिल को प्रीफरेन्स दी है उसको उसी माफिक रखा जाय, यदि नहीं तो जिस प्रकार से मंत्रीजी की सहूलियत पर ध्यान देते हैं उसी प्रकार हमारी सहूलियतों पर भी ध्यान देकर आज नहीं लिया जाय तो और बिल भी आज नहीं लिये जाने चाहिये।

राज श्री हिम्मतसिंह:—रूल २२ में इसके मुताल्लिक साफ दिया गया है कि लिस्ट ओफ बिज़नेस में जिस ओर्डर में बिज़नेस दर्ज किया है उसी ओर्डर में लिया जाय तावक्ते को स्वीकर महोदय को चेयर की तरफ से खास आपत्ति नहीं हो या रूल आउट नहीं करदें। मैं नहीं समझता मंत्रीजी ने जो रिज़ोल्यूशन स्थगन का पेश किया है उसमें कोई तथ्य है, मैं यह कहने को तैयार नहीं हूं। यह उनको शोभा भी नहीं देता है और उनके पद के लिये अच्छा भी नहीं मालूम देता है। इसी पोइन्ट पर इसको स्थगित कर दिया जाय, यह वाजिब नहीं होगा, क्यों कि इसमें कोई खास बात नहीं मालूम होती है।

इसके पीछे के जिन बिल्स को लेना है उसके बाबत जो आपत्ति विरोधी दल को ओर से उठाई गई है वह वाजिब है। बहुत से सदस्य तो अपने साथ बिल्स भी नहीं लाये हैं,क्यों कि वे सोचते थे कि आज यह बिल चलेगा क्यों कि काफी गहन विषय है, इसमें काफी सुझाव दिये जा सकते हैं इसलिये वे लोग और बिल्स साथ में नहीं लाये। इसका साफ मतलब यह है कि वे लोग आज तैयार होकर नहीं आये। कुछ लोगों ने इन बिल्स पर अमेन्डमेन्ट्स दिये हैं लेकिन सभी लोगों ने तो नहीं दिये हैं। जैसा सहूलियत से काम हो उसको मद्देनजर रखते हुए यही होना चाहिये कि आज लैंड रिफोर्म्स पर बहस होगी और दूसरा नहीं लिया जायगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मंत्रीजी को आदेश देंगे कि उसी बिल को आज लिया जायगा और उसी ओर्डर से काम जारी रहेगा।

श्री गोपीलाल यादव:—उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष:—आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं क्या ?

श्री गोपीलाल यादव:—इसके बारे में मुझे यह कहना है कि जहां तक कानून का सवाल है आपका मोशन हाउस को स्थगित करने का स्टेन्ड नहीं करता। सबसे पहली चीज यह है कि रूल १२२ में यह साफ दिया है :

Page No 62

[श्री गोपीलाल यादव]

"When a bill is introduced or on some subsequent occasion the member-in charge may make one of the following motions in regard to his bill, namely;-

(a) that it be taken into consideration by the Assembly either at once or at some future day to be then specified;" तो यह मेम्बर इन चार्ज ओफ दि बिल को अधिकार है कि वह पहला मोशन यह करे कि मेरा बिल आज के बजाय किसी और दिन लिया जाय, तो उसके अनुसार उन्होंने मोशन किया। उसके बाद लिस्ट ओफ बिज़नेस की बात आयेगी। आप यह कह रहे हैं कि इसी सिलसिले में लिया जायगा। इसके बारे में :

"22(2)(a) the bussiness for the day shall be transacted in the order in which it appears in the list of bussiness;"

यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह जो नियम २२ है वह १२२ से गवर्न होती है, उसी को फोलो किया जायगा। उसके बाद मिनिस्टर साहबने कहा कि आज यह नहीं लिया जायगा। The bussiness is being transacted according to the List. यदि उसे पोस्टपोन कर दिया तो This is also transacting the business. इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि आज काम बंद कर दिया जाय, क्योंकि मेम्बर्स इस पर तैयार नहीं हैं। यह ७ तारीख और ८ तारीख, दो दिन के लिये रखा गया था। कल नहीं आया तो आज तो आ ही सकता था।

यह भी मेम्बर महोदय, मिनिस्टर इन्चार्ज-ओफ-दी-बिल के सोचने की बात है; He should accommodate the opposition.

इसलिये मैं यह कहता हूँ, कि कानूनी तौर पर तो वे यह डिमान्ड नहीं कर सकते। हां, मेम्बर इन्चार्ज ओफ दी बिल हैं, वे चाहें तो उन्हें एकोमोडेट कर सकते हैं।

श्री भैरूंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से रूल १२२ का स्पष्टीकरण करूंगा। रूल १२२ जिसका श्री यादवजी ने उल्लेख किया है वह तो वहां बिल्कुल लागू नहीं होता। इसकी भाषा है :

"When a bill is introduced or on some subsequent occasion the member-in-charge may make one of the following motions in regard to his bill, namely:....."

श्री गोपीलाल यादव—The stage of introduction has passed after a Bill has been introduced.

श्री भैरूंसिंह—"When a bill is introduced or on some subsequent occasion the member-in-charge may make one of the following motions in regard to his bill, namely;—

[श्री भैरूं सिंह]

(a) that it be taken into consideration by the Assembly either at once or at some future day to be then specified;."

माननीय उपाध्यक्ष, इसकी मंशा यह है कि या तो बिल जिस समय इन्ट्रोड्यूस किया जाय, उस समय या बाद में किसी स्टेज पर मूव कर सकते हैं कि इस बिल को किसी सब्सीक्वेन्ट डे के लिये लिया जाय। पर जब कि वे इस बात को एजेन्डा में ला चुके हैं कि इस बिल को आज विचारार्थ लिया जाय, उस समय यह रूल १२२ यहां बिलकुल लागू नहीं होता।

इसमें दूसरी दिक्कत यह है :

"(b) that it be taken into consideration by the Assembly at once or a some future day to be then specified,"

जो माननीय मन्त्रीजी ने ऐसा प्रस्ताव रखा था उसमें यह सूचना नहीं दी कि किस तारीख को विचारार्थ लिया जायगा, इसलिये वह मोशन गलत था। दूसरे रूल १२२ का हवाला दिया जाता है वह बिलकुल गलत है। जिस समय विचारार्थ नहीं लिया जाय, अगर सूचना ही दी जाय उससे पहले पहले वे माननीय अध्यक्ष के पास दर्ख्वास्त कर सकते हैं कि सब्सीक्वेन्ट डे को विचारार्थ लिया जाय। विचारार्थ व्यवस्था कर दी गई हो उस सूरत में न वे संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं और न वहां यह रूल १२२ ही लागू हो सकता है। रूल १२२ के अनुसार वे कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष—श्री दामोदरलाल व्यास किन्हीं कारणों से यह चाहते हैं कि जागीर रिजम्प्शन एक्ट वाले बिल को बाद में लिया जावे। क्या सदन की राय है कि इसे मुल्तवी रखा जावे।

[मत दान के पश्चात्]

ना पक्ष जीता।

श्री भैरूं सिंह—मुल्तवी नहीं कराने के पक्ष में ज्यादा हैं साहब।

राज्य पक्ष की ओर से कतिपय माननीय सदस्य—मुल्तवी कराने के पक्ष में ज्यादा हैं।

(विभाजन की घंटी के पश्चात् भी दो मिनिट के लिये विराम)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री दामोदरलाल व्यास ने "दी राजस्थान लैंड रिफोर्म्स एन्ड रिजम्प्शन ओफ जागीर्स (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १९५६" को बाद में विचारार्थ लिये जाने का प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

Page No 64

[श्री उपाध्यक्ष]

(मत-दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता ।

श्री भैरोंसिंह—ना पक्ष जीता ।

सरकारी पक्ष के कुछ माननीय सदस्य—हां पक्ष जीता साहब ।

श्री उपाध्यक्ष—शो ऑफ हैंड्स (show of hands) से इसे डिसाइड किया जाय ।

हां पक्ष वाले पहले खड़े हो जायं

(राज्य पक्ष की ओर के ५४ सदस्य खड़े हुए)

अब ना पक्ष वाले खड़े हो जायं ।

(ना पक्ष की ओर के १५ सदस्य खड़े हुए)

हां पक्ष जीता । बाद में विचारार्थ लेने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(करतल-ध्वनि)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह ने आज सदन की कार्यवाही स्थगित करने के लिये किया, वह स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

Shri Damodarlal Vyas. Item No. 3

राजस्थान लगान दर पुनः विलोकन तथा वैधकरण [पुनःप्रवर्तन] विधेयक, १९५६

[विचार-विमर्श]

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान लगान दर पुनर्विलोकन तथा वैधकरण [पुनःप्रवर्तन] विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष — प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार — माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष, राजस्थान रिव्यु एण्ड वेलीडेशन ऑफ रेंट रेट्स बिल, १९५६ प्रस्तुत हुआ, उसके ऊपर मैंने उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन रखा है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय। माननीय उपाध्यक्ष, आज राजस्थान के अन्दर इस प्रकार के कानून की कितनी आवश्यकता है इसके बारे में दो राय कभी भी नहीं हो सकतीं। इस प्रकार का कानून लाना बहुत ही आवश्यक है। मैं इस प्रकार के कानून के लाने के विरोध में कभी नहीं हूँ लेकिन मेरी राय के अन्दर जिस प्रकार से यह कानून इस समय सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है उसके अन्दर हमें कुछ मौलिक भेद करना पड़ेगा।

मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का कानून राजस्थान में पहले भी लागू था और इसके तहत में जिस प्रकार की गड़बड़ियां और अन्याय हुए हैं, उनका तजुर्बा कराते हुए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस कानून को सेलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह जयपुर डिविजन का दुर्भाग्य रहा है, जयपुर डिविजन में जो सेटलमेंट के रेट्स हैं वह इतने अधिक हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। अगर जयपुर डिविजन की रेंट रेट्स का उदयपुर या कोटा डिविजन के रेंट रेट्स से मुकाबला किया जाय तो मैं यह कहूँगा कि इस मुकाबले से यह साबित होगा कि जयपुर डिविजन के रेंट रेट्स मौजूदा रेंट रेट्स से ७५ प्रतिशत कम होने चाहिये। यह नहीं होता है तो उदयपुर और कोटा डिविजन में जो रेंट रेट्स हैं, उनके मुकाबले में यहां के रेंट रेट्स कभी नहीं आ सकते।

सरकार ने इससे पहले कानून के तहत में जयपुर डिविजन में, जैसे जमवा रामगढ़ मेरी कान्स्टीट्युएन्सी है, वहां रेंट रेट्स को कम किया है, सरकार कहेगी कि आपकी कान्स्टीट्युएन्सी को इस कानून के तहत फायदा मिला है, पर उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिये इस चीज को किया है कि इस कानून को सेलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय। हमें इस कानून को एक सिद्धान्त मान कर चलाना है। जिस प्रकार आज हैफ हेज़र्ड से कार्यवाही हो रही है वह ठीक नहीं है। किसी तहसील की दरख्वास्त आ जाती है और मन्त्री महोदय सेटलमेंट वालों को आज्ञा देते हैं और १० परसेंट, १५ परसेन्ट रेंट रेट्स कम कर दी जाती हैं, यह कोई न्यायोचित चीज नहीं है। न्याय यह मांग करता है कि सारे राजस्थान की रेंट रेट्स को एक सांचे में ढाल कर निकालना चाहिये। फी एकड़ राजस्थान की कितनी पैदावार है, इसकी जांच करके, आंकड़े तैयार करके उसके माफिक रेंट रेट्स को घटाना बढ़ाना चाहिये। जब तक इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करते और आज तक जो हैफ हैज़र्ड तरीके पर अमल किया जाता है कि एक गांव की दरख्वास्त आई कि हमारे यहां रेंट रेट्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिये कम होनी चाहिये, तो इस दरख्वास्त पर वहां रेट्स कम कर दिये, फिर दूसरे गांव की दरख्वास्त आई तो वहां कम कर दिया और फिर तीसरे गांव की दरख्वास्त आई तो वहां पर रेट्स कम कर दीं। यह तरीका कोई न्यायोचित तरीका नहीं है।

मैं मेरी कान्स्टीट्युएन्सी का जिक्र कर रहा था माननीय उपाध्यक्ष, मन्त्रीजी फरमायेंगे कि कहीं कहीं तो ५० परसेंट, ६० परसेंट तक रिडक्शन हुआ है, पर मैं यह बताना चाहूँगा कि जमवा

[श्री मानसिंह महार]

रामगढ तहसील में आज १० रुपया फी बीघा रेंट रेट मौजूद है। आज अगर जाकर कहते हैं कि साहब १० रुपया फी बीघा लगान ज्यादा है तो जवाब दिया जाता है कि १८ रुपये से कम करके १० रुपया फी बीघा पर ला दिया, अब आपको कहां जाकर संतोष होगा ?

माननीय उपाध्यक्ष, हमें संतोष वहां जाकर होगा, मालपुरा जोकि हमारे जयपुर डिविजन की ग्रेनरी कहा जाता है तो वहां ५ रुपया ६ रुपया फी बीघा रेंट रेट रखा जाता है तो आमेर और जमवा रामगढ़ तहसील में २ रुपया या तीन रुपया फी बीघा रखा जाय तो हमें संतोष हो सकता है। उधर मेवाड़ डिविजन में जाकर देखिये, अधिकतर कार्य आपका ही किया हुवा है। माननीय उपाध्यक्ष, वहां कई कई तहसीलें ऐसी हैं जहां २० मन फी बीघा मक्का और पक्का ४० मन फी बीघा गेहूँ होता है पर उपाध्यक्ष महोदय, वहां आपकी ही कलम से ५ रुपया, ६ रुपया फी बीघा की दर लगाई हुई है, इसके विपरीत हमारे यहां जयपुर में फी बीघा चार पांच मन भी गेहूँ नहीं पड़ता है, वहां दस दस रुपया, बारह बारह रुपया फी बीघा रेंट रेट्स लगाये गये हैं। आमेर तहसील वह तहसील है जहां बासा गांव हैं उसने तो दुनियां भर का रेकर्ड तोड़ दिया है, वहां सेटलमेंट रेट २५ रुपया फी बीघा है। यह मिसालें मैं इसलिये क्वोट कर रहा हूं कि पुनर्विलोकन किया जाय वह किसी सिद्धान्त से किया जाय। अगर इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज कर कोई सिद्धान्त के आधार पर पुनर्विलोकन नहीं किया गया तो फिर इसमें फिर वही हैपहैजर्ड तरीका चलेगा कि एक दर्खास्त आयेगी और वहां मालपुरा जैसे महारथी होंगे तो रेंट रेट्स कम कर दी जायंगी और जहां मुझ जैसा भाग्य हीन होगा वहां की दर्खास्तें पर दर्खास्तें आने पर भी १० रुपया फी बीघा रेंट रेट्स रखी जायंगी। मालपुरा राजस्थान की नहीं तो जयपुर डिविजन की ग्रेनरी है और दूसरी तरफ जमवा-रामगढ़ तहसील है जिसका जिक्र मैं आप से करूं, जहां अभी अलवर की तरफ के तहसीलदार आये जो मेरे साथ गांवों की पंचायतों के चुनाव के लिये गये थे, उन्होंने वहां की हालत देख कर कहा कि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि राजस्थान में इस प्रकार बैकवर्ड और गरीब इलाका हो सकता है। अलवर और रामगढ़ में कितना फरक है व फिर भी उन्होंने कहा कि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि राजस्थान में ऐसा बैकवर्ड और गरीब इलाका भी है। वहां कूओं में पानी नहीं है, पानी की सतह पांच ६ फीट नीचे चली गई है, इसलिये पानी नहीं होने की वजह से कूओं में पानी बिलकुल नहीं, फसल पैदा नहीं होती, फिर भी १० रुपया फी बीघा लगान की दर वहां आज भी मौजूद है।

तो ऐसी सूरत में पुनर्विलोकन कराया जाय, इसका हम विरोध नहीं करते आप। पुनर्विलोकन करें पर पुनर्विलोकन के साथ हम दूसरा पहलू जोड़ना चाहते हैं, वह यह है कि आप युनिफोर्म तरीका अपनाइये।

हम सरकार को इस प्रकार का प्रोवीजन रखने को बाध्य करना चाहते हैं कि सरकार इस प्रकार का प्रोविजन रखे कि सारे राजस्थान के रेंट रेट्स एक समान हों। सारे राजस्था

[श्री मानसिंह महार]

की फी एकड़ या फी बीघा कितनी पैदावार है उसको सरकार अपने सामने रखे। इतना करने के बाद फिर रेन्ट रेट्स बदले जांय। यह तो किसी हद तक उचित हो सकता है। आज राजस्थान के किसी कोने से दरख्वास्त आई, उसको लेकर किसी जगह रेट्स कम करदी और किसी जगह ज्यादा कर दीं, इस प्रकार की जो कार्यवाही की जाती है वह न्यायपूर्ण चीज नहीं है। आज के युग के अन्दर जो कुछ कार्यवाही करें आप वह सब के लिये समान होनी चाहिये। यह न्यायोचित बात नहीं जैसी कि जयपुर डिवीजन के कुछ हिस्सों में देखी जाती है, जहां इस प्रकार की रेन्ट रेट्स के बारे में कार्यवाही की जाती है, जिसको हरगिज बरदाश्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का कोई कानून नहीं, जहां जंची वैसी रेट्स कायम करदीं। और जिस तहसील में कमी करना वाजिब है वहां तो नहीं की जातीं, इस कानून के तहत में जो अख्त्यारात ले रहे हैं कि जहां चाहें जैसी रेट कायम कर दें। जब कि आपने पुनर्विलोकन बिल रखा है तो आप यह निश्चित कीजिये कि सारे राजस्थान के अन्दर रेन्ट रेन्ट्स एक से किये जायेंगे, सब में यूनिफोर्मिटी लाई जायगी वैसी हालत में तो इस कानून को महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इस बात को जयपुर डिवीजन के ही आदमी समझ सकते हैं दूसरे डिवीजन के नहीं। जब कि जयपुर डिवीजन के मंत्री इस बिल को पाइलोट कर रहे, हैं मैं आशा करता हूं इस प्रकार की जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है उसके लिये वे सिलेक्ट कमेटी को इस बिल को रेफर कर दें, जो ऐसा तरीका अपनाये जिससे हमारे जयपुर डिवीजन के लोगों को, जो किसी प्रकार की एमीनीटिज़ नहीं मिल रही हैं, यहां का लैंएड रेवेन्यू इतना अधिक है इतना अधिक लेन्ड पर टेक्स लिया जाता है कि जिसकी हद नहीं। जब पैसा देने का प्रश्न उठता है तो जयपुर डिवीजन को किसी प्रकार भी प्रिफरेन्स नहीं दिया जाता। यह हमारे पर दूसरा अन्याय है। इसी प्रकार हेवी टेक्सेशन जो लेन्ड रेवेन्यू के जरिये वसूल किया जाता है वह बहुत भारी है। अगर उदयपुर और कोटा डिवीजन के रेट्स से कम्पेअर किया जाय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जयपुर डिवीज़न के जो रेन्ट रेट्स हैं वे कहीं अधिक हैं उनसे। यहां कोई ऐसी तहसील नहीं जहां तीन रुपये से कम रेन्ट रेट्स हों। आज हमारे जयपुर डिवीज़न के मालपुरा के हिस्से को ले लीजिये, जहां बिना पानी काश्त होती है, वहां पर तीन रुपया रेन्ट रेट्स है, जब कि हमारी आमेर तहसील है जहां बिना पानी कभी माल पैदा नहीं होता वहां तिन मन और ढाई मन प्रति बीघा पैदावार होती है वहां १२ रुपये तक रेन्ट रेट्स ली जाती है, दूसरी तरफ मालपुरा जिसे हम जयपुर डिवीज़न की ग्रेनरी कह सकते हैं जहां मालपुरा में बिना पानी माल पैदा होता है वहां तीन रुपया प्रति बीघा रेन्ट रेट्स हैं। मैं तो यह आशा करता था कि इस प्रकार का जो इलाका है उसके लिये स्पेशल प्रोवीज़न होगा। इस तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान इस बिल के पुनर्विलोकन के समय दिया जाना चाहिये था। सरकार ने देखा, अगला चुनाव नजदीक आ रहा है फलां फलां तहसील से अधिक वोट लेने हैं सरकार के मंत्री लोग चाहते हैं कि इस प्रकार कानून पास कर लें तो हम जहां चाहेंगे वहां रेन्ट रेट्स, कम कर देंगे, यही नीयत है इस बिल के लाने की उपाध्यक्ष महोदय। यह मैं मानता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि वोट लेने के लिये यह बहुत अच्छा स्लोगन हो सकता है। लेकिन मुझ जैसा आदमी जिस कोन्स्टीच्युएन्सी से खड़ा हुआ है उस कोन्स्टीच्युएन्सी में यह कह सकता हूं कि इस पुनर्विलोपन से यह होगा कि

[श्री मानसिंह महार]

जमवा रामगढ़ में जहां रेन्ट रेट्स दुगुने हैं इससे बढ़कर अन्याय क्या हो सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूं इन बातों को, मंत्रीजी खूब ध्यान देकर सुन लें कि जमवा रामगढ़ के साथ जो अन्याय हुआ है उससे आप इन्कार नहीं कर सकते। आमेर तहसील को ले लीजिये। कहा यह जाता है उपाध्यक्ष महोदय, कि आज के जमाने में हम तो न्याय करना चाहते हैं। वाह रे आप का न्याय, मैं इससे अधिक क्या संज्ञा दे सकता हूं, उपाध्यक्ष महोदय ? एक तरफ तो न्याय की दुहाई दी जाती है और दूसरी तरफ न्याय इस प्रकार का किया जाता है कि जमवा रामगढ़ तहसील में ६ और दस रुपया रेन्ट रेट्स कर दी जाती है जब कि मालपुरा में चार और पांच के बीच रखी जाती है। इसी प्रकार अन्य तहसीलों को भी ले लीजिये जहां की जनता के दुर्भाग्य से समझिये या अहोभाग्य से जहां से हम जैसे अपोजिशन के मेम्बर्स चुनकर आये हैं उनकी कोन्स्टीट्यून्सी को ले लीजिए, उनके लिए तो यह बिल बहुत ही घातक है। मैं कभी नहीं कहता कि इस बिल को पास न किया जाय। मैं तो मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि आप इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में दीजिये, हम रातों रात बैठकर इसको तैयार करें। हम इसके लिए रातो रात बैठ सकते, हैं यह कानून हमारे इलाके के लिये बहुत ही घातक है, हमारी जिन्दगी और मौत का प्रश्न है, जहां हमारे काश्तकार भूखों मर रहे हैं, जहां आज ६ और दस रुपया पर बीघा रेन्ट रेट्स ली जाती है। दूसरी तरफ आप देखिये उदयपुर डिवीज़न के अन्दर बहुत ऊंची ऊंची तहसीलें हैं। मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता लेकिन इतना तो निवेदन अवश्य करूंगा कि वहां पांच पांच रुपया पर बीघा रेन्ट रेट्स हैं। मैं यह इसलिये निवेदन करता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, कि उनके समान ही हमारे जयपुर डिवीज़न के रेन्ट रेट्स होने चाहिये। इस मांग के साथ सब से जबरदस्त मांग यह है कि जो हेज़र्ड तरीके से रेन्ट रेट्स लागू है वह कतई नहीं होना चाहिये। हम यह चाहते हैं कि जो यह कार्यवाही है उसके बारे में मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १० के अन्दर एक बात जो लिखी गई है :

इस अधिनियम के अन्तर्गत पुनर्विलोकन पदाधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली को निर्धारित करने,

इस अधिनियम के अन्तर्गत किये जाने वाले किसी कार्य के हेतु ली जाने वाली फीस की व्यवस्था करने और,

इस अधिनियम के प्रावधानों को सामान्य रूप से कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि एक तरफ तो सरकार बड़ी भारी भूल और बड़ा भारी अन्याय कर रही है। सरकार यह सोचती है कि सरकार द्वारा दूसरी तहसीलों के मुकाबले अधिक दर (लगान) लगा रही है। अब हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि लगान की दर पुरजोर कम

[श्री मानसिंह महार]

की जाय। सरकार कानून बनाती है कि हमसे खर्चा लिया जाय यह कहां का न्याय है ? कौनसे जस्टिस कोड में यह चीज़ आई है। गलती सरकार ने की और गलती से फायदा उठाया, मोटे मोटे लगानों की दर वसूल की, पैसा लिया लेकिन जब कम कर देने की बात आती है उस समय यह क्लॉज और रख दिया जाता है।

दी जाने वाली फीस की व्यवस्था करने का कानून बना है। सरकार किस बात की फीस चाहती है। अगर इस प्रकार का जनरल क्लॉज़ बना दिया जावेगा और फिर राजस्थान के हाकिमों के तहत इसको रख दिया जावेगा तो हरेक तहसील को जैसा होगा उसी प्रकार लाभ पहुँच जावेगा।

इसके अन्दर लेने न लेने का सवाल नहीं है। मैं तो यह कहता हूँ कि प्रत्येक तहसील में आप मुकर्रर कर दीजिये कि इससे ज्यादा लगान इस तहसील में नहीं होगा। मैं अब भी मन्त्री महोदय की तरफ देखता जा रहा हूँ कि किसी भी प्रकार से सिलेक्ट कमेटी का आश्वासन आ जावे तो कुछ हो। पर वह तो अपने हमीर हठ से मुकरने वाले हैं नहीं, इसलिये मुझे इसमें डिटेल में भी जाना पड़ेगा।

(श्री जवानसिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय चेयरमेन महोदय, मैं इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने की बात के बारे में सदन से निवेदन कर रहा हूँ। मेरी यह धारणा है चेयरमैन महोदय, कि यह कानून जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पास किया जावे। पर कानून को जल्दी पास करने का अर्थ यह नहीं होता है कि हम ऐसा अटपटा कानून बना दें जिसकी तहत हम जिस प्रकार की राहत किसान को पहुंचाना चाहते हैं वह सही तरीके से नहीं पहुंच सके। मेरी यह मान्यता है कि इस कानून के तहत में राहत पहुंचेगी लेकिन दो वर्षों में आज तक जिस प्रकार की नेग्लीजेबल राहत पहुंची है उसी प्रकार से अगले दो वर्षों में भी पहुंचेगी। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता और मैं इतना जोर दे देकर, गला फाड़ फाड़ कर इस बात को रिपीट कर रहा हूं वह इसलिये कि इस सैटलमेन्ट के मामले में जितना अन्याय हमारी जयपुर डिवीजन के साथ हुआ है उतना अन्याय कहीं भी नहीं हुआ है, राजस्थान में मैं यह मानता हूँ कि...

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय चेयरमेन महोदय दूसरे आ बैठे हैं इसलिये क्या वापिस वही रिपीट किया जावे जो पहले कह चुके हैं, तीन तीन दफा कह चुके हैं। जयपुर डिविजन की वह धारणा और भावना कई बार कह चुके हैं। कोई नई बात कहें तो अच्छा है।

श्री मानसिंह महार (जारी)—सुनिये, सुनिये थोडा। सुनने से घबराइये मत। रस्सी रगड़ रगड़ कर पत्थर को भी काट देती है तो मैं भी बार बार कह कर आपके हमीर हठ को छुडाने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं तो चुनाव नजदीक आ रहा है। आपने कहा कि कोई नई बात कहूं,

[श्री मानसिंह महार]

तो नई बात निवेदन करूंगा कि इस कानून को वैसे ही अगर पास कर दिया गया तो अगले चुनाव के लिये सरकार के लिये इतना भारी हथियार हो जावेगा कि जिसकी कोई हद्द नहीं। माननीय राजस्व मन्त्री ने अपनी खुद की कान्स्टीटयूएन्सी में आज लगान की दर इतनी कम कर दी है जिसकी कोई हद्द नहीं और आज हम से कहते हैं कि रिपीट करते जारहे हैं और उन रेटों को भी और कम करने की सोच रहे हैं। यह निश्चित बात है कि जो आज रेटें मालपुरा तहसील में हो चुकी हैं उनमें अन्दाजन तीस परसेन्ट और कम की जावेंगी। उधर कम करते जाइये और इधर जमवा रामगढ़ में ९।१० रुपया बीघा की दर लगा रक्खी है। पुनर्विलोकन के बाद कौन सोच सकता है आज के जमाने में दस रुपया बीघा की रेन्ट रेट है और जमवा रामगढ जैसे बैकवर्ड एरिया में। यह कहां तक न्यायोचित है? नई बात सुनना चाहते हैं तो यह नई बात ही सुनाऊंगा। तो आज मैंने जो यहसुझाव दिया, इसलिये दिया है कि हमें यह बैठकर सोचना चाहिये कि पूरे राजस्थान के लिये हम कुछ कर सकें। सरकार ने जो अपने हाथ में यह पॉवर लिया है कि वह चाहे जहां कम-बेशी कर सकती है तो हरगिज देने को हम तैयार नहीं हैं यह अधिकार उसे। हम ऐसा अंकुश सरकार को नहीं देंगे। सरकार राजस्थान के प्रत्येक हिस्से के साथ न्याय करे, ऐसी आशा करता हूं। इस कानून में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि राजस्थान में युनीवर्सल रेट रेन्ट लगाया जावे। जहां जैसी पैदावार होती है वहां वैसे ही हिसाब से रेन्ट रेट लगाई जावे। यह तो कोई न्याय की बात भी हुई। पर यह करने को तो सरकार तैयार नहीं। इस प्रकार का जो सुझाव रखा जावे, मन्जूर करना दूर की बात रक्खी जाती है और फिर कहा यह जाता है कि दरख्वास्तें आने पर कन्सीडर किया जावेगा। कन्सीडरेशन का जिस समय समय आता है, जहां कुछ इन्फुएन्शल आदमियों का हाथ होता है वहां तो कुछ हो जाता है पर बाकी दूसरे इलाकों में कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता।

पुनर्विलोकन जैसे सीधे काम में दो दो वर्ष लग गये और आज तक आप उसे पूरा नहीं कर सके, रेन्ट रेट जैसी सीधी चीज को। सैटलमेन्ट हुआ हुवाया तैयार और इनमें भी रेन्ट रेट का रिवीजन न हो सके, इससे अधिक और क्या बात हो सकती है अकर्मण्यता की? यह बिलकुल बेकार कानून है, इसका इससे बढ़कर और क्या प्रमाण और सुबुत हो सकता है? इसमें परवर्तन की और परिवर्द्धन की जरुरत है। दो दो बरसों में सैटल्ड एरिया में रेन्ट रेट को अधिक कम करने में कामयाब नहीं हो सके तो अब क्या कर सकेंगे? इसके ऑब्जेक्ट्स और रीज़न्स देख लीजिये। वे भी कैसे पास कर सकेंगे?

"STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Review aud Validation of Rent-Rates Act, 1955, which empowered Government to order that the ren rates sanctioned by Government for any area may be reviewed in certain circumstances, ceased to have effect on the 1st of January. 1956. A similar provision has been made in the Land Revenue Bill.

[श्री मानसिंह महार]

recently passed by the Assembly, but it will be some time before the Rajasthan Land Revenne Act comes into force. Meanwhile, orders for the review of rent-rates in certain cases have to be passed for which there is no law at present. Hence the present Bill which seeks to revive the provisions of the expired Act."

इसकी मंशा से जाहिर होता है कि ऐसे कानून के अन्दर सरकार का ध्यान इस तरफ गया ही नहीं कि यह बीमारी तो सारे प्रान्त में है। सरकार तो यह समझती है कि वहां पर कोई स्पेशल आदमी जाता है, वहां पर कुछ कृपापात्र अर्जियां लेकर आते हैं, वहां के तो रेन्ट रेट रिवाइज़ कर दिये जावें, लेकिन जो कृपापात्र नहीं है किसी प्रकार से विरोध करते हैं या और कोई कार्यवाही करते हैं वे इलाके इस कमी के हकदार नहीं हैं, उनको किसी प्रकार की राहत नहीं मिल सकती। यह हमारा आज दो बरसों का तजुर्बा है। इसलिए इन आब्जेक्ट्स और रीज़न्स को देखते हुए भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आपकी जो यह नीति है कि orders for the review of rent rates have to be passed in certain cases. यह सर्टन केसेज़ वाली बात उड़ा दीजिये। क्या मतलब है आज इन सरटेन केसेज़ का? हमें तो न्याय करना है पूरे प्रान्त के साथ। हमें तो राजस्थान के सारे प्रान्त के रेन्ट रेट रिवाइज़ करने हैं in each and every case. There is no question of certain cases. हरेक तहसील की रेन्ट रेट को देखेंगे। हम एक तहसील को लेकर इन्वेन्टरी बनावेंगे कि यह अधिक पैदावार तहसील है, उसका हाईएस्ट रेन्ट रेट देखेंगे कि मौजूदा क्या है? उसको हम हाईएस्ट रेट मान लें। फिर हर तहसील को इसी तरह से देखें। तो कहीं नीची हो तो नीची चली जावे और ऊंची हो तो ऊंची चली जावे। यह तरीका हम अपनावेंगे तो कानून सफल हो सकेगा और इस सिद्धांत को भी हम मान लेंगे तो हो सकता है, हम ठीक हो जावें। पर हमें तो यह सिद्धान्त नहीं मानना है बल्कि यह मानना है कि इस तहसील में कुछ हमारे कृपा पात्र हैं, उनको हमें राहत पहुँचानी है। उस राहत की खातिर यह कानून हम पर लादा जा रहा है। अगर इस प्रकार ही कानून बनाना है तो आपकी मेजोरिटी है, आप बना लीजिये। आपका सदन है आपकी सरकार है, कुछ नहीं, कर लीजिये पास इसे। और कानून भी क्यों बनाते हो? पटवारियों को ही आर्डर दे दिया जावे कि २५ परसेन्ट की फलां जगह कमी की जावे, फलां जगह न की जावे। डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आपकी आज्ञा को मानने को खड़ा हो सकता है आज तो। चुनाव के बाद जो होगा सो देखा जावेगा।

इस पुनर्विलोकन की स्थिति के सम्बन्ध में इन बातों को रख देवें। लेकिन यह सब कुछ नहीं होता है। आज हो क्या रहा है, चेयरमेन महोदय, कि आज तो हम इस सिद्धांत के नाम से दूर भाग रहे हैं। काम किया जा रहा है तो तहसीलवाइज़। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज़ होता तो कुछ ठीक बात थी, डिवीज़न वाइज़ भी होता तो ऊंची बात थी और प्रान्तवाइज़ होता तो और भी ऊंची बात थी। कहीं डिवीजन की बात रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट की बातें रखते हैं परन्तु यहां

[श्री मानसिंह माहर]
पर तो तहसील की बात रखी जाती है और तहसीलों को लेकर रेट्स में कमी या बेशी करदी जाती है। यह कोई न्यायोचित बात है? हमारे सिद्धान्त के अनुसार यह कानून को अमल में लाना ही नहीं है। इसके लिए जो सिद्धांत मैंने बताया है उसके अलावा दूसरे सिद्धांत लिए जाते हैं तो कोई जनता को राहत सही ढंग से नहीं पहुँचती है। यह और मैं बता दूं कि आप कहना चाहते हैं कि २५ पर्सेन्ट छूट दी है तो कोई राहत नहीं दी गई, माननीय चेयरमेन महोदय, क्योंकि उदयपुर और कोटा डिवीजन में रेन्ट रेट्स ४, ५ रुपये बीघा के हिसाब से है लेकिन हमारे यहा जमुवा रामगढ़ में ९, १० बीघा के हिसाब से है

(घंटी)

श्री सभापति—No repetition please.

श्री मानसिंह महार—रिपीटिशन नहीं है। मैं सिद्धांत की बात बता रहा हूं। २५ परसेन्ट राहत वहां मिलती है तो ४ रुपये से ३ ६० हो जायेंगे और हमको २५ परसेन्ट राहत मिलती है तो ८ रुपये अगर ले लेंगे तो ६ रुपये हो जावेंगे। लेकिन ६ रुपये होने पर भी हम तो ५० परसेन्ट अधिक लगान सरकार को दे रहे हैं! यह काबिले बरदाश्त आज के युग में नहीं है अगर ५० परसेंट अधिक लगान हम से लिया जाता है तो सरकार को हमको फेसिलिटीज ५० परसेन्ट अधिक देनी होंगी। अगर फेसिलिटीज़ देने को सरकार तैयार है तो हम मान सकते हैं। आज, चेयरमेन महोदय, यह जयपुर डिविजन का दुर्भाग्य है कि जयपुर डिविजन में युनिटी नहीं है, और जयपुर डिविजन में युनिटी नहीं होने के कारण जयपुर डिविजन को सब प्रकार से खत्म किया जा रहा है। आज जयपुर डिविजन के अन्दर किसी प्रकार के जनहित के कार्य उस तादाद में नहीं हो रहे हैं जिस तादाद में और डिविजनों में हो रहे हैं। लेकिन जब लगान की दरों का सवाल आता है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम लोग और डिविजनों से दुगुना लगान दे रहे हैं, हमारी इनकम के हिसाब से लगाया जाय तो कम से कम दुगुना। मैं तो यह मानता हूं कि तिगुना दे रहे हैं लेकिन तिगुना नहीं भी हो तो दुगना तो अवश्य है। यह जानते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने वर्षों तक काम किया है वे लोग जब यहां के रेन्ट रेट्स को देखते हैं तो खुद ताज्जुब में रह जाते हैं चेयरमेन महोदय, कि जयपुर में आमेर और जमुवा रामगढ़ जैसे बैकवर्ड एरियाज़ में १८ रु से २५ रू बीघे का रेन्ट रेट्स किस आधार पर लगाया गया है। यही नहीं, चेयरमेन महोदय, इसमें एक और बात करनी पड़ी। वह बात यह है कि वह जयपुर के लिए एक पिक्यूलियर बात है। उसका भी हमको इसके अन्दर समावेश करना पड़ेगा। वह बात यह है कि रियासतों के समय में सेटिलमेंट होने की वजह से कुछ गांव ऐसे है कि जिनमें कुछ कोठियों का सेटिलमेंट हो चुका है और कुछ कोठियां सेटिलमेंट के बिना ही पड़ी हुई हैं आज तक। क्या हो रहा है कि एक ही गांव में १० आदमी सेटिलमेंट रेटस से लगान दे रहे हैं और ४, ५ आदमी लटाई के हिसाब से लगान दे रहे हैं। यह बड़ी अन्याय पूर्ण चीज़ है। यही एक ऐसा कानून है कि जिसके तहत हम जनरल बात कर सकते हैं कि प्रत्येक खाते के लिए पुनरावलोकन होगा तो वह रेटस लागू होंगी, नहीं तो उन्हीं खेतों पर जहां पहले सेटिलमेंट हो चुका है एक गांव अन्दर, चेयरमेन महोदय, आप जरा ध्यान पूर्वक सोचिए कि

[श्री मानसिंह महार]

कितने अन्यायपूर्ण बात होगी। एक गांव के लिए ४ रूपये रेन्ट रेट्स तय कर देते हैं तो जमीन अनसेटिल्ड है उसको आप आसानी से उनकी रेन्ट रेट्स के हिसाब से क्लासिफाइड कर दें तो की बात कर सकते हैं। लेकिन वे करना चाहते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रकारके जितने उलझे हुए मामले हैं उन उलझे सेटिलमेंटके तहत जल्दी से जल्दी आ सकते हैं। अगर वह मानते हों तो इस प्रकार हुए मामलात को जहां तक हो सके उनको उलझाया हुआ रखा जाय। उसमें राहत उस समय पहुंचाई जाय जब कि उस उलझन से हम कुछ निजी फायदा उठा सकें। निजी फायदे से मेरा अर्थ यह नहीं है कि कोई रिश्वत से मतलब हो। आज तो पैसे की रिश्वत के और ही मामले बहुत से हैं जिनमें दी जा सकती है। निजी फायदे का मतलब यह है कि अपनी पार्टी, गुट को अगले चुनाव में किस प्रकार से फायदा पहुँचायें। यह चीज है मेरे निजी फायदे का अर्थ। तो यह बात भी देखने की है कि पुनरावलोकन हमारे जयपुर डिविजन में इस प्रकार गांव हाफ सेटिल्ड और हाफ अनसेटिल्ड है वह भी उसके तहत आजायें। यह एक और मेरा सुझाव है कि जिसकी वजह से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय।

इसके अलावा जो फीस वगैरह लेने की बात है, तो आज के युग में इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज तो पटवार सेस जैसी की सरकार लादा करती थी उसको हाई कोर्ट ने अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर दिया तो इसके बाद आपने गलती की और जब गलतियों को जब महसूस किया जाय तो अपने खर्चे से काश्तकार को राहत पहुँचायें यह तो कोई बात हुई, लेकिन राहत पहुंचाने में जब फीस ली जाती है, यह मैं जानता हूं कि वकीलों का दिमाग होने की वजह से वह फीस वाला मामला तो हर वक्त सवार रहता है। फीस के बिना काम नहीं हो सकता है इसलिए फीस लफ्ज़ इधर उधर से आयगा। कहा यह जायगा कि हम तो जागीरदारों से लेंगे लेकिन जब आपने जागीर एबोलिशन एक्ट पास कर दिया तो अब किस बात की फीस जागीरदारों से? कहा जायगा कि यह मन्दिरों की जमीन से ली जाती है। तो भगवान के घर को तो छोड़ दिया जाय। इस फीस से अगर २, ४ हजार रुपये आयेंगे तो यह समझ लीजिये कि हमने भगवान को भेंट किये थे। जब भगवान को ही नहीं छोड़ते हैं, जैसा कि गोविन्द देव जी की चोरी से साबित हुआ है तो फीस की बात कर ली जाय।

(घंटी)

श्री सभापति—You have already taken 35 minutes.

श्री मानसिंह महार—११ बजते ही मैं बैठ जाऊंगा। इससे अधिक एक मिनिट भी नहीं लूंगा।

यह जो रेन्ट रेट्स रिव्यू एन्ड वेलिडेशन बिल है इसके ऊपर मैंने करीब ३४ तक सरकार का ध्यान आकर्षित किया। मैं सदन से यह आशा करूंगा, और चेयरमेन महोदय,

[श्री मानसिंह महार]

आपके जरिये खास तौर से मंत्री जी से कि वे इस ओर ध्यान देंगे कि जयपुर डिविजन के ऊपर इस चीज से जो कुठाराघात हो रहा है उसको रोकने के खातिर सरकार को इस कानून में इस प्रकार का प्रोवीजन रखना चाहिए कि इस कानून के तहत जितना सेटिल्ड एरिया है आलरेडी उनको कम से कम विदिन सिक्स मन्थ्स सरकार राहत दे दे, और इस प्रकार के मेजर प्वाइन्ट्स को लेकर जो एमेन्डमेंट्स आयेंगे वह जब तक सिलेक्ट कमेटी में बैठकर तय नहीं करेंगे तब यह कभी भी नहीं हो सकेगा।

दूसरे, सिद्धान्त रूप में जो चीज है वह है रेट्स का तरीका अपनाना। वह तहसील की दरख्वास्त पर नहीं। हम किसी की दरख्वास्त नहीं लेंगे। यह पक्षपात नहीं चाहते। हम क्या अन्धे हैं, चेयरमेन महोदय ? हमारे पास आंकड़े हैं, कहीं रेटस ज्यादा है तो देखेंगे। सरकार के पास मशीनरी मौजूद है। सरकार किसी से पूछना नहीं चाहती। सरकार स्वयं महसूस करती है कि रेट्स में कमी की जाय। जहां अधिक से अधिक है वहां की हाइऐस्ट रेट्स सरकार तय कर दे कि फलां तहसील सबसे अधिक उपजाऊ है उसके हाइएस्ट रेट्स सरकार लेले और फिर उनके ऊपर से नीचे के जो रेट्स है वे तय कर दिये जायं और फिर बीच की तहसीलों को इस प्रकार से विभाजित कर लिया जाय और रेटस की दरों की स्केल कर दी जाय।...

इसके अन्दर न आपको किसी दरख्वास्त की जरूरत है और न किसी सिफारिश की जरूरत है। एक तरह से क्लासिफिकेशन होगा और यह सीधा तरीका अपना लीजिये, ६ महीने में सेटल्ड एरीया में इनको लागू कर दीजिये। जयपुर को राहत पहुंगी। अगर जयपुर के रेवेन्यू मिनिस्टर होने पर भी नहीं मानते हैं तो मैं समझता हूं कि जयपुर डिविजन के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है।

श्री **रूपनारायण शास्त्री**—माननीय चेयरमेन महोदय, राजस्थान लगान दर पुनर्वि-लोकन तथा वैकरण (पुनः प्रवर्तन) विधेयक, १६५६ प्रस्तुत हुआ है। यह विधेयक अत्यन्त ही सुन्दर और उत्तम कहा जा सकता है। इस विधेयक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए इसके उद्देश्य और कारणों का जो विवरण दिया गया है उसमें कहा गया है कि राजस्थान लगान दर पुनर्विलोकन तथा वैधकरण अधिनियम, १६५५ (राजस्थान अधिनियम संख्या ६, सन् १६५५), जिससे सरकार को इस तथ्य की आज्ञा देने की शक्ति प्राप्त हुई थी कि सरकार द्वारा किसी क्षेत्र के लिये मंजूर की गई लगान दरों का पुर्विलोकन कतिपय परिस्थितियों में किया जा सकेगा, १ जनवरी, १६५६ को प्रभावशून्य हो गया। इसी प्रकार का प्रावधान विधान सभा द्वारा हाल ही में पारित लैंड रेवेन्यू बिल में रखा गया है, किन्तु राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के प्रभाव शील होने में कुछ समय लगेगा। इस बीच, कतिपय मामलों में लगान दरों के पुर्विलोकन की आज्ञायें दी जाती हैं जिनके लिये इस समय कोई विधि विद्यमान नहीं है। इसलिए यह विधेयक

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

प्रस्तुत किया जाता है जिसके द्वारा समाप्त हुए अधिनियम के प्रावधानों का पुनः प्रवर्तन प्रस्तावित है।

इसका अभिप्राय यह है कि ऐसा बिल पहले भी था और जब वह जनवरी के महिने में प्रभावशून्य हुआ तो दूसरा विधेयक लाना पड़ा। पहले भी वह उसी दृष्टि से लाया गया था और इसी दृष्टि से अब भी लाया गया है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसका उद्देश्य एक मात्र यही है कि जहां किसानों पर अधिक लगान हो तो सरकार उसको कम करे और किसानों का हित करे। कौनसा व्यक्ति नहीं होगा कि जो कड़ी धूप में खड़े रहने वाले, कठिन वर्षा को सहन करने वाले, और कठिन शीत को सहने वालों का हित न होता हो। प्रत्येक प्राणी की किसानों के प्रति सहानुभूति हो सकती है और प्रत्येक प्राणी यही चाहता है कि किसानों का कल्याण हो। यदि इसके प्रस्ताव-कर्ता उसको इसी रूप में प्रस्तुत करते हैं तो यह वास्तव में कल्याणप्रद है।

इसका विरोध किया जा रहा है, वह दृष्टि से नहीं कि चूंकि हम विरोध पक्ष में बैठे हैं, विरोधी दल में बैठे हैं इसलिए इसका विरोध करें, इसकी आलोचना करें। मैं निवेदन करूंगा कि सत्य बात को कभी आलोचना नहीं होती, उसका विरोध नहीं होता। इसको उत्तमता भी मानें और फिर भी इसका विरोध करते हैं तो यह कदापि उचित नहीं माना जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं कि जो इस बिल के सम्बन्ध में व्यक्त करनी पड़ती हैं और जो व्यक्त करना चाहिए भी। मैं आप से यह कहूँगा कि यह बिल कहां लागू होगा। कहां प्रभावशील होगा, इसमें यह कहा गया है कि कतिपय परिस्थितियों में लगान दरों का पुर्विलोकन किसी विपरीत रूढि, प्रथा या अमल के होते हुए भी तथा किसी विधि, विधायन, नियम, आज्ञा या लेख्य पत्र, जो तत्समय प्रभावशील हो, में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, यदि वह किसी क्षेत्र में बन्दोबस्त कार्य की समप्ति के पहले इस बात से सन्तुष्ट हो जाय कि ऐसे क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा बन्दोबस्त के दौरान में मंजूर की गई लगान दरों में,"

इसका अभिप्राय यह हो गया कि जहां सेटलमेंट हो गया, परन्तु जहां सेटलमेन्ट पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, सरकार ने यह घोषित नहीं किया कि यहां का सेटलमेन्ट पूरा हो चुका, यहां का बन्दोबस्त पूरा हो चुका, उस क्षेत्र में यह विधेयक काम में आ सकेगा और जहां सेटलमेन्ट पूरा हो चुका वहां यह काम में नहीं आ सकेगा। इसके अतिरिक्त इसके आजाने से पहले की जो परिस्थितियां हैं वे समाप्त समझी जावेंगी। मैं तो यह कहता हूं कि जहां सेटलमेन्ट समाप्त नहीं हुआ है वहां इसको चालू करना अनुचित नहीं है, लेकिन सवाल तो यह है कि यह किस नियत से किया जाता है। मैं तो यह भी कहता हूँ कि जहां राजस्थान सरकार का क्षेत्र है, खालसा का क्षेत्र है, वहां उस खालसे के क्षेत्र में तो प्रायः सेटलमेन्ट हो चुका और कहीं नहीं हुआ है तो वह क्षेत्र कहां मिलेगा जागिरदारों के क्षेत्र में? जागिरदारों के कितने ही गांव में सेटलमेन्ट नहीं हुआ है, पट्टे आलेख नहीं मिले हैं, उनको रद्द करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है इसका परिणाम क्या होगा?

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

यद्यपि किसानों का हित जरूर होगा, किसानों का जितना दृष्टिकोण रहता है उतना ही जागीरदारों के लिए भी सोचना चाहिए, जागीरदारों के सम्बन्ध में यह सोचते हैं कि जागीर एबलिकेशन बिल में यह पास किया है कि जितनी करों की आमदनी होगी वे सब सेटलमेन्ट के आधार पर होंगी और उतना ही उसको मुआवजा दिया जावेगा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम जागीरदारों का मुआवजा कम करने की नियत से यह बिल प्रस्तुत कर रहे हैं·······

श्री सभापति—No talking please.

श्री रूपनारायण शास्त्री—यदि इसी नीयत से यह बिल प्रस्तुत किया जा रहा है तो यह एक दम गलत है। एक तरफ भलाई और दूसरी तरफ बुराई, दोनों हो जाती हैं इसलिये इस बिल को प्रस्तुत करना न्याय संगत नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि "निर्धारण वृत्त बनाने में, या

(ख) भूमि के वर्गीकरण में, या

(ग) भूमि की विशिष्ट किस्मों की लगान दरों में निर्णय विभ्रम का पता लगने के कारण।"

इनका पुनः अवलोकन किया जावेगा और ऐसी बात आ जायगी तो उनके कारण लगान कम हो सकेगा। लगान कम होने की प्रेरणा मिलती हो तो ठीक है लेकिन जो सर्वत्र न हो, एक ही तहसील में लग जाय, चुनाव निकट आ जाय और उससे इनका फायदा उठाया जाय, मैं बताऊं कि खनेरा के चुनाव हो रहे थे। मिनिस्टरों ने और अच्छे अच्छे लोगों ने जाकर गांवों के लोगों को कहा कि तुमको लगान में २० पर्सेन्ट कमी कर देंगे और उसका परिणाम यह हुआ कि किसानों ने प्रायः कांग्रेस को वोट दिया। अगर हमारे चुनाव क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए, जागीरदारों को हानि पहुंचाने के लिए यह करे तो यह हमारा उदार दृष्टिकोण नहीं हो सकता। वह उदार दृष्टिकोण तो तब ही हो सकता है कि चाहे सेटलमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो, तो सर्वत्र २० प्रतिशत कम कर दें। यह कहा जा सकता है कि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए इतना कम कर दे, लेकिन इसके लिए यह भी कहा जा सकता है कि चूंकि जागीरी क्षेत्रों में कांग्रेस का जोर नहीं है, तो वहां अपनी पार्टी की भलाई के लिए यह कर दें तो यह पक्षपात-पूर्ण न्याय है और इसको उचित न्याय नहीं कहा जा सकता। यह बात नहीं होनी चाहिए कि जहां सेटलमेंट नहीं हुआ है वहां करें और हो चुका है वहां न करें, इसको राजस्थान के लिए सर्वत्र कर दे। जहां सेटलमेंट समाप्त हो गया हो और वहां लगान ज्यादा हो तो कम करें, जहां सेटलमेंट हो चुका हो वहां कम कर दें। तो यह तो न्याय पूर्ण बात होगी और किसानों के हित के लिए भी

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

यह होगा। और अगर नहीं करते हैं तो यह समझा जाना चाहिये कि जागीरदारों को हानि पहुंचाने के लिए ही यह कह रहे हैं।

जब आप पुनर्विलोकन करने जा रहे हैं तो जिस प्रकार पूर्व वक्ता ने बताया कि अच्छी अच्छी जमीनें हैं, अच्छी वर्षा होती है; जल की सुविधायें हैं, जमवा रामगढ़ है उसमें तिगुना फर्क है, ऐसा नहीं होना चाहिये। अगर सेटलमेंट ने ऐसा किया है तो पुनर्विलोकन के वक्त उसको दुरुस्त करेंगे। इसको न्याय की तराजू पर तोलें। न्याय का किस तरह से माप दन्ड रख सकते हैं इसको देखें। तो राजस्व मंत्री का यह कर्त्तव्य हैं कि इस समय सेटलमेंट अधिकारियों को पूरी तरह से सूचित करदें कि वे न्याय करें और इसमें यह नहीं हो कि यह इस तहसील का है इसलिये कम करदो और दूसरे तहसील वालों की दर ज्यादा कर दो। इस तरह का विचार नहीं होना चाहिये कि यहां वालों का फायदा होना चाहिये और वहां वालों का फायदा नहीं होना चाहिये। यह क्षेत्र कांग्रेस वालों को नहीं मानता है इसलिये इनका लगान कम नहीं हो रहा है इसका कारण यह है कि तुम कांग्रेस के विरोधी हो, दूसरे लोग जो कांग्रेस के पक्ष में हैं उन सब का लगान कम कर दिया गया है। इसलिए तुम भी कांग्रेस को वोट दो। इस दृष्टिकोण को यदि रखते हैं तो इस विधेयक की अच्छाई उसी तरह से नष्ट हो जायगी जिस तरह से किसी का सुन्दररूप कोढ़ के दाग होने से नष्ट हो जाता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यदि इसको पास करना ही है तो इस पर पुनरविचार करलें और सिलेक्ट कमेटी में भेजकर दृढ़ रहें और विचार करलें तो अनुचित नहीं क्योंकि सर्व कल्याण की भावना से विचार होना चाहिये। सोच विचार के बाद सर्वतः ठीक हो वैसा करना चाहिये।

श्री अंगदराम—चेयरमेन महोदय, मैं लगान दर पुनर्विलोकन तथा वैधकरण के मामले को राजस्व मंत्री महोदय के गले से नीचे उतारना चाहता हूँ। इसकी वजह यह है कि बहुत बार हमने राजस्व मंत्रीजी से इस संबंध में बातचीत की। हम भुक्त भोगी है और बहुत लम्बे अरसे से भुक्त भोगी हैं। जैसा सेटलमेन्ट जयपुर डिविजन में हुआ हैं मेरे ख्याल से वैसा सेटलमेन्ट दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ होगा। जैसी यहां की मखौल उड़ी है वैसी मखौल दुनियां में कहीं नहीं उड़ी होगी। इस सम्बन्ध में सोच समझ से काम नहीं लिया गया। यह सेटलमेन्ट किस ढग से किया और सेटलमेन्ट किया है या तमाशा किया है उसका पता नहीं चल रहा है। घाटे लगाते हैं, नाप कर लगाते हैं लेकिन नक्शों में घाटे नहीं हैं। जब किसान आपस में तनाज़ा करते हैं तो इधर से २० और उधर से १५ घाटा नाप ले जाते हैं। डोलते रहें किसान।

सर्किल रेटस किस आधार पर तय की जाय यह हमारे समझ में नहीं आता, शायद किसी के समझ में नहीं आता। एक सी जमीन है, एकसी पैदावार होती है लेकिन एक तरफ की सर्किल रेट कुछ मुकर्रर करदी और दूसरे की और तरह की करदी। कोई सोचने समझने का सवाल

[श्री अगंदराम]

ही नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि कोई देखनेवाला पैदा ही नहीं हुआ। जो कर दिया सो कर दिया। कोई फर्स्ट नंबर आने वाला है उसको फर्स्ट नहीं करके कुछ और ही कर दिया तो कर दिया सर्कल रेट मुकर्रर करदी तो करदी। कोई अफसर यदि मौके पर आकर देखता है और उसको पूछें कि एक का सेटलमेन्ट इस तरह का कर दिया और पास वाली दूसरी जमीन का दूसरी तरह का क्यों कर दिया तो कोई जवाब नहीं। मैंने सेटलमेन्ट ऑफिसर से यह जवाब मांगा, मौके पर जाकर कि यह जमीन है और दूसरी बगल की जमीन है। एक का लगान तो ६ रुपया कर दिया और दूसरे का ८ रुपया कर दिया, यह कौनसी खसूसियत पैदा हुई है कि एक का कम और दूसरे का ज्यादा कर दिया, तो कोई जवाब नहीं। आज भी जवाब नहीं और आगे भी नहीं देंगे।

दूसरी बात क्लास के बारे में है। मौके पर ऑफिसर्स गये। किसी को अव्वल क्लॉस में ले लिया तो किसी जमीन को सोयम और दोयम में ले लिया। लेकिन हम जब ऑफिसर्स को पूछते हैं कि एक कोठी है इसमें दो तरह की जमीन है, चाही अलग है, दूसरी सोयम है इसका और दूसरी जमीन का फर्क बता दीजिये कि इन में फर्क क्या है तो कोई जवाब नहीं। जैसा मन में आगया वैसा ही कर दिया। किसी को सोयम कर दिया, किसी को दोयम कर दिया और जब पूछा गया कि इन दोनों में फर्क क्या है तो कोई जवाब नहीं। इस तरह का सेटलमेंट हो जाय और इस कानून में फिर रद्दोबदल करदो जाय तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है। कानून मुंह से थोड़े ही बोलेगा, कानून को अमल में लेंगे तभी तो वह अपना काम करेगा। मैं पूछता हूं मंत्रीजी से कि सेटलमेंट कमिश्नर के कितने दौरे हुए और एसिस्टेन्ट कमिश्नर के कितने दौरे हुए और मन्त्रीजी ने कितने दौरे किये? जिनका पंखों के नीचे बैठने पर भी गला बैठ जाता है तो वे यदि धूप में निकलेंगे तब तो उनको बुखार हो जायगा। मेरा समझ में नहीं आता कि यह कानून जो काफी पहले बन गया था अब तक उसको अमल में क्यों नहीं लाया गया? और नया कानून पास कर रहे हैं तो क्या किसानों को तबाह करने के लिए पास कर रहे हैं, मंत्रीजी के सामने है कि १०० रु. देदो और ३३ को रेट नियत करालो। पहले यह था कि ५० देदो और १०० करालो अब १०० दे दो और ३३ करालो। ऑर्डिनेन्स निकाले गए। जिस समय यह निकला उस समय मौके के ऑफिसर्स को जेबें दूसरी तरह की बनानी पड़ीं। अब दूसरा संशोधन ला रहे हैं तो फिर जेबों में गर्मी आएगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन लाइयर्स को क्यों मिनिस्टर बनाया गया। वे तो पहले ही से बनेबनाए थे। एक मुकदमा लिया उसके पीछे फंदा फैंकते गए और उसको लटकाते गए ' सबसे पहली गलती हमने यह की कि इन लाइयर्स को मिनिस्टर बनाया। यह तो उसका काम है कि फंदेबाजी करें। एक मुवक्किल का किसी दूसरे से झगड़ा हो गया तो पूछा कि झगड़ा काय से हुआ तो बताया कि लाठी से हुआ तो उस मुवक्किल से कहा कि जब कोर्ट पूछे तो कह देना कि छुरा बताया गया इससे मुकदमा जोर पकड़ लेगा।

दूसरी बात यह है कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब रेवेन्यू के मामले में पहली क्लास के विद्यार्थी है। उनको रेवेन्यू का कुछ भी ज्ञान नहीं है। रेट्स के बारे में उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है और यदि

[श्री अगंदराम]

यह कानून और बन गया तो न मालूम किसानों का क्या हाल होगा और विधान सभा का क्या हाल होगा। इस तरह की अनियमितता जमुआ रामगढ़ में करके लगान ज्यादा वसूल किया। लोगों के हजारों रुपये बरबाद कर दिये, लोग दरवाजे खटखटाते रहे तब जाकर थोडी राहत मिली। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के पास गये तो कहा कि हुक्म लिखकर कमिश्नर को दे दिया। कमिश्नर के पास दूसरे दिन पहुंचते हैं तो वह कहते हैं कि हमारे पास कागज नहीं है, हुक्म नहीं आया है। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का हुक्म और उसका भी पालन नहीं हो? उनके हुक्म की ठिकाने वाले परवाह ही नहीं करते। आमेर तहसील में भी ऐसे ठिकाने मौजूद हैं जहां सेटलमेन्ट हुआ और जो रेट मुकर्रर हुई उससे चार गुना और ६ गुना लगान आज भी मौजूद है। हमने कमिश्नर के सामने यह बात रखी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, पर्चा लाओ, पर्चा उनके सामने रखा तो उसको देख कर ठंडे हो गये कहने लगे सवाया तो लगेगा। सवाया लगान के लिये किसान रजामंद हो गये लेकिन फिर भी दुगुना तिगुना वसूल कर रहे हैं। कहते हैं जब जवाब मिलता है कि मियाद निकल गई। दरख्वास्त देते हैं तो कहते हैं मयाद निकल गई। अब मियाद के लिये क्या किया जाय? कानून बनाकर कागज में रखना और अमल में नहीं लाना, और अमल में लाना तो पूरी तरह से नहीं लाना यह कोई चीज है? क्या यह प्रजातंत्र है? किसानों को राहत देना चाहते हैं, उनका भला करना चाहते हैं। क्या इसी तरह से आपने किसानों को राहत दी है? (करतल ध्वनि) कांग्रेस ने किसानों के साथ क्या किया? कौनसी राहत उनको पहुंचादी, एक कोठी है, कोठी का नला एक आदमी के नाम है उसमें से २० बीघा जमीन और आदमी के नाम है और ३० बीघा बारानी पड़ी है। आज वह आदमी नले पर कहता है कि तू चाही कर। तो वह चाही करे तो २० बीघा जमीन सूखती है, खुद चाही करता है। किसान आपस में मुकदमें लड़ाते हैं। लडाई में कई कानून कायदे बीच में आते हैं। तमाम जगह झगड़े ही झगडे फैल गये। कोई नहीं सुनता है। हम कानून तो बनायेंगे लेकिन उसको अमल में नहीं लेंगे तो कानून अपने आप थोडे ही बोलेगा। हमारी व्यवस्था कानून थोडे ही अपनेआप कर देगा? सेटलमेन्ट क्या चीज है मैंने खुदने सेटलमेन्ट में काम किया है। मैं सेटलमेन्ट का पास शुदा हूं ...

श्री सभापति— आप इसका विरोध कर रहे हैं या इसके पक्ष में बोल रहे हैं?

श्री अंगदराम—ऐसा कानून नहीं बनाया जावे, जिससे फायदे की जगह लोगों को नुकसान हो।

श्री सभापति— प्रश्न तो यह है कि आया इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जावे या नहीं।

श्री भैरोंसिंह— इनकी मंशा यह है कि इसको पास कर दिया जावे।

श्री अंगदराम— मेरे कहने का मतलब यह है कि रोजमर्रा कानून बनाये जाते हैं मगर एक भी अमल में नहीं लाया जाता है। इससे किसानों की सुनवाई नहीं होती और रोज नये नये कानूनों के कारण आपस में झगडे पैदा होते हैं। इसलिये मैं तो यह कहूंगा कि ऐसे कानून बना कर हमको झगडे पैदा नहीं करना है। किसानों को आपस में नहीं लडाना है। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। जो कानून बनाया जाता है उस पर अमल करने की कोशिश करें।

रावराजा श्री सरदार सिंह—माननीय चेयरमैन, राजस्थान लगान दर पुनर्विलोकन विधेयक के बारे में जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

माननीय चेअरमेन, मैं माननीय राजस्व मंत्री को इसके लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने यह कानून पेश तो किया। देर से पेश किया लेकिन पेश तो किया। हम लोग भी हमारी कोन्स्टीट्यूएन्सीज़ के किसानों की तरफ से प्रार्थना करते थे कि हमारे सरटेन तहसीलों में लगान की दरें ज्यादा हैं और शायद राजस्व मंत्री ने दौरा करके खुद इस बातको महसूस कर ही लिया होगा और हमारे कहने से नहीं किया तो अब आपने प्रत्यक्ष देख लिया और आपके पास दरख्वातें भी आई होंगी।

मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूंगा कि मेरी कोन्सटीट्यूएन्सी में दूनी तहसील है उसमें टोड़ा उनियारा और आवा सर्किल है, उनके मुकाबले में उनकी रेट बहुत ज्यादा है इसलिए मैं जो माननीय मन्त्री से यह निवेदन करूँगा जो शब्द कि "in the course of settlement operations need modifications" यानी जहां सेटलमेंट हो रहा होगा वहां पर ही यह कार्यान्वित किया जावेगा। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां सेटलमेंट हो चुका है उसके लिए भी रेवेन्यू मिनिस्टर अगर इसमें कोई प्रोविजन रखते तो बड़ी अच्छी बात है और नहीं तो मैं माननीय चेयरमेन, आपके द्वारा प्रस्ताव करूंगा कि इसमें जो बहुत सी कमियें रह गई हैं और जिसके लिये हमारे सदस्यों को भी बहुत सी शिकायतें हैं तो कोई हर्ज नहीं है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे। जहां पर और भी सुझाव अच्छे अच्छे इसमें आ सकेंगे और इसमें किसानों की भलाई के सुझाव नहीं हैं और जिसका असर किसानों पर बुरा पड़ सकता है इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी सिलेक्ट कमेटी में भेज कर पास कर लिया जावे। क्योंकि माननीय राजस्व मंत्री खुद भी इस बात को महसूस करते हैं कि वाकई में रेट्स कई जगह ज्यादा है। इसलिये मेरा यह प्रस्ताव है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे।

श्री भोपालसिंह—माननीय चेयरमेन, राजस्थान लगान दर पुनर्विलोकन तथा वैधकरण विधेयक, १९५६ जो पेश हुआ है यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत खामियें हैं उनको दूर करने के लिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे तो बहुत अच्छी बात होगी। यह विधेयक लगानों के लिये आया है यह तो बहुत सुन्दर है, लेकिन समय का तकाजा तो यहां तक है

[श्री भोपालसिंह]

कि सरकार को चाहिये कि जिस प्रकार इनकम टैक्स के लिये एक रकम निर्धारित की गई है कि इससे नीचे इन्कम टैक्स नहीं लिया जाता है वैसे ही किसानों की आमदनी को छोड़ा जाना चाहिये था जिससे कि किसानों को भर पेट रोटी मिल सके और यह होना चाहिये था कि जहां तक किसानों को भर पेट रोटी नहीं मिले तब तक लगान नहीं लेना चाहिये। मगर यदि ऐसा सरकार नहीं कर सकती तो कम से कम ऐसा तो कर सकती है कि जागीरों में जागीरदारों द्वारा जो लगान काश्तकारों से लिया जाता था उससे तो कम लिया जाना चाहिये। सरकार यह कहती है कि किसानों को जागीरें खत्म होने के बाद राहत मिलेगी। जागीरें अब समाप्त हो चुकी हैं लेकिन हम देखते हैं कि सरकार अभी भी वही लगान उनसे ले रही है जो जागीरदारों के समय में लिया जाता था। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि सरकार ज्यादा ही लगान लेने की कोशिश कर रही है कम नहीं। इसलिये मेरा तो यह निवेदन है कि काश्तकारों को जहां तक भरपेट रोटी नहीं मिले तब तक किसी प्रकार का लगान उनसे नहीं लिया जाना चाहिये, यह बात इसमें रखी जानी चाहिये। अगर इस पर सरकार की यह मंशा नहीं है कि इसको रखा जा सके या यदि इसको नहीं रखा जा सकता है तो किसानों से जो १/६ लगान लेने का जो कानून पहले निकला था उसके माफिक सभी जगह तामील करानी चाहिये।

हमारे मारवाड में सेटलमेंट हुआ था। मगर वहां पर १/६ की कोई भी पावन्दी नहीं थी। अगर १/६ हिस्सा से लगान सभी तहसीलों में लेने के लिये रेख बांध दी जावे तो यह भी ठीक होगा। यह नहीं हो कि फलां तहसील की आमदनी सबसे अधिक है इसलिये यहां पर ज्यादा लगान हो और फलां तहसील की आमदनी कम है, इसकी लगान कम हो और बीच को तहसील में उसी प्रकार कम की जावेगी। यदि ऐसा तरीका होगा तो मंत्री लोग जहां से चुनाव जीत कर आये हैं उनको काफी हद तक छूट दे देंगे और दूसरी जगह बिल्कुल छूट नहीं दी जावेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि हर तहसील में एक ही अमल बरामद होना चाहिये। इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे ताकि जो इसमें कमियें रह गई हैं वे पूरी हो जावेंगी।

श्री **सोहनलाल भटनागर**—चेयरमैन महोदय, जो प्रस्ताव सदन में आया है उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस सदन के समक्ष दो बार ऐसे ही प्रोविजन आये हैं और उन पर यहां पर डिस्कशन हो चुका है और उसको एडोप्ट किया जा चुका है। राजस्थान एक्ट नंबर ६ ऑफ १६५५ और राजस्थान रिव्यू एन्ड रिवेलीडेशन ऑफ रेन्ट रेट्स एक्ट जो कि जनवरी १६५६ को समाप्त होता है और ऐसा ही प्रोविजन लेन्ड रिफोर्म एक्ट में रखा गया है। उसकी एसेन्ट अभी तक नहीं मिली है और इस वजह से कोई लेकुना नहीं रहे उसके लिये उसकी कमी को पूरा करने के लिये कोई एक्ट होना जरूरी है। जहां पर रेन्ट रेट बहुत ऊंचे थे वहां पर नीचे करने के लिये कोई पॉवर सरकार के पास नहीं है। इसलिये इस एक्ट के द्वारा सरकार को पॉवर दी है। इससे हजारों काश्तकारों को राहत मिलेगी। जब तक लेन्ड रिफोर्म एक्ट राइज़ नहीं होता

[श्री सोहनलाल भटनागर]

तब तक किसानों का हित नहीं हो सकता इसलिये यह बिल अगर नहीं आता है तो काश्तकारों को राहत नहीं मिल सकती क्योंकि सरकार इस संम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठा सकती। इसलिये यह एक फोरमल और मामूली चीज है और इस पर दो बार विचार विमर्श हो चुका है। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि कौनसी कठिनाई रह जाती है जिसको आप दूर कराना चाहते है।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय सभापति मै राजस्थान लगान दर पुनर्विलोकन तथा वैधकरण विधेयक, १६५६ के बारें में कुछ कहना चाहता हूं यह जो कानून बनाया जा रहा है वह बहुत अच्छा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान बनने के ८ वर्ष बाद यह सुझाव लाया गया है। अगर यह पहले लाते तो ऐसा मलूम होता कि माननीय मंत्री राजस्थान की जनता के प्रति इमानदार है और उसकी भलाई के लिये लालायित हैं। मगर मैं कहूंगा कि इसमें कुछ कमियें रह गई हैं और जिन्हें दूर करना चाहिये। इसके लिये कहा गया है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जावे। मेरी भी यह राय है कि इसको दो दिन के लिये सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जावे जिससे ऐसा होगा कि जो जो प्रश्न रह गये हैं उन पर विचार हो जावेगा और उससे लोगों को ज्यादा फायदा होगा।

इसके अलावा यह कहा गया है कि उदयपुर में बहुत कम लगान है और इससे लोगों को काफी राहत मिली है। इस संबन्ध में मेरा यह निवेदन है कि यह कहना कि वहां के लोगों को काफी राहत मिली है और लगान की दरें बहुत कम हैं, ऐसी बात नहीं है। वहां पर हाल ही में कपासन में एक किसानों का सम्मेलन हुआ था और वहां पर उन्होंने ऐलान किया था कि हमारे लगानों में कमी की जावे, अगर सरकार हमारे लगानों में कमी नहीं करेगी तो हम लगान देना बन्द कर देंगे और अगर देंगे तो आधा लगान देंगे। इसलिये आप ऐसा खयाल नहीं करें कि उदयपुर में कम लगान लिया जा रहा है। हां, इतनी बात जरूर तारीफ की है कि वहां पर राजाओं के बने हुए कानून हैं वे बेसिस हैं जिसके लिये आप यह कहते हैं कि सामन्तशाही और प्रतिक्रियावादी कानून थे और वे लोग किसानों को लूटते थे। मगर मैं यह कहूंगा कि जो सेटलमेंट अभी जयपुर में कराया गया है उसके लगान उदयपुर और कोटा में राजाओं के राज्य में जो लगान लिये जाते थे और जो लगान दरें थी उनसे अधिक हैं और राजाओं के जमाने की दरें आपके लगान की दरों से कम है। आप, जहां पर लगान दरें ज्यादा हैं उनको ठीक करने के लिये यह कानून ला रहे हैं। इस पर मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां पर लगान ज्यादा हो रहा है वहां पर आप कम करने जा रहे हैं। जब आप रेट कम करने जा रहे हैं तो आपको यह भी देखना होगा कि पहले सेटलमेंट हो गया है और रेट ज्यादा हैं वहां पर भी आपको दरें कम करनी होंगी। मैं यह चाहूंगा कि जो कानून लागू हो वह सारे राजस्थान में लागू होना चाहिये, यह नहीं कि जहां से मंत्री महोदय जीते हैं या मंत्री महोदय जिस एरिया को पसन्द करें उसके रेट कम दिये जावें। यह नहीं होना चाहिये, यह ठीक नहीं होगा। इस कानून में यह धारा जोड़ दी जावे कि सारे राजस्थान में यह रहेगा। मेरा मतलब यन है कि कपासन, चित्तौड और

[श्री जगतसिंह भाला]

उदयपुर में नये सेटलमेंट के आदेश जारी किये गये हैं। रेट बनानी है, इसके लिये यह देखना होगा कि वहां की रेट कम करनी होगी। इसलिए मुझे यह कहना जरूरी हो जाता है कि आपको सारे राजस्थान में एक ही रेट मुकर्रर करनी चाहिये। आज राजस्थान को बने ८ वर्ष हो गये, आपने सेटलमेंट के कोई कानून नहीं बनाये। अगर कोई मेन्युअल इसके लिये बना लेते और उसका सारे राजस्थान के लिये अमल करते तो कोई बात नहीं होती। इसलिये सारे राजस्थान के लिये सेटलमेंट मेन्युअल की जरूरत है। यह कानून जो बनाया जा रहा है यह बहुत अच्छा है और मैं इसकी प्रशंसा करूंगा और यह निवेदन करूंगा कि इसमें देर नहीं होनी चाहिये, मगर दो दिन में कोई देर नहीं होगी। दो दिनों में सदस्य लोग बैठ कर सारी बातों पर विचार कर लेंगे और इससे जनता को ठीक तरह से राहत पहुंचेगी। इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाना चाहिये।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय चेयरमेन, इस एमेन्डिंग बिल को जहां तक सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रश्न है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। इसका कारण यह है कि यह बिल बहुत जरूरी है और जितना जल्दी पास हो जाय अच्छा है। लेकिन इस बात को मैं अवश्य मानता हूं कि इसमें संशोधन कई आवश्यक हैं और अगर वे संशोधन नहीं किये जावें तो इस एमेन्डिंग बिल से नुकसान भी हो सकता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि बार बार एमेन्डिंग बिल आते हैं। इसके क्लॉज़ ३ में "before closing the settlement operations in an area". इसका मतलब यह है कि जहां सेटलमेंट ओपरेशन खत्म हो गया और जितना भी भारी लगान लगाया उसमें कोई कमी करने का अधिकार गवर्नमेंट को नहीं रहता, यदि यह धारा यों की यों रखी जावे तो। इसलिये जहां पर रेन्ट रेट हाई हैं वहां पर उसको कम करने का अधिकार सरकार को मिलना चाहिये। क्योंकि कहीं पर लगान बहुत हाई है और कहीं पर १।४, कहीं पर १।३ और बाद में १।६ हुआ। इसलिये जहां पर हाई रेन्ट हो, कम करना जरूरी है। लेकिन जो धारा बनी है उससे वह कम नहीं हो सकता।

इस प्रकार धारा ५ में आपको याद होगा कि पहले लेन्ड रेवेन्यू बिल पास हुआ उसमें हमने एवरेज १० साल के बजाय २० साल ली है क्योंकि लड़ाई के बाद पैदावार के भावों में बहुत अन्तर पड़ गया और अगर उन बढ़ी हुई कीमतों के आधार पर लगान लिया जावे तो काश्तकारों को बहुत लगान देना पडेगा। इसलिये वही शब्द यहां पर भी आ जाने चाहिये और अगर नहीं आते हैं तो किसानों को राहत नहीं मिलेगी। इसलिये सन् १८४५ से पहले के १५ साल इसके लिये गये हैं जब कि भाव सस्ता था, अगर इसमें सरकार संशोधन करे तो अच्छा है। मैं समझता हूं कि इसमें संशोधन होना बहुत जरूरी है। अगर हाउस में संशोधन नहीं हो सकते तो शाम को सब लोग मिल कर इस पर विचार कर सकते हैं और इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की आवश्यकता नहीं है। यदि इसमें संशोधन नहीं होगा तो इसमें किसानों का नुकसान होगा और देरी भी होगी।

श्री अवनि कुमार मुकर्जी— माननीय सभापति, इसमें जो संशोधन रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और इसके सिलसिले में दो शब्द कहना चाहता हूं। राजस्थान लगान दर पुनर्विलोकन तथा वैधकरण विधेयक पेश हो चुका है और इसको ravalidate करने की आवश्यकता हुई। मेरी समझ में नहीं आता कि जब यह संशोधन रखा गया है कि दो तीन दिन के लिये इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे ताकि सिलेक्ट कमेटी में इस पर विचार कर लिया जावे, तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है? यह तो हम खुद नहीं चाहते हैं कि इसमें देरी हो और लोगों को नुकसान हो। हम तो यह चाहते हैं कि जो विधेयक हमारे सामने आया है उस पर सोच विचार हो और वह तभी हो सकता है जब हम हर बात पर प्रवर समिति में बैठ कर अच्छी तरह से विचार करें। हमारे सामने प्रश्न यह है कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं वह ठीक है या नहीं। हम सब इस बात को मानते हैं कि कोई भी कानून बनाते हैं तो वह सिद्धान्तों पर आधारित हैं। अगर कानून सिद्धान्तों पर आधारित नहीं होते और उसमें कमियें निकलती हैं तो उससे लोगों को सहूलियतें देने के बजाय असुविधाएं हो जाती है। इसलिये हम यह चाहते हैं कि कोई भी कानून बने तो उसके रास्ते में किसी प्रकार की अड़चन नहीं होनी चाहिये। इसलिये सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दें। जहां तक लगान की दरों के पुनः विलोकन का प्रश्न है उसको किसी क्षेत्र विशेष में कम नहीं करना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि जहां तक लगान का प्रश्न है, कि राजस्थान में लगान का निर्णय किसी निश्चित आधार पर नहीं किया गया है, कहीं कहीं लगानों की दरें बहुत ऊंची है और कहीं कहीं बहुत कम है, हमें लगानों का निर्णय करते समय यह देखना होगा कि उस जमीन की पैदावार कैसी है, उस पर कितनी फसल हो सकती या नहीं है और मौजूदा हालत में उसका जो लगान है उसमें तरमीमात हो सकती है, जब तक ऐसी बातें हम कानून में नहीं रखेंगे तब तक कानून ठीक ढंग से नहीं बनेगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि दो दिन का समय प्रवर समिति को इस पर विचार करने के लिये दे दिया जावे और एक छोटी सी प्रवर समिति बना ली जावे और फिर यह बिल वापिस लाया जावे और पास कर दिया जावे। इससे सरकार को भी सहूलियत होगी और लोगों को भी सहूलियत होगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री इसको स्वीकार कर लेंगे तो हमारी मंशा पूरी हो जावेगी। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता। बस इतना ही कह कर समाप्त करता हूं।

रावत श्री शम्भूसिंह—चेयरमैन महोदय, राजस्थान लगान दर पुनर्विलोकन तथा वैधकरण विधेयक, १९५६ को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूँ। इस बिल के अन्दर क्लॉज़ तीन हैं वे मेरी समझमें विवाद ग्रस्त हैं रिव्यू ऑफ रेन्ट रेट्स इसमें जो सरटन सरकमस्टान्सेज़ यह जो वर्ड है वह निरर्थक प्रतीत होता है। रेन्ट रेटस के मोडिफाइ करने का अगर कोई प्रश्न है तो वह स्वागत योग्य है। सरटन सरकमस्टान्सेज़ इसमें शामिल करके इसके महत्व को कम कर दिया गया है। इस वास्ते इसके मोडिफाइ करने के वास्ते ५६

[रावत श्री शम्भूसिंह]

युनिफोर्मिटि आनी चाहिये, युनीफोर्मिटी के अनुसार हम इस कानून को इम्पलीमेंट करें। सरकमस्टान्सेज़ क्या होंगी ? सरकमस्टान्सेज़ क्या होंगी ? मानेंगे किसे, यह भी साफ नहीं। जिसको संबन्धित अधिकारी सरकमस्टान्सेज मान लेंगे, सरटन सरकमस्टान्सेज होंगी। इससे इस कानून की महत्ता कम हो गई है इसलिये यूनीफार्मिटी ऑफ कानून होना चाहिये। इसके अलावा matter to be Considered by the reviewing officer इसमें ए. बी. सी तीन पैरा हैं। इसमें जो बातें रखी गई, उसके अलावा भी तो और मेटर्स हो सकते हैं जिनको भी कन्सीडरेशन में लिया जा सकता है। यह जो मेटर्स ए. बी. सी रखे हैं वे काफी नहीं हैं, इस वास्ते इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करना बहुत आवश्यक है, और जहां लगान की रेट्स को मोडिफाइ करने का प्रश्न है इसकी आवश्यकता तो सभी जगह प्रतीत होती है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। इसको मोडिफाइ करने के वास्ते यह आवश्यक है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

अभी एक बात और कही गई कि जयपुर डिवीजन के मुकाबले उदयपुर डिवीजन में रेन्ट रेट्स कम हैं, मैं समझता हूं, ऐसी बात नहीं। मेवाड़ में भी खालसा और जागीरी के गांवों में लगान किसानों को सख्त प्रतीत होते हैं, उनमें भी मोडिफाइ करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये मैं अर्ज करूं आसीन्द नाम की तहसील है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अन्दर, यह आसीन्द तहसील पहले जागीरदार के अधिकार में थी और मेवाड़ गवर्नमेंट के वक्त में जब खालसा हो गया उस वक्त जो वहां रेन्ट रेट्स थे वे ज्यादा थे और सेटेलमेंट होने के वक्त उन्हीं रेट्स को मद्दे नजर रखा गया। आसीन्द के आसपास के इलाके में जो रेन्ट रेट्स हैं उनसे कहीं ज्यादा रेन्ट रेट्स आसीन्द में हैं। आपको सुनकर यह ताज्जुब होगा कि आसीन्द में बारह बारह रुपया प्रति बीघा आज भी रेन्ट रेट्स कायम है, वही रेंट रेट आज भी वहां के किसानों को देना पड़ता है। आसीन्द क्षेत्र में इसको रिवाइज करने की आवश्यकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज यह आवश्यकता है कि रेंट रेट्स मोडिफाइ होने चाहियें। इसलिये इसको मोडिफाइ करने के वास्ते बहुत से कन्सीडरेशन्स हैं, जो बातें इस कानून में आने से छूट गई हैं उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है। इस वास्ते इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करना आवश्यक है। सरटन सरकमस्टान्सेज़ इत्यादि वर्ड्स को इन्कलूड करके इसके महत्व को कम कर दिया गया है। इस वास्ते प्रवर समिति के सुपुर्द कर इस पर विचार करने के वास्ते भेज देना आवश्यक है ताकि अधिक मंजे हुए रूप में यह बिल सदन के सामने प्रस्तुत हो सके और जब सब तरह से ठीक प्रकार से बिल सदन में आयगा तो सदस्यों को ज्यादा अवसर नहीं रहेगा बोलने का। जिस प्रवर समिति में बैठकर आपस में बैठकर विचार विनिमय कर सकते हैं वहां मन्त्री महोदय भी होंगे, वहां अधिक स्वतन्त्रतापूर्वक अपने विचारों को व्यक्त कर सकेंगे। इसके लियें अधिक समय की आवश्यकता नहीं, दो चार रोज के अन्दर यह काम हो सकता हैं। आज जब कि हम ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सकती है तब क्यों न वह काम करें जिससे ज्यादा से ज्यादा राहत और जल्दी से जल्दी मिल सके। इसलिये ज्यादा सुधरे हुए रूप में यह बिल तभी आ सकता है जब कि यह सिलेक्ट

[श्री शंभूसिंह]

कमेटी के सुपुर्द हो, तभी ज्यादा राहत मिल सकती है। इस वास्ते जमवा रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, मैं उसका समर्थन करता हूं।

राज श्री हिम्मतसिंह—चेयरमेन महोदय, यह राजस्थान लगान दर पुनर्विलोकनतथा वैधकरण विधेयक, १९५९ जो हमारे सामने आया है उसके लिये मैं नहीं समझता कि मेरे को क्या कहना चाहिये। इसके स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्टस एण्ड रीजन्स की ओर निगाह डाली जावे तो गवर्नमेन्ट दर असल प्रशंसा और मुबारकबाद की पात्र है, आखिर नींद तो खुली। न मालूम कहां सोये हुए पड़े थे, कहां किसके सामने ऐसी आपत्ति आ गई जिसके कारण गवर्नमेंट को यह महसूस करना पड़ा कि हमारे पास अधिकार नहीं, किस अधिकार से मोडिफीकेशन करेंगे ? पुराना जो एक्ट उसकी अवधि समाप्त हो गई एक जनवरी को ही। उसके बाद ऐसा कोई रास्ता हमारी सरकार को नहीं मिला कि कुछ कर सके। चलो, सोचा कि विधान सभा में ही इसको पेश कर दिया जाय। अच्छा होता अगर माननीय मंत्री महोदय इस बात की ओर प्रकाश डाल देते। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट जिसको हम पास कर चुके हैं, उसको लागू करने में देरी क्यों, अब और कितनी देरी होगी। ऐसा हम समझे हुए थे, उस एक्ट के पास हो जाने के बाद शायद यह जो एक्ट पास कर रहे हैं उसकी आवश्यकता नहीं होती। जब ऐसा है तो जो प्रोवीजन मौजूद है, लैण्ड रेवेन्यू, एक्ट पास हो जायगा तो इसकी आवश्यकता कोई नहीं रहेगी। अगर माननीय मंत्री इस बारे में सावधान होते तो यह बिल आ जाना चाहिये था नवम्बर और दिसम्बर के महीने में ही। जब कि उनको यह मालूम हो रहा था कि इसकी अवधि एक जनवरी को समाप्त होने वाली है तो वैसी सूरत में जब कि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट लागू नहीं हो रहा है तो यह बिल उसी वक्त आना चाहिये था। लेकिन चलता रहा किसी ने कार्यवाही नहीं की जब देखा कि कोई आफत सामने आ गई, तो कोई बात सामने आगई यह बिल लाना पड़ा। खैर आ गया सो ठीक अपोजिशन का कर्तव्य है कि अगर किसी प्रकार की सरकार को डिफीकल्टीज़ हों तो उनको सोल्व करने में सहायता करें। बिल यह जो लाया गया वह पास होना चाहिये जब तक कि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की सेंक्शन न हो जावे।

उसूलन मैं इसकी बाबत निवेदन करूंगा कि जहां तक सेटिलमेन्ट ऑफ लैण्ड का ताल्लुक है मैं ऐसा मानता हूं कि हम इसको पर्फेक्ट जोब मानते हैं। इसके अन्दर कई स्टेजेज़ के अन्दर सेटिलमेंट डिपार्टमेन्ट पास होता है। कई स्टेजेज़ के बाद असेसमेंट ऑफ राइट होते हैं। फिर लोग-बागों को मौका दिया जाता है उस पर एतराज पेश करने के लिये लगान के बारे में अगर किसी प्रकार का एतराज हो तो वे कर सकते हैं, जो लोगों को मन्जूर है या कमीबेसी करने की आवश्यकता है। इस प्रकार तमाम ऑब्जेक्शन के बाद सेटिलमेंट असेसमेन्ट मन्जूर होता है। रेट्स के मन्जूर हो जाने के बाद समझ में नहीं आता कि किस आधार पर गवर्नमेन्ट

[राजश्री हिम्मतसिंह]

"if satisfied before the closing of settlement operations the area." जब कि सेटिलमेंट का ओपरेशन खत्म होने वाला है, तमाम इन्तजाम पूरे हो चुके हैं, न मालूम किस जरिये गवर्नमेंट को विश्वास हो जावे कि रेन्ट रेट्स के अन्दर मोडिफिकेशन की जरूरत है। मैं नहीं समझता जब कि सब इन्तजाम हो चुका है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरिएन्स के आधार पर कह सकता हूँ कि कोटा स्टेट के अन्दर चार बन्दोबस्त हो चुके हैं कभी इस तरह का कानून, इस तरह की बातें हमारे सामने पेश नहीं आई कि एक दफा सेटिलमेंट हो जाने के बाद रेन्ट रेट्स में जो मोडिफिकेशन करने की आवश्यकता नही है। इससे तो यह जाहिर होता है कि सेटिलमेंट किसी सिद्धांत पर नहीं हो रहा है, गलत रीति से सेटिलमेंट हो रहा है। इसका परिणाम है कि इस तरह का कानून सरकार को बनाना पड़ता है। तो बजाय इसके कि आप ऐसा कानून बनावें बेहतर तो यह होगा कि सेटिलमेंट डिपार्टमेंट को ही ओवरहॉल करें। अच्छे सेटिलमेंट अधिकारी रक्खे जावें।

श्री भोपालसिंह—कोरम नहीं है।

श्री सभापति—Continue please.

श्री हिम्मतसिंह—तो बीमारी तो है कहां और सरकार इलाज़ करती है दूसरा। इसका मतलब यह है कि सरकार खर्च ही करना जानती है, बीमारी को दुरुस्त नहीं करना चाहती। मुझे तो इस सरकार पर बड़ा रहम आता है, जगवा रामगढ़ से आने वाले महोदय ने जो प्रवर समिति को सुपुर्द करने की राय दी है वह भी मैं समझता हूं कि अनुचित नहीं है। बहुत से सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि लगान की दरें सब एकसार राजस्थान भर में होनी चाहिये और इतना डिफरेन्स नहीं होना चाहिये कि कहीं तो अच्छी जमीन होने पर भी कम है और कहीं खराब जमीन होने पर भी ज्यादा है। अगर इसका समावेश हो सकता है और अगर मंत्री महोदय तैयार हैं इस पर तो मैं नहीं समझ सकता कि क्यों नहीं यह प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे। इसलिये अगर वे तैयार हैं तो सुपुर्द किया जावे और जब तक मैं समझता हूं कि पेश नहीं हो जावेगा इस बिल को पास करने को आवश्यकता भी नहीं होगी। काफी अवधि दे दी जावे महीने भर की। काम तो वैसे भी चल ही रहा है। चार चार महीने काम चलते हो गये जनवरी से चल ही रहा है। तो एक महीना और चल सकता है। लैंड रेवेन्यू बिल के पास होने का इन्तजार कर सकते हैं। इसलिये निवेदन करूंगा कि जैसी मंत्री महोदय चाहें वैसी उनको मदद पहुँचाये?

श्री ईश्वरीसिंह—किसानों के हित के खातिर तमाम आदमी बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं। पाछला बीस सालों में राजाशाही और सामन्तशाही में जो लगान था वो आज दुगुनो और तिगुनों कर दियो है। अब प्रजातंत्र हो गयो और राज दुनिया को हो गयो। बड़ी खुशी की

[श्री ईश्वरी सिंह]

चीज हो गई। यह तो बड़ी खुशी की चीज़ हुई। अब कोई न कोई सहानुभूति दिखाने री जरूरत थो, किसान अभी कह रया था कि दस साल से बीस साल कर दिया इसी तरह सूं लगान में कमी करणी चाहिये थी ही। कम से कम सौ का ७५ या ८५ होणा चाहिये था। ताकि गरीब किसानों ने रियायत मिलती। किसान लगान सूं ५० साल सूं दबियोडा पड़ा है। जब तक किसान सुखी नहीं, दुनियां सुखी नहीं। इस वास्ते ओ ठीक नहीं है कि इण ने प्रवर समिति में भेज दियो जावे ताकि तीन साल सूं जो तलवार लटकियोडी ही वा या तो दूर हो जावे नहीं तो फेर डर में तो नहीं राखे। सरकार ने जो फायदो करणो ही है तो वो तो आप लोगों के हाथ में है। प्रवर समिति में भेज सूं कुछ होगो नहीं। अठे ही विचार करके कर सको हो तो कर सको हो नहीं तो फेर जल्दीं सूं जल्दी पास कर दियो जावे ताकि जो तलवार लटक रही है वा तो लटकती नहीं रेवे।

श्री हरिराम निनामा--सेटलमेंट के कानून के सम्बन्ध में निवेदन करना जरूरी समझता हूं। यह कानून जल्दी पास होना चाहिये। काफी देर हो गई है। सेटिलमेंट के बारे में किसानों को जो आफतें हैं वे छिपी हुई नहीं हैं। जो हजारों किसान इस कानून के जरिये कई गुना, चार गुना, दस गुना लगान देते हैं वह रूकेगा। उसकी अभी तक कोई छान-बीन नहीं की गई है। जो ज्यादा से ज्यादा जमीन दबा कर बैठे हैं उनकी जमीन की जांच होनी चाहिये। उनसे कोई लगान नहीं और जो दो चार बीघा लेकर बैठा है उससे दो गुना तीन गुना, लगान। यह अन्याय है। आज पांच वर्ष बीत गये, राजस्थान सरकार ने उनको जांच नहीं की। आज दिन तक किसान दुखी हैं।

उसको परची नहीं दी जाती है। यह आज के युग की बात है। बिना परची के लगान लिया जाता है। यह बेशरमी कहां तक बरदाश्त की जा सकती है? आज किसान ठोकरें खाता फिरता है पर उसे लगान की परची नहीं मिलती। आपने यह क्या कानून बनाया? परची नहीं दी जाती, क्या यह शरम की बात नहीं है? रसीद न दी जावे और बुक में नहीं लिखा जावे, मारे मारे किसान फिरते हैं, अदालतों में जाते हैं तो पूछते हैं रसीद कहां है, तुम्हारी जमीन है तो रसीद बताओ। वे कहते हैं हम से पैसा ले लिया, रसीद नहीं दी, "हमें कह दिया, जाओ जाओ परसों कल दे देंगे।" तो इस तरह से मारे मारे किसान आज पांच बरस से रो रहे हैं सरकार के नाम पर। सरकार ने क्या इन्तजाम किया? मैं दावे के साथ कहता हूं, एक हजार किसान मैं बता सकता हूं जो इस तरह से तबाह हो गये, बेकार हो गये। इसके आंकड़े में पेश करूंगा। हजारों बेकार अदालतों में रो रहे हैं। यह क्या सरकार ने सैटलमेंट कानून बनाया? उस कानून पर हमें विश्वास नहीं। सरकार जल्दी से जल्दी ऐसा कानून बनाये जो किसानों को मदद करे और तत्काल इसकी निष्पक्ष जांच की जावे। हमारे किसान रो रहे हैं। उनको बेजमीन बना दिया है। प्रजातन्त्र सरकार बनी। हमें विश्वास दिलाया गया, किसान फिर आबाद किये जावेंगे. अच्छे कानून बनाये जावेंगे पर उल्टे उनको गढ़े में गाड दिया गया, हजारों किसानों को बेकार बना दिया। क्या कानून बनाया है?

(करतल-ध्वनि)

[श्री हरिराम निनामा]

किसानों का नाम लेकर यहां आते हैं और फिर उनको ठुकराते हैं। बड़े गैर जिम्मेदार हैं। किसानों के बारे में आपने कुछ नहीं किया, जमीन की व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं किया। किसानों को आप में विश्वास नहीं है। मैं इस बात के हजारों आंकड़े पेश करूंगा। अब मेरी सरकार इस कानून को जल्दी से जल्दी बना दे तब हमें सन्तोष होगा, किसानों को सन्तोष होगा, यह मेरा कहना है।

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—आशा है मंत्री महोदय इस पर विशेष ध्यान देंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मंत्री महोदय क्या ध्यान देंगे ?

श्री भैरूंसिंह (१६)-माननीय चेयरमेन महोदय, जिस विषय को लेकर सदन में चर्चा चल रही है। मैं, माननीय चेयरमेन, उस सम्बन्ध में जमुवा रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कुछ बातें सदन में प्रस्तुत करूंगा, जहां तक लगान दर पुनर्विलोकन का प्रश्न है सदन के अधिकांश माननीय सदस्यों ने इस बात पर अपनी सहमति प्रकट की है कि यदि आवश्यकता समझी जाय तो लगान के संबन्ध में सरकार पुनर्वलोकन करके उचित आज्ञा प्रदान करे। लेकिन जो आज्ञा प्रदान संबन्धी क्लॉज़ ३ में व्यवस्था की गई है उस क्लॉज़ ३ को हम देखें तो उसमें लिखा है:—

"Notwithstanding any custom, usage or practice to the contrary and notwithstanding anything contained in any law, enactment, rule, order or instrument for the time being in force, the State Government may, if satisfied.

और सरकार को संतोष किस प्रकार से होगा इसका कहीं उल्लेख नहीं है। संतोष होने की स्थिति क्यों नहीं होगी उस स्थिति के लिए तीन बातें लिखी गई हैं —

"(a) in the formation of assessment circles. or

(b) in the classification of soil, or

(c) in the rent rates for particular classes of soil."

यदि इस संबन्ध में कोई गलती हो गई हो, जजमेंट की गलती हो गई हो और उस गलती के ऊपर सरकार को संतोष हो गया हो कि लगान का पुनार्विलोकन करने की आवश्यकता है तो सरकार इस प्रकार की आज्ञा जारी करेगी। लेकिन माननीय चेयरमेन, हमने सेटिलमेंट के नियम बना रखे हैं, उन नियमों में हमने यह व्यवस्था कर रखी है कि स्वाइल क्लासिफिकेशन इस आधार पर होगा। स्वाइल क्लासिफिकेशन में जो आवश्यक बातें हैं उनके ऊपर इस प्रकार से ध्यान दिया जायगा, रेन्ट रेट्स निर्धारित करने में अमुक अमुक बातों का ख्याल रखा जायगा। इन सारी बातों की व्यवस्था

[श्री भैरोंसिंह] .

होने के बावजूद यदि कोई विशेष प्रकार की गलती सरकार के ध्यान में आती हैं तो सरकार के सन्तोष होने पर वह इस प्रकार की आज्ञा जारी कर सकेगी।

अब प्रश्न यह आता है कि सरकार को संतोष कराने के लिए इसमें क्या मिक्दार, कितनी गलती उस जजमेंट के अन्दर है जिस गलती के कारण सरकार को पुनर्विलोकन करना पड़े। उस पर्सेन्टेज का, उस मात्रा का, उस मिक्दार का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, तो ऐसा समझा जाय कि यह डिस्क्रिशन सरकार का है। यदि सरकार आवश्यकता समझे तो अपने डिस्क्रीशन के आधार के ऊपर जो कुछ हम करना चाहते हैं, जो कुछ एरर ऑफ जजमेंट हुई है वह इस हद तक हुई है कि उसमें किसी प्रकार का पुनर्विलोकन आवश्यक है तो सरकार पुनर्विलोकन करे। मैं यह कहना चाहता हूँ, माननीय चेयरमेन, हमने उसके लिए यदि कन्डीशन्स प्रेस्क्राइब कर दी हैं जिन कन्डीशन्स के कारण सरकार अमुक प्रकार के एरर ऑफ जजमेंट पर लाजमी तौर से पुनर्विलोकन की आज्ञा जारी करनी पड़े। इसमें सरकार के समक्ष डिस्क्रिशन एप्लाई करने की बात रहे तो हो सकता है कि जिस तरह से जिन माननीय सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि किसी राजनैतिक कारण से एक दूसरे को परेशान करने की गरज से इन धाराओं का उपयोग किया जाय, मैं उन सब बातों के अन्दर नहीं जाना चाहूँगा जो कि इस राजनैतिक वातावरण को लेकर इस सदन में कही गई। लेकिन इस बात को साफ करना चाहूँगा कि इसमें सरकार को डिस्क्रिशनरी पॉवर्स देने से पहले हमको जिस तरह के कानूनों में व्यवस्था पहले की गई और उस व्यवस्था पर अमल किया गया वह किस ढग से हुआ यह देखना पड़ेगा। यदि वह ठीक ढंग से हुआ तो इस प्रकार के डिस्क्रिशनरी पॉवर्स सरकार को दें तो ठीक है, लेकिन यदि सारी चीजों को दोहराने से ऐसा पता लगता है कि पुनर्विलोकन के सिद्धान्त से काश्तकार को लाजमी तौर से फायदा होता है ऐसी बात नहीं हैं, लेकिन किसी एक पर्टीक्यूलर एरिया के किन्ही खास लोगों को नुकसान पहुंचे उस दृष्टिकोण से यदि पुनर्विलोकन किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि वह सिद्धान्ततया गलत सी चीज होगी। आज यह मानकर चलते हैं कि पुनर्विलोकन आवश्यक है, यह मानकर चलते हैं, कि सेटिलमेंट ऑपरेशन जब हो जाते हैं और बाद में ऐसा नोटिस में आता है एरर ऑफ जजमेंट हुआ है स्वाइल क्लासिफिकेशन में गलती होने के कारण, उस का एसेसमेंट सर्किल बनाने में गलती हुई, उसके रेन्ट रैट्स प्रेस्क्राइब करने में गलती हुई और अगर सेटिलमेंट ऑपरेशन क्लोज़ हो जांय और बाद में नोटिस में आये तो सरकार रेन्ट रेट्स के पुनर्विलोकन के बारे में आज्ञा जारी करे। लेकिन गवर्नमेंट द्वारा आज्ञा जारी करने में कन्डीशन्स प्रेस्क्राइब करनी पड़ेगी ताकि सरकार उन चीजों पर इन्सिस्ट करते हुए जिस प्रकार का वातावरण हो उसको ध्यान में रखकर पुनर्विलोकन के बारे में आज्ञा जारी करे।

जो सवाल किया गया है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय तो मैं समझता हूं कि यदि सिलेक्ट कमेटी में यह बिल जाता है तो कन्डीशन्स प्रेस्क्राइब कर सकेंगे जिन कन्डीशन्स के ऊपर सरकार को सेटिस्फेक्शन बनाने के लिए एक प्रकार की बात उनके

[श्री भैरोंसिंह]

सामने रखनी होगी। यदि कन्डीशन्स नहीं रहेंगी तो सरकार डिस्क्रिशन का मिसयूज़ करना चाहेगी तो वह मिसयूज़ करेगी।

आगे माननीय चेयरमेन, इसमें एक जबरदस्त अनडेमोक्रेटिक क्लॉज ९ वेलिडेशन ऑफ रेन्ट रेट्स का है :

"Notwithstanding any custom, usage or practice to the contary and notwithstanding anything contained in any law, enactment, rule, order or instrum nt for the time b ing in force, all action taken by the State Government at any time on or after the 10th of January, 1951, and before the commecement of this Act in the nature of modifications in rent rates, classification of soil and assessment circles previously sanctioned and other connected matters shall be deemed to have been taken under this Act, and the legality thereof shall not be questioned."

मैं, माननीय चेयरमेन, यदि यह कहूं कि आज तक अभी तक कोई अनडेमोक्रेटिक प्रिन्सीपल एडॉप्ट किये हैं तो वह अनडेमोक्रेटकि प्रिन्सीपल इस धारा के द्वारा मन्जूर करने वाली स्थिति में होंगे। इसमें हमने ५१ से लेकर ५६ तक आज व्यवस्था कर दी है कि ५१ से ५६ तक सरकार ने रेन्ट रेट्स के मोडिफिकेशन के संबंध में, स्वाइल क्लासिफिकेशन के संबंध में, एसेसमेंट सर्किल के संबंध में, किसी प्रकार की आज्ञा दी है, मोडिफिकेशन करने की दृष्टि से, तो वे आज्ञाएं भी जो अभी तक कानून नहीं बना है और आज कानून बनने जा रहा है उस कानून के अन्तर्गत दी हुई आज्ञा समझी जायगी। ५ वर्षों से काम हो रहा था उस समय कानून बनने की आवश्यकता नहीं थी। ५ वर्ष के बाद में कानून बना दिया कि जो ५ वर्ष तक आज्ञाएं दी हैं वे उस कानून में जो कि अभी बन रहा है के अन्तर्गत समझी जायगीं। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि यह अनडेमोक्रेटिक स्टेप किसी भी सरकार को नहीं लेना चाहिए। कोई गलती की है हमने तो उस लेजिस्लेटिव असेम्बली की इस ढंग से छाप लगाई जाय तो वह छाप डेमोक्रेसी के आधार पर गलत प्रिसीडेन्स कायम करने वाली छाप होगी। यह स्टेप सारे प्रमाण को नुकसान पहुंचाने वाला होगा जो प्रमाण हम डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत करने के लिए निर्माण करने जा रहे हैं। जो हमने ५१ में काम किया वह गलत काम है और वह गलत काम को हाई कोर्ट में चेलेन्ज किया और दूसरी कोर्टों को चेलेन्ज हुआ कि यह गलत हुक्म था और चेलेन्ज होने के कारण सारे हुक्म नल एन्ड वॉइड करार दिये गये। उन सारी चीजों को रखने के लिए यह व्यवस्था कर रहे हैं कि ५१ के बाद में जितनी भी आज्ञाएं हुई हैं वे सारी की सारी-वाजिब हैं, इस कानून के अन्तर्गत दी हुई समझी जायगीं। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की अनडेमोक्रेटिक धाराओं को अपने बहुमत के बल पर पास करना चाहें तो पास कराइये लेकिन उसकी डेमोक्रेटिक प्रिन्सीपल को पसन्द करने वाला व्यक्ति कोई भी तारीफ नहीं करेगा।

[श्री भैरोंसिंह]

खास तौर से ऐसा है कि जिन २ चीजों पर विचार करने के लिए यह बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया तो आज तक उन्होंने इस संबंध में जितनी भी आज्ञाएं दी हैं और उनको वेलिड कराना चाहते हैं तो उसकी जानकारी दें और वह जानकारी सिलेक्ट कमेटी में दी जा सकती है । वे सारे रूल्स को लेकर आयें, आॅर्डर्स को लेकर आयें और सारी कार्यवाही को सिलेक्ट कमेटी के सामने रखें । जिस आवश्यक कार्यवाही को न्यायसंगत बनाने की चेष्टा कर रहे हैं केवल यह कह कर कि उन आर्डर्स को इशू कर दिया है उनको वेलिड करना चाहिए, मैं समझता हूं सदन के एक प्रकार का अधिकार है तो सदन को जानकारी करानी चाहिए कि जिन आर्डर्स, रूल्स और आज्ञाओं को न्यायसंगत बनाने की चेष्टा कर रहे हैं उन सारी चीजों को सदन में नहीं बताया जा सकता है, लेकिन सदन की जो सिलेक्टेड बोडी है वह देख सकती है कि पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता वाजिब है । वाजिब होने की सूरत में समर्थन करें और गैर वाजिब हुई तो सरकार का विरोध करें । यह चीज तभी तय की जा सकती है कि सदन सिलेक्टेड प्रवर समिति के रूप में विचार करे । जिन सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत किया है कि एक, दो, तीन दिन के लिए भी सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द कर दिया जाय तो भी कोई आपत्ति नहीं होगी । वैसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि हम तकाजा करके कानून बनाने की चेष्टा करेंगे तो वह इस प्रकार की चेष्टा अच्छी नहीं है ।

केवल इतना कह देना है सारी बातों के लिए कि यह कानून पहले भी था और १ जनवरी, ५६ को यह कानून नहीं रहा । हममें ऐसी व्यवस्था लैंड रेवेन्यू कोड में भी की है लेकिन फिर भी अगर कोई गलत कार्यवाही कर दी है और यदि उस पर एक मोहर लगाने की चेष्टा फिर कर रहे हैं तो वह गलत होगा । अगर उस गलत कार्यवाही को वेलिड करने की कार्यवाही भी करते हैं और ध्यान में नहीं है और फिर आज ध्यान में आजाती है, सदन के ध्यान में वह आगयी है, तो मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उनका दुबारा रिपोटिशन न हो, उस प्रकार की गलत कार्यवाही फिर से न दोहरायी जाय, अच्छी तरह से विचार करके, स्पष्ट रूप से सदन के सामने रख सकें इसलिए इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए प्रस्ताव किया गया है ताकि उन मुद्दों पर विचार विनिमय होने के बाद उनको सदन में लाया जा सके तो अच्छा होगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—माननीय चेयरमेन महोदय, वैसे इस बिल पर सदन में काफी बहस हो चुकी है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय । आम तौर पर सिलेक्ट कमेटी में भेजने के सम्बन्ध में यदि कोई अहमियता भी दिखाई देती तो भी इसका कभी विरोध नहीं करता, लेकिन यह बिल ऐसा है कि इस पर पहले भी कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और माननीय सदस्य जो अभी बोले हैं उन्होंने भी पहले भी अपने विचार व्यक्त किये थे । उसका १ जनवरी, १९५६ में ही पीरियड समाप्त हो गया । उस पीरियड को रखने का कारण यह था कि लैंड रेवेन्यू बिल बन रहा था और उसमें यह व्यवस्था की थी जहां लगान ज्यादा है वहां उसका पुनर्विलोकन किया जाय । मैं इस बात के लिए अर्ज करूं कि विरोधी दल के सदस्यों ने यह कहा, कुछ तो इस कानून को बहुत अच्छा बताते हैं, आवश्यक भी बताते हैं रेंट रेट्स ज्यादा हैं

[श्री दामोदरलालव्यास]

और वह महसूस करते हैं कि रेंट रेट्स को रिवाइज़ करना चाहिए और साथ में यह भी कहते हैं कि इस कानून को इस वक्त मत बनाइये और सिलेक्ट कमेटी में भेज कर इसको खत्ते में डाल दें और फिर वह पास न हो, इस बीच रेवेन्यू बिल आजाय और इस दरमियानी अर्से में स्टाप गेप को पूरा करने की आवश्यकता नहीं। एक तरह का इन्टरप्रिटेशन तो यही हो सकता है और दूसरी बात कहते हैं कि इस कानून के तहत में डिस्क्रेशनरी पॉवर्स सरकार को देते हैं जिनका मिसयूज़ हो सकता है और उससे हानि भी है। और तीसरी बात यह कहते हैं कि मन्त्रियों की कोन्स्टिटयूएन्सीज़ में इसका दुरुपयोग हो सकता है। माननीय चेयरमेन, मैं यह अर्ज करूंगा कि जनवरी में एक ऑर्डिनेन्स के रूप में इसको बनाया गया और अप्रेल में विधान सभा में इसको पास करके एक्ट बनाया गया और लैंड रेवेन्यू बिल न आने की वजह से दरमियानी अर्से में जितनी रेन्ट रेट्स हो उनमें गड़बड़ी न हो। जिन कस्बों में इस कानून को एप्लाई किया गया है वह किसी मंत्री की कोन्स्टिटयूएन्सी में नहीं किया गया है किन्तु अगर कोई जाकर देखे तो मालूम होगा कि श्री मानसिंहजी महार जमुआ-रामगढ़ कोंस्टिटयूएन्सी में किया है, अगर यह किया गया है तो मुकर्जी की, कोन्स्टिटयूएन्सी फागी तहसील में किया गया है। और अगर कहीं किया जाने का विचार है तो दांता-रामगढ़ से जो माननीय सदस्य आये हैं उनको कोन्स्टिटयूएन्सी में किया है,किन्तु किसी मंत्री की कोन्स्टिटयूएन्सी में नहीं किया है। अगर कहीं लगान ज्यादा है वहां ज्यादा है जहां माननीय सदस्य उधर बैठे हुए सदस्य के लिए कह रहे थे, जहां उन्होंने अपने असर से अपने कारीगरी से बढ़ा लिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जागीरदार होते हैं या दूसरे लोग होते हैं जो इसमें लगान बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं बढवा लेते हैं, जहां कम है हम यह मानते हैं कि लगान की दरें कम हैं एक तरफ तो यह कहते हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि ज्यादा हैं वे कम करना चाहिये और फिर यह कहा जाय कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और इस वक्त में इसको न बनायें। यह मैं मानता हूं कि सिलेक्ट कमेटी में भेजने का जो प्रस्ताव है प्रस्तावक महोदय का वह टालने का नहीं हो लेकिन इसके पीछे कोई खास इन्टेंशन है जो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

दूसरी बात यह बताई जाती है कि यह तो अनडेमोक्रेटिक है। पिछले अर्से में लगान कम किया गया है उसको वेलिडेट करना न्याय नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि वह न्याय होगा, ठीक होगा। अमुक तहसील में लगान की दरें जैसी होनी चाहिए, चूंकि ज्यादा हैं, तो फिर कोई वजह नहीं है कि एक चीज़ जो काश्तकार से वसूल करते जा रहे हैं, जिस चीज़ को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर जायज कर देते हैं तो उसका विरोध किया जाय। जिनके दिल में किसानों के प्रति हमदर्दी हैं, जो उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, जो जयपुर डिविजन के लिए कमी कराना चाहते हैं, जिन किसानों के लिए उनके दिल में दर्द है, मैं यह मानता हूं कि जयपुर डिविजन में लगान ज्यादा है, मैं यह भी मानता हूँ कि सेटलमेंट ओपरेशन्स में कम लगान होना चाहिए, मैं यह भी मानता हूं कि वे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होने चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि रिट्रस्पेक्टिव इफेक्ट

[श्री दामोदरलाल व्यास]

से कमी न करने या उसको एप्लाई करने के माने क्या हो सकते हैं और उसको दांता-रामगढ़ से आये माननीय सदस्य ज्यादा समझते हैं और उनकी क्या मंशा हो सकती है यह भी सदन के सदस्य समझते हैं, किसानों के लगान में कमी हो और जागीरदारों के मुआवजे में कमी न हो यह तो उचित नहीं होगा। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मतलब यही है कि किसानों पर जो रेन्ट्स रेट की दरें हैं उनको रिस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कम की जांय। यह डेमोक्रेटिक है और जस्ट और इक्वीटेबल बात है। जब से सेटलमेंट ओपरेशन्स हुए हैं रायज़ किये जांय और लगाये जांय और लगान की दरें कम की जांय।

दूसरी बात बार बार हमारे माननीय सदस्य ने यह कही कि, तहसील मालपुरा है, जो मेरी कोन्स्टिटयूएन्सी है उसके लगान को कम कर दिया गया। माननीय चेयरमेन, मैं सदन की जानकारी और माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि उस कोन्स्टिटयूएन्सी में आज तक कम नहीं किया गया है और न इरादा ही हैं और न संभावना ही है। इसलिए माननीय सदस्य को यह जान लेना चाहिये कि यह उनकी गलतफहमी है और वे अपने आपको दुरुस्त करेंगे और करेक्ट करेंगे।

तहसील दूनी के लिए माननीय सदस्य ने कहा, मैं निवेदन करूंगा कि जयपुर यूनिट में हर जगह लगान ज्यादा है। आमेर तहसील के लिए भी कहा, उसकी जांच की जा रही है। यह कहना ही मुश्किल है कि किस जगह लगान ज्यादा है या कम है जब तक कि पूरे की जांच न कर ली जाय।

एक अजीब बात कही गई कि यूनिफार्म रेट्स राजस्थान में होनी चाहिये। सेटलमेंट के कानून को और दूसरी बातों को जानने वाले आदमी कभी यह सलाह नहीं दे सकते, सब जगह एक ही यूनिफार्म रेट्स कर दी जांय। सब जगह का साइल क्लासिफिकेशन एक नहीं है, रेन फॉल, किसानों की हिम्मत और अन्य बातों को देखा जाता है, हर जगह की भिन्न भिन्न बातें होती है और यह कहना कि यूनिफार्म रेट्स लागू होनी चाहिये, यह मेरे ख्याल से नामुमकिन चीज़ है और कभी भी लागू नहीं हो सकती है।

अगर माननीय सदस्यों को कोई कमी इस कानून में मालूम होती है तो उसके लिए यहां अमेंडमेंट पेश कर दिया जाय, लेकिन इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। वाकई कमी है तो उसके लिए अमेंडमेंट लाकर उसको हाउस में डिस्कस किया जाय। सिलेक्ट कमेटी में भेजने का मैं विरोध करता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि इस बिल को यहीं पर पास किया जाय।

श्री मानसिंह महार—माननीय चेयरमेन, मैं माननीय राजस्व मंत्री की बुद्धी की दाद देता हूं। मैं यह मानता हूं कि मैंने जो कुछ बातें सदन के समक्ष रखीं उनको जिस प्रकार से

[श्री मानसिंह महार]

तोड़ मरोड कर उन्होंने रखीं उससे ज्यादा कोई दूसरा आदमी इस प्रकार की कार्यवाही कर सकता था, यह मैं मानता हूं और उनकी बुद्धि को दाद देता हूं । लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा और आमेर से आने वाले सदस्य की तरह यह नहीं कहूंगा कि वकीलों को मिनिस्टर नहीं बनाया जाय, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि मिनिस्टर बनने के बाद कम से कम वे वकालतवाली बुद्धि को एक तरफ रख दें तो जनता के साथ अधिक न्याय हो सकेगा । यह मेरी निश्चित धारणा है ।

मैंने युनिफोर्म रेट की बात कही थी । मैं नहीं समझ सका कि यह बात कैसे आई कि राजस्थान में हर जगह एक ही तरह की रेट हो । समझ में नहीं आता कि फेक्ट्स को क्यों तोडा मरोडा जाता है, क्या यही न्याय है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह बात आपने ही नहीं कही दूसरों ने भी कही थी, इसको आप अपने ऊपर क्यों लेना चाहते हैं ?

श्री मानसिंह माहार —(जारी)मैंने क्लेरिफाइ करके कहा था । मैंने यह कहा था कि दो तहसीलों को चुनना चाहिये । एक तहसील सबसे अधिक पैदावार वाली को चुन लीजिये और दूसरी उस तहसील को चुन लीजिये जिसमें लोएस्ट पैदावार होती है ।...

श्री हिम्मतसिंह—जैसलमेर को ले लीजिये ।

श्री मानसिंह महार —(जारी)इन तहसीलों की रेट्स मुकर्रर करके दोनों के बीच में बाकी की तहसीलों में एडजस्ट करिये । यह न्याय संगत बात होगी । यह बहुत आसान चीज है यदि करना चाहें तो और यदि न करना चाहे तो दूसरी बात है ।

दूसरी बात यह कहने में आई बड़े जोर से कि हम इस कानून को खत्ते में डालना चाहते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह लान्छन हम पर नहीं लग सकता । यह मंत्रीजी पर ही लगेगा, क्यों कि उन्होंने ही कानून को पास कराकर भी खत्ते में डाला । जमुआ रामगढ़ में क्यों और कैसे लागू कराया यह भी एक रहस्य है । उन्होंने खुशी खुशी कभी नहीं किया लेकिन वहां के किसानों ने चार वर्ष तक लगान नहीं दिया तब लागू किया और फिर भी घोर अन्याय किया । किसान आंसू पूंछ कर रह गये । मेरी बात को तोड मरोड कर राजस्व मंत्रीजी ने कहा । मालपुरा में यह कानून लागू नहीं हुआ लेकिन वहां पर ५ रु० या ४ रु० फी बीघा लगान करा दिया । सेटलमेन्ट कमिश्नर को जबानी हुक्म देकर इतना कम लगान करा दिया । सेटलमेन्ट कमिश्नर को हुक्म देकर आप चाहते तो २ रु० बीघा भी करा देते । २० रु० फी बीघा जमुआ रामगढ में और ४ रु० फी बीघा मालपुरा में । कौनसा सेटलमेन्ट कानून है या कोनसा सेटलमेन्ट का तरीका है दुनिया में जो यह साबित करेगा कि मालपुरा रेट जमुआ-रामगढ़ की रेट से कम होना न्याय संगत है । मैं यह निश्चित तौर से मानता हूं कि जहां लगान कम है वहां नहीं बढ़ाया जाना चाहिये, लेकिन फिर भी मैं राजस्व मंत्रीजी से कहूंगा कि आप ५ रु० से भी आप

[श्री मानसिंह महार]

कम करदें। २ रु० फी बीघा से ज्यादा लगान नहीं होना चाहिये। जब तक २ रु० फी बीघा के हिसाब से रेन्ट रेट कायम नहीं करेंगे तब तक सही माने में किसानों को राहत नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी तोड मरोड़ कर कोई बात कही जाती है तो दुःख होता है। मालपुरा में लगान ४ रु० या ५ रु० फी बीघा कर दिया लेकिन हमारे यहां कनून एप्लाई करने पर भी १८ या २० रु० फी बीघा रहता है। उस पर भी आप यह कहते हैं कि उनकी कोन्स्टीट्युएन्सी में लागू करके वहां के किसानों को राहत पहुंचाई है, क्या राहत पहुंचाई गई है यह आप देख लीजिये। दूसरी बात यह कही जाती है कि इसको लागू किया जा रहा है अवनिकुमार मुकर्जी को कोन्स्टीट्युएन्सी फागी में। यह भी मैं जानता हूं कि फागी में क्यों कम की जा रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन मजबूरी से मुझे कहना पडेगा कि अगले चुनाव में श्री रामचन्द्र बेनीवाल, श्रीमती कमला बेनीवाल के हसबेन्ड वहां से चुनाव लडना चाहते हैं...

श्री सभापति (श्रीजवानसिंह)—किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया जाय।

श्री मानसिंह महार—मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन फागी में लगान कम किया जा रहा है। बाकायदा चन्दा हो रहा है और यह कहा जा रहा है कि तुम्हारे यहां रेन्ट रेट कम हो जायगी। इस प्रकार की मिसाल आमेर तहसील में भी है। यह बात कांग्रेस सदस्य ने भी अभी हाउस में कही थी कि १०० रु. देदो तो ३० रुपिये कम करदेंगे। ट्रेज़री बेन्चेज़ पर बैठनेवाले महानुभावों के एजेन्टस् ने जाकर १० रुपये लाइ के हिसाब से चन्दा इकठा किया है जो ४ हजार के करीब इकठा हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास—कहां पर ?

श्री मानसिंह महार (जारी)—आमेर तहसील में बादशाह गांव है। मैं उप मंत्राणी जी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मुझे मजबूर करते हैं। १० रुपये के नाम के हिसाब से चंदा वसूल किया गया। होता क्या है कहने से बकते रहेंगे। पैसे जेब में आगये। हुक्म हो गया और वे कहते हैं कि रेट्स कम करदी जावेगी। मैंने यह नहीं कहा कि कानून को खते में डाल दिया गया। यह भी कहा गया कि जागीरदारों को मुआवजा मिलता है। जागीर ही जब छोड दी तो हमको मुआवजे की क्या परवाह है, मैं कहता हूं कि राजस्व मंत्री जी यदि त्याग करने को तैयार हैं तो मैं अपनी जागीर का मुआवजा छोड़ने को तैयार हूं। मुआवजा लेना भी शर्म की बात है। यदि आप काश्तकारों का लगान माफ करदेते हैं तो मैं मुआवजा छोड़ने को तैयार हूं। मैं दावे के साथ कहूंगा कि यदि मेरे जागीर के किसानों का लगान माफ करते हैं तो मैं अपनी जागीर का मुआवजा नहीं लूंगा। कहना कुछ और करना कुछ यह बात नहीं चलेगी। किसान और कुछ नहीं चाहते। वाजिब मांग की जाती है कि २ दिन के लिये इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिये। दो दिन नहीं चाहें तो आज रात को बैठ कर वाजिब अमेंडमेंट ले आइये ताकि ६ महीनों के अन्दर अन्दर सारे राजस्थान में लागू हो जाय। आपने इस कानून को खत्ते में डाला यह लांछन हम पर नहीं राजस्व मंत्री जी पर है इस कानून को सही तरीके से अमल में नहीं लाते हैं। अगर ज्यादा लगादो गई

[श्री मानसिंह महार]

है सेटल्ड एरिया में तो रेट कम कर दी जायगी, अगर ज्यादा लगादी है तो और बात है वरना अक्षर अक्षर सच है। मैं आशा करता हूं दुबारा इस पर गौर फरमायेंगे। इसलिए मेरा छोटा सा निवेदन है कि यदि राजस्व मंत्री जी वास्तव में सही तरीके से लागू करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कमेटी की बात को मानलीजिये। यदि इसको नहीं मानते हैं तो स्वायत शासन मंत्रीं जी जैसा करते हैं गवर्नमेंट होस्टल में सब को बुला कर डिस्कस कर लेते हैं उसी तरीके से आप भी जितनी धाराएं हैं उनको डिस्कस करलें और अपोज़िशन की भावना की कदर करें, यदि यह धारणा हो तो मैं समझूंगा कि सही तरीके से आप इसे लागू करना चाहते हैं। यदि आप छोटीसी बात को नहीं मानते हैं तो निश्चित कहूंगा कि वे चाहते हैं कि जिस तरह का दकियानूसी कानून है उसी तरह रहे। मैं नये मुद्दे नहीं उठाना चाहता हूँ लेकिन एक सदस्य जो उदयपुर की तरफ से आये हैं उन्होंने कहा कि उदयपुर और कोटा में जो सेटलमेंट रेट्स हैं वे राजाओं के जमाने से कम हैं और जयपुर में हमारी लोकप्रिय सरकार के जमाने में अधिक रेट लागू की गई। उन्होंने जो फरमाया उसकी ताईद करता हूं और उनकी भावना की कदर करता हूं, उन्होंने साथ में यह भी कहा कि आज जमाना इतनाबदल गया है कि लोग यह मांग करते हैं कि उददपुर में रेंट कम होने चाहिये। मैंने कभी यह नहीं कहा कि कोटा और उदयपुर में रेट कम नहीं किये जाने चाहिये। मैं इस बात का पक्षपाती हूं कि अगर सरकार को सही रूप में लैन्ड रेवेन्यू वसूल करनीं है तो वह दो रुपया मेग्ज़िमम पर बीघा रखे। यदि आप ऐसा रखेंगे तो आपकी लैन्ड रेवेन्यू वसूल होतीं रहेगी, वरना आपके जितने भी कानून हैं वे सब केवल उन काश्तकारों को मुगालते में डालने के लिये हीं बनते हैं। आप किसी प्रकार से डिस्कस कर लें दो रुपये वाली बात झूठी हो जावे तो आप देख लें। आप यहां पर किसानों के नुमायन्दे बन कर आते हैं मगर उनके लिये ऐसे कानून बनाते हैं कि वकील लोग मुकदमें बाजी में अपना घर कर लें।

कानून आज के युग में ऐसे सीधे और सच्चे बनने चाहिये जिसमें गड़बड़ नहीं हो, अगर यह तय कर लिया जावे कि दो रुपये मेग्ज़िमम रेट रहेगी और इसके साथ साथ यह भी तय कर दिया जावे कि ६ महीनों में फैसला होना चाहिये तो वहीं बात होनी चाहिये। मगर ऐसा होता नहीं। आप कानून बनाते हैं मगर उसके अनुसार काम नहीं करते। इसलिये हम जो लांछन लगाते हैं वह क्या अनुचित लगाते हैं। जब हमने कहा कि आप और हम बैठ कर इसको डिस्कस करलें तो बहुत अच्छा होगा। मगर माननीय राजस्व मंत्री बैठकर डिस्कस करने की बात को अपनी शान के खिलाफ समझते हैं तो फिर हम दूसरा मौका देखेंगे और एन मौके पर संशोधन ला कर इसका विरोध करेंगे और दूसरे भी कोई तरीके होंगे उसके अनुसार ऑपोज़िशन करेंगे। इतना होते हुए भी मैं माननीय राजस्व मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि यह हमारे ग्रामवासियों के जीवन और मरण का प्रश्न है। आप यह न समझें कि हम कोई बात करने जा रहे हैं जिससे आपको नुकसान पहुंचेगा। आप यह समझते हैं कि आप अभी दो वर्ष मिनिस्टरी में हैं तो आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा।

[श्री मानसिंह महार]

(घंटी)

इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सिलेक्ट कमेटी वाली बात को एक दिन के लिये ही रख लें। अगर आप एक दिन के लिये नहीं रख सकते हैं तो आज शाम को १० आदमियों को बुला कर एमेन्डमेंट ड्राफ्ट कर लें और आप उन एमेन्डमेंटों को मूव कीजिये जिससे कि आप मालपुरे में पोपुलर बन जावें ताकि वे लोग आपके लिये दरवाजा बनावें। हमतो आपके वाह वाह के नारे सुनना चाहते हैं। हमने इस नियत से कभी यह सुझाव नहीं दिया कि आपकी इज्जत को ठेस पहुंचे या कांग्रेस को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। हमतो आपकी इज्जत में चार चांद और लगाना चाहते हैं। इन चन्द शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन के सदस्य जो अपने आपको काश्तकारों की सेवा करनेवाले कहते हैं तो मैं यह कहूंगा कि राजस्व मंत्री को आज बैठ कर तय करने वाली बात को मन्जूर करनी चाहिये और अगर दो दिन की बात मंजूर करते हैं तो परसों सिलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी। मैं इस बात का हामी हूं कि इसको जल्दी से जल्दी पास किया जावे। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप लोग व्हिप की तरफ ध्यान न दें। कोडा तो जानवरों के लिये होता है मनुष्यों के लिये नहीं। (घंटी) इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पर अवश्य ध्यान देंगे।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मानसिंहजी महार ने, विचारार्थ प्रस्ताव पर, पेश किया है उसको स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि यह विधेयक विचारार्थ लिया जावे।

(विराम)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

कुछ लोगों की ऐसी राय है कि कल सुबह ७ बजे सदन की बैठक बुलायी जावे।

What is the view of the Government, I would like to know it.

श्री दामोदरलाल व्यास—Tomorrow at 8.

श्री सभापति—Then we adjourn to meet at 8 A. M. tomorrow.

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही दिनांक ९ मई, १९५६ के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित हुआ)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक ८ मई, १९५६

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति है)

प्रश्न

८४७ (११२ / आर. एम.) श्री चांदमल मेहता, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ८७:– क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम बाजोली तहसील परबतसर में रेंगरियां नाडा के आस-पास की जमीन को राजी नामा के जरिये चरागाह घोषित कर दिया गया है ?

(२) यदि हां, तो कब ?

(३) चरागाह घोषित होने के बाद भी उक्त जमीन को काश्त किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) बमामले श्री उमा वल्द भैरु रेगर व गैर सायलान सर्व श्री जमाल, मांगू, बल्देव चतराम आदि दफा १३३ जा० फौ० की कार्यवाही सब डिविजनल मजिस्ट्रेट परबतसर की अदालत में हुई। उसमें फरीकेन ने राजीनामा दे दिया इसलिये वह कार्यवाही मजिस्ट्रेट द्वारा बन्द कर दी गई।

इस राजीनामें में नाडे के आसपास की २६ बीघा भूमि गांव की मवेशियों व सार्वजनिक कार्य के लिये छोड़ दी गई, नाडा रेगरों की खालें धोने के लिये रख ली और बाजोली और सायल ने मिल कर लगान देना स्वीकार कर लिया है।

(२ दिनांक ५-१०-५५ से।

(३) ऐसी कोई सूचना नहीं है।

प्रश्न

८४९ (१११/आर. एम.) श्री चांदमल मेहता, एम.एल. ए., डिविजन नम्बर ८७— क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) ग्राम बाजोली तहसील परबतसर में ऐसे कितने किसान है जिनसे उनकी काश्त शुदा जमीन का हासिल (लगान) वसूल नहीं किया जाकर अन्य लोगों से वसूल किया जा रहा है।

(२) उक्त किसान कितने वर्षों से जमीन पर काबिज है ?

(३) उक्त किसानों द्वारा लगान जमा कराने पर भी जमा नहीं करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) कोई नहीं ।

(२) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(३) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(प्रश्न)

८७३ १६०। (सी.. एम.) श्री छीतरलाल शर्मा, एम. एल. ए., डिविजन नंबर ३०—

क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) क्या नैणवां, जिला बूंदी में हाई स्कूल की क्लासें करीब १० साल से चली आरही हैं ?

(२) क्या सरकार नैणवां से उक्त हाई स्कूल की क्लास को आयन्दा हटाना चाहती है ?

(३) यदि हां, तो किन कारणों से और किस तारीख या साल से हटाना चाहती है ?

(४) क्या यह सही है कि जिला बूंदी में नैणवां के उपरोक्त हाई स्कूल के अलावा नैणवां के करीब दूसरा कोई हाई स्कूल नहीं है ?

(५) क्या सरकार यह बतलायेगी कि कितनी आबादी के कस्बे में या छात्रों की कितनी संख्या पर कितने कितने माइल के फासले पर सरकार हाई स्कूल रखना जरूरी समझती है ?

(६) क्या सरकार ने नैणवां में हाई स्कूल की इमारत राजपूताना यूनिवर्सिटी के बारे बार लिखने पर भी अब तक नहीं बनाई, इसका क्या कारण है ?

उत्तर

१. जी नहीं । सन् १९४८ तक यह मिडिल स्कूल था और जुलाई १९४८ में हाई स्कूल हुआ ।

२. जी नहीं।

३. प्रश्न नहीं उठता।

४. जी हां।

५. नियमानुसार २०० छात्रों की संख्या पर।
नियमानुसार २० मील की दूरी पर।

६. धनाभाव के कारण अब तक यह कार्य पूरा नहीं किया जा सका।
इस वर्ष इस कार्य को पूर्ण करने का प्रयत्न किया जायगा।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ८४८ का उत्तर देखिये)

राजस्थान की ग्राम पंचायतों में जहां जहां सदस्य मनोनीत किये गये उनकी सूची

क्रम संख्या	नाम पंचायत	जिला	नाम सदस्य	पद	मनोनीत किये जाने का दिनांक
१	२	३	४	५	६
१.	ऊंटवाल	अलवर	श्री हुसैना	पंच	१६-६-१९५५
२.	मानचा	,,	श्री उमराव लाल	,,	१६-६-१९५५
३.	नगर	टोंक	श्री निवास	सरपंच	१८-७ ५५
४.	दतोब	,,	श्री मदनलाल	,,	१८-७-५५
५.	इन्दोली	,,	,, मोहनसिंह	,,	१८-७-५५
६.	ककरावदा	कोटा	,, पूर्णानन्द	,,	५-९-५५
			,, रघुनाथ	पंच	,,
			,, गुलाबचन्द	,,	,,
७.	फतहपुर	कोटा	,, किशनलाल जालेडा	,,	,,
८.	तलाब	,,	,, भैरूलाल	,,	३१-८-५५
			,, भौठीलाल	,,	,,
९.	ब्रौहव		,, भंवरलाल	,,	२५-१२-५५
१०.	विनायका	कोटा	,, भवरलाल	,,	,,
११.	मंडावरा	झालावाड़	,, कानसिंह	,,	८-९-५५
१२.	गोविन्दपुरा	,,	,, छीतरमल	,,	१३-२-५६
१३.	चुरेलिया	,,	,, गिरधारी	,,	८-६-५५
१४.	ढोंडी	,,	,, रामसिंह	,,	८-६-५५
१५.	खेडली	बूंदी	,, देवीराम	,,	६-८-५५
			,, मोड़ू	,,	,,
			,, राजसिंह	,,	,,

१	२	३	४	५	६
			श्री नन्दाकाकरा	,,	६-८-५५
			,, रघुनाथ	उप सरपंच	,,
१६.	रानीखुर्द	पाली	,, कादरखां	सरपंच	१३-५-५५
१७।१	मिरजेवाला	गंगानगर	,, हरिराम	पंच	३१-१-५६
			,, रतासिंह	,,	,,
१७.	किशोरपुरा	झुंझनू	,, सांवलराम	,,	३०-७-५५
१८.	हमीरवासवाड़ा	चूरू	,, श्योचन्द	,,	२६-१-५५
			,, होशियारसिंह	,,	,,
			,, हरनाथ	,,	,,
			,, बालाराम	,,	,,
			,, प्रेमराज	,,	,,
			,, अमराराम	,,	,,
			श्री श्योचन्द पंडित	पंच	२६-१-५५
			श्री नृसिह	,,	,,
			श्री मंगेजसिंह	,,	,,
			श्री हमीराराम	,,	,,
			श्री बिसनाराम	,,	,,
			श्री रामजीलाल	,,	,,
			श्री नैताराम	,,	,,
			श्री बेगराज	,,	,,
१९.	नवा	चूरू	श्री नौरंगराम	,,	,,
			श्री चुन्नुलाल	,,	,,
			श्री मालाराम	,,	,,
			श्री देवीसिंह	,,	,,
			श्री घाराराम	,,	,,
			श्री पीरूराम	,,	,,

१	२	३	४	५	६
			श्री रामप्रताप	पंच	२९-१-५५
			श्री मोहरसिंह	,,	,,
			श्री भंवरसिंह	,,	,,
			श्री काशीराम	,,	,,
२०.	बैंरासर छोटा	चूरू	श्री रामसिंह	,,	,,
			श्री चूनाराम	,,	,,
			श्री शिवकरण	,,	,,
			श्री गोपीराम	,,	,,
			श्री धनरूप	,,	,,
			श्री गुमन	,,	,,
			श्री जीजराम	,,	,,
			श्री ड्सरसिंह	,,	,,
			श्री सोहनराम	,,	,,
			श्री किशनलाल	,,	,,
			श्री फूलसिंह	,,	,,
२१.	साखूं	चूरू	श्री सूर्यभानु	उपसरपंच	,,
			श्री कालूराम	पंच	,,
			श्री बनवारीलाल	,,	,,
			श्री भैयाराम	,,	,,
			श्री संगारमल	,,	,,
			श्री अर्जुनराम	,,	,,
			श्री मोतीसिंह	,,	,,
			श्री नानूराम	,,	,,
			श्री गणपतराम	,,	,,
			श्री कूड़ाराम	,,	,,

१	२	३	४	५	६
२२.	ढाणीमोजी	चूरू	श्री दाताराम	,,	२१-१-५५
			श्री गोपालदास	,,	,,
			श्रीघडसीराम	,,	,,
			श्री प्रह्लादराम	,,	,,
			श्री नेकीराम	,,	,,
			श्री शैतानसिंह	,,	,,
२३.	मामासी	चूरू	श्री सागरमल	,,	,,
			श्री बहादुरराम	,,	,,
			श्री भगतसिंह	,,	,,
			श्री बदूराम	,,	,,
			श्री शिवकरण	,,	,,
			श्री देबूराम	,,	,,
२४.	ईटका	जयपुर	श्री नारायण	सरपंच	२५-१-५५
२५.	सिकन्दरा	,,	श्री जगन्नाथ मिश्र	पंच	७-१२-५४
२६.	पक्का सारनान	हनुमानगढ़	श्री जगमाल	,,	२८-६-५५
			श्री श्योकरण	,,	,,
			श्री लेखराम	,,	,,
			श्री हीराराम	,,	,,
			श्री बलवन्तसिंह	,,	,,
			श्री गणराम	,,	,,
२७.	चांऊवाली	हनुमानगढ़	श्री पतराम	,,	२८-६-५५
२८.	ढांबा	,,	श्री प्रताप	,,	,,
			श्री हरिशचन्द्र	,,	,,
			श्री जयसिंह	,,	,,
			श्री तातूराम	,,	,,

Page No 107

१	२	३	४	५	६
२६.	जोगीवाला	गंगानगर	श्री नेतराम	सरपंच	२१-४-५५
			श्री जयमलराय	उपसरपंच	,,
			श्री मोहरुराम	पंच	,,
			श्री सुरजाराम	,,	,,
			श्री रामजीलाल	,,	,,
			श्री श्योनाथराम	,,	,,
			श्री बीरवलराम	,,	,,
			श्री भुखराम	,,	,,

परिशिष्ठ ३

(कृपया प्रश्न संख्या ८६२ का उत्तर देखिए)

कोलोनाइजेशन स्कीम में एक्स सर्विसमेन को जो भूमि वितत की गई उसकी सूची

(जिला बूंदी]

नं० शु०	नाम सिपाही	नाम ग्राम	तहसील	भूमि जो अलाट हुई तारीख	क्षेत्रफल एकड में
१.	सूबेदार ब्रीजनसिंह	देई	नेनवा	सन् १९४७	४६
२.	ज़मादार हजारीसिंह	देई	नेनवा	सन् १९४७	६३
३.	हवलदार चतरसिंह	,,	,,	,,	६३
४.	सिपाही प्रीतमसिंह	,,	,,	,,	४०
५.	हवलदार जीवनसिंह	,,	,,	,,	४०
६.	हवलदार इन्द्रसिंह	बसौली	,,	,,	४०
७.	श्री प्रेमसिंह	तलवास	,,	,,	१००
८.	,, करतारसिंह	जरखोदा	तालेडा	,,	४०
९.	,, लखमीचन्द	कोट खेडा	,,	,,	७५
१०.	,, हरदमसिंह	,,	,,	,,	३४
११.	,, चरणसिंह	करखेडा	,,	,,	३८
१२.	,, उदयसिंह	,,	,,	,,	३८
१३.	,, आज्ञासिंह	सांवलपुरा	,,	,,	२८
१४.	,, ज्ञानसिंह	,,	,,	,,	३०
१५.	,, भागसिंह	,,	,,	,,	३६
१६.	,, सेतासिंह	,,	,,	,,	४६
१७.	,, रामसिंह	गादेगाज	तालेडा	,,	३६
१८.	,, सरदारसिंह	,,	,,	,,	३८

१	२	३	४	५	६
१९.	,, जीवनसिंह	,,	,,	,,	३८
२०.	,, खजानसिंह	नमाना	,,	,,	४४
२१.	,, बख्तावरसिंह	नमाना	वालेडा	,,	४४
२२.	,, लालसिंह	,,	,,	,,	४४
२३.	,, नाजोरसिंह	,,	,,	,,	४४
२४.	,, कनालसिंह	,,	,,	,,	४४
२५.	,, आलासिंस	,,	,,	,,	४४
२६.	,, हरभजनसिंह	प्रेमपुरा	,,	,,	५४
२७.	,, बाबूसिंह	,,	,,	,,	५४
२८.	,, सरदारसिंह	,,	,,	,,	५४
२९	श्री बुधसिंह	गंगाल		१९४७	२७७
३०	श्री अर्जुनसिंह				
३१	श्री करनलसिंह				
३२	श्री बरमलसिंह				
३३	श्री दोलूराम				
३४	श्री सजनसिंह	गुढ़ा	बूंदी	—	३२१
३५	श्री मेहरसिंह				
३६	श्री रूपसिंह				
३७	श्री दौलतसिंह				
३८	श्री हमालसिंह	खुनेटिया	—	—	१९३
३९	श्री करतारसिंह				
४०	श्री प्रीतमसिंह	साकड़दा	—	—	२७६
४१	श्री हरनाथसिंह				
४२	श्री बनतासिंह				
४३	श्री दुरजासिंह				
४४	श्री किसनसिंह				

१	२	३	४	५	६
४५	श्री मजासिंह	कालपुरिया	बूंदी	—	१६०
४६	श्री ईश्वरसिंह				
४७	श्री पूरनसिंह पि. दीलिपसिंह देवुपुरा		बूंदी	—	१२
४८	श्री पूरनसिंह पि, ठाकुरसिंह		—	—	—
४६	श्री ध्वजासिंह	रुगनाथपुरा	—	—	६४
५०	श्री शेजसिंह	बीचड़ी	हिन्डोली	—	३०
५१	श्री शेरसिंह	—	—	—	३०
५२	श्री झंडासिंह	डवलाना	हिन्डोली	—	५१
५३	श्री सोहनसिंह				
५४	श्री अमरसिंह	चतरगंज	हिन्डोली	—	४०
५५	श्री गनपतसिंह				
५६	श्री मखनसिंह	चैता	हिन्डोली	—	३५
५७	श्री बैकालासिंह	—	—	—	३४
५८	श्री बख्तावरसिंह	—	—	—	३४
५९	श्री त्रिलोकसिंह हवलदार	बडानया गांव	—	—	१६८
६०	श्री बख्तावरसिंह				
६१	श्री जगतसिंह				
६२	श्री प्रीतमसिंह				
६३	श्री शेरसिंह				
६४	श्री इन्दरसिंह	बडानया गांव	हिन्डोली	११४७	१६६
६५	श्री बन्तासिंह				
६६	श्री करमसिंह				
६७	श्री जगसिंह				
६८	श्री हईनसिंह				
६९	श्री सूबेदार वीर्चेद्रसिंह				
७०	श्री शिवनारायण				

१	२	३	४	५	६
७१	श्री हिलियसिंह	बडानया गांव	–	–	१३४
७२	श्री इन्दरसिंह				
७३	श्री हरीसिंह				
७४	श्री रामसुख	उमर	–	–	१६
७५	श्री लछमन	उमर	–	–	२२
७६	श्री श्री धोगा	–	–	–	५
७७	श्री हरदेव	–	–	–	३
७८	श्री उंकार	कालामाल	–	–	४
७९	श्री रामनाथ	खजूर का नला	–	–	२
८०	श्री सुखदेव	मजरा पगादा	–	–	३
८१	श्री गंगासिंह	–	–	–	७
८२	श्री रामचन्द्र	–	–	–	६
८३	श्री गंगासिंह	किशनगंज	,,	–	८
८४	श्री गुरुबचनसिंह	गेंडोली	पाटन	१६-६-४६	१०३
८५	श्री केहरसिंह				

Page No 112

परिशिष्ट ४

[कृपया प्रश्न संख्या ८६७ का उत्तर देखिए]

सूची कार्यों की

क्रम सं०	गांव का नाम	कार्य का नाम	खर्चा
१	ठुकराना	मरम्मत कुआ	१५००
२	सदासिंहवाला	मरम्मत कुआ	६०० रु०
३	प्रेमपुरा	,,	४०० रु०
४	हिन्नासर	,,	१००० रु०
५	मंडी पीलीबंगा	औषधालय	२०० रु०
६	गोलूवाला	मरम्मत स्कूल	१८०० रु०
७	भोपालपुरा	मरम्मत कुआ	७०० रु०
		,, स्कूल	५८० रु०
८	लखासर	इमारत स्कूल	५०० रु०
		कुओं	२,००० रु०
९	ढांवा	स्कूल	५०० रु०
१०	तालमीसर	तिवारी स्कूल	२५०० रु०
		,,	२००० रु०

१४ नई स्कूल खोली गई —: १५६०० रु० की लागत पर

रामपुरा, धाबान, वीभाना, पंडितालवाली, ठकराना, अवेता, भगवानसर, छिद्रसरी अत्ताकी, सदासिंहवाला, ओभीमाला, मानाखेतरी पीलीबिंगा गोलूवाला।

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या ८६९ का उत्तर देखिये)

ELECTRICAL & MECHANICAL DEPARTMENT

List of 61 Localities

S. No.	Name of Localities	Name of District.
1.	Shri Ganganagar.	Shri Ganganagar
2.	Hanumangarh New Town ship	"
3.	Hanumangarh Fort.	"
4.	Chautala Road.	"
5.	Pilibanga.	"
6.	Suratgarh.	"
7.	Sadulshahar	"
8.	Sarupsar.	"
9.	Jetsar.	"
10.	Bijeynagar	"
11.	Raisinghnagar.	"
12.	Gajsinghpur.	"
13.	Karanpur,	"
14.	Kesrisinghpur.	"
15.	Prithvirajpur	"
16.	Rajgarh,	Churu,
17.	Bhadra.	Shri Ganganagar-
18.	Nohar.	"
19,	Pilani.	Jhunjhnu,
20.	Jhunjhnu.	"
21.	Chirawa,	"
22,	Surajgarh.	"
23.	Khetri.	"

1	2	3
24.	Ratangarh.	Churu-
25.	Sardarshahr.	,,
26.	Churu.	,,
27.	Ratan nagar.	,,
28.	Ramgarh.	Sikar.
29.	Bisau.	Jhunjhunu.
30.	Fatehpur.	Sikar.
31.	Lachmangarh.	,,
32.	Sikar.	,,
33.	Nawalgarh,	Jhunjhunu.
34.	Rajaldesar.	Churu
35.	Memasar.	,,
36.	parsneu.	,,
37.	Talcbhapar.	,,
38.	Sujangarh.	,,
39.	Bidasar.	,,
40.	Sandwa.	,,
41.	Jaswantgarh.	Nagaur
42.	Ladnun.	,,
43.	Bikaner.	Bikaner
44.	Nal-	,,
45.	Kodamdesar.	,,
46,	Gajner.	,,
47.	Kolayat.	,,
48.	Gangashahr.	,,
49.	Bhinasar,	,,
50.	Udransar.	,,
51.	Palana.	,,
52.	Deshncke.	,,

1	2	3
53.	Surpura.	Bikaner
54.	Himatsar.	"
55.	Nokha.	"
56.	Devikundsagar.	"
57,	Napasar.	"
58.	Dulchasar.	Churu.
59.	Sudsar.	"
60.	Dungargarh.	"
61,	Jamsar.	Bikaner.

परिशिष्ट ६

सदन की मेज पर रखा गया अतारांकित प्रश्न

१. (१७५ । आर. एम.) श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चाकसू तहसील में नये कुए बनवाने, पुराने कुओंकी मरम्मत करवाने तथा रहंट लगाने के लिए सन् १९५२ से अब तक किस किस व्यक्ति को कितनी कितनी रकम तकावी के रूप में दी गई ?

(२) उक्त व्यक्तियों में से कितने लोगों ने तकावी का उचित उपयोग कर लिया है और कितने लोगों ने दुरुपयोग किया ?

(३) क्या यह सही है कि कई व्यक्तियों ने तकावी की रकम को घरू खर्च में उपयोग में ले लिया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(उत्तर अनुपलब्ध)